वार्षिक रिपोर्ट
2008 - 2009

सत्यमेव जयते

कारपोरेट कार्य मंत्राालय
भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट
2008–09

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली

विषय–सूची

अध्याय		पृष्ठ संख्या
अध्याय 1 सिंहावलोकन		1–12
अध्याय 2 संगठनात्मक ढांचा एवं कार्य		13–19
अध्याय 3 कंपनी अधिनियम 1956 एवं इसका कार्यान्वयन		20–36
अध्याय 4 एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 नीति, प्रावधान और कार्य–निष्पादन		37–40
अध्याय 5 सम्बद्ध विधान		41–43
अध्याय 6 निगमित क्षेत्र की सांख्यिकीय समीक्षा		44–45
अध्याय 7 परस्पर क्रियाशील एवं उत्तरदायी प्रशासन की ओर		46–51
अनुबंध		
कारपोरेट कार्य मंत्रालय की निर्देशिका	**अनुबंध – I**	54–57
क्षेत्रीय निदेशकों, कंपनी रजिस्ट्रारों और शासकीय परिसमापकों के पते	**अनुबंध – II**	58–61
कारपोरेट कार्य मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट.	**अनुबंध – III**	62–63
मंत्री एवं प्रमुख अधिकारीगण .	**अनुबंध – IV**	64

अध्याय – 1

सिंहावलोकन

प्रस्तावना

1.1.1 यह दस्तावेज 1 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2009 तक की अवधि के कार्यकलापों की रिपोर्ट है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय, कंपनी अधिनियम, 1956 सहित कारपोरेट क्षेत्र के विनियमन संबंधी विविध एवं व्यापक संविधियों के कार्यान्वयन का कार्य करता है। इसके अलावा, मंत्रालय निम्नलिखित अधिनियमों का भी कार्यान्वयन करता है

i) सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949

ii) लागत एवं कार्य लेखाकार अधिनियम, 1959

iii) कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980

iv) भागीदारी अधिनियम, 1932

v) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860

vi) कम्पनी (राष्ट्रीय निधि को चंदा) अधिनियम, 1951

vii) एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापार व्यवहार (एमआरटीपी) अधिनियम, 1969

viii) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002, प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2007 द्वारा यथा संशोधित

मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न अधिनियमों का संक्षिप्त विवरण **अध्याय–V** में दिया गया है।

1.1.2 श्री सलमान खुर्शीद ने 28 मई, 2009 को कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का कार्यभार संभाला।

1.1.3 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कारपोरेट कार्य मंत्रालय के सचिव श्री अनुराग गोयल बने रहे।

प्रशासनिक ढांचा

1.2 कम्पनी अधिनियम, 1956 के कार्यान्वयन हेतु मंत्रालय का 3 स्तरीय संगठनात्मक ढांचा है अर्थात नई दिल्ली स्थित सचिवालय, मुम्बई, कोलकता, चेन्नई और नोएडा में क्षेत्रीय निदेशालय और राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में कंपनी पंजीयक के 20 कार्यालय हैं और देश में कार्यरत उच्च न्यायालयों से सम्बद्ध शासकीय परिसमापक के 16 कार्यालय हैं जो मंत्रालय के समग्र प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। उपरोक्त कार्यालयों/संगठनों का संक्षिप्त विवरण **अध्याय– I I** में दिया गया है।

कम्पनी अधिनियम तथा अन्य सम्बद्ध विधान का पुनः संहिताकरण एवं संशोधन

सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) का विधिक ढांचा

1.3.1 देश में ज्ञान तथा सेवा क्षेत्र के विकास की अपार क्षमता को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने नया विधिक ढांचा तैयार किया है जिससे नमूना कारपोरेट के नए रूप में सीमित देयता भागीदारी का सृजन हो सका। सीमित देयता भागीदारी विधेयक, 2008 तैयार किया गया और 21.10.2008 को इसे राज्य सभा में पेश किया गया जिसमें एलएलपी के गठन तथा विनियमन और इससे सम्बद्ध और इसके आनुशंगिक मामलों के उपबंध किए जाने की परिकल्पना की गई है। उक्त विधेयक को 24.10.2008 को राज्य सभा तथा 12.12.2008 को लोक सभा द्वारा पारित कर दिया गया। उक्त विधेयक को 7 जनवरी, 2009 को महामहिम राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दे दी और 9 जनवरी, 2009 को सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 की अधिनियम संख्या 6) सरकारी राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया।

1.3.2 एलएलपी अधिनियम के उपबंधों को 31.03.2009 से कार्यान्वयन हेतु अधिसूचित कर दिया गया है। सीमित देयता भागीदारी, नियमावली, 2009 (एलएलपी बंद करने और भंग करने को छोड़कर सभी मामलों में) को 01 अप्रैल, 2009 को अधिसूचित कर दिया गया है।

कम्पनी अधिनियम में व्यापक संशोधन

1.4.1 कम्पनी अधिनियम को, बदलती अपेक्षाओं को पूरा करने के योग्य बनाने के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 में व्यापक संशोधन करने का निर्णय किया गया है। यह

कार्य, अवधारणा दस्तावेज तैयार करने तथा जनता की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए इस मंत्रालय की वेबसाइट पर इसके प्रसार तथा उसके बाद डॉ0 जे.जे. ईरानी की अध्यक्षता में कारपोरेट, उद्योग निकायों के प्रतिनिधियों और व्यावसायियों के विशेषज्ञ समूह के गठन के साथ शुरू किया गया। डॉ0 जे.जे. ईरानी समिति की सिफारिशों तथा स्टेकहोल्डरों के विभिन्न समूहों के साथ विविध एवं व्यापक परामर्श के अनुसरण में, कम्पनियों से संबंधित कानून को सुदृढ़ करने तथा उसमें संशोधन करने के उद्देश्य से कम्पनी विधेयक, 2008 तैयार किया गया तथा 23.10.2008 को इसे लोक सभा में पेश किया गया। कम्पनी विधेयक, 2008 को जांच एवं रिपोर्ट हेतु वित्त से संबंधित विभाग से सम्बद्ध संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया है। स्थायी समिति की रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा है।

1.4.2 राज्य सभा में विचाराधीन कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 2003 को 21.10.2008 को वापिस ले लिया गया।

कम्पनी अधिनियम, 1956 के विभिन्न नियमों के तहत निर्धारित प्रपत्रों में संशोधन

1.5.1 कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने अपनी एमसीए–21 ई–शासन परियोजना का सफल कार्यान्वयन किया है। एमसीए–21 की शुरूआत से, इस मंत्रालय ने वास्तविक फाइलिंग के स्थान पर इलेक्ट्रानिक फाइलिंग शुरू कर दी है जिसका इस्तेमाल 16.09.2006 से अनिवार्य कर दिया गया है। प्राप्त सुझावों तथा मंत्रालय में इन प्रपत्रों की आंतरिक जांच के आधार पर, मौजूदा प्रपत्रों में संशोधन हेतु ऐसी समीक्षा की गई जिससे 'एमसीए–21 ई–शासन परियोजना' के तहत सेवा वितरण में और आगे सुधार और संवर्धन हो सके। प्रथम चरण में 17 प्रपत्रों नामतः 1, 1ए, 1बी, 2, 4, 4सी, 5, 18, 20बी, 21, 21ए, 22, 23, 23एसी, 23एसीए, 32 और 1 आईएनवी में संशोधन कार्य शुरू किया गया तथा एक नया प्रपत्र–67 (अनुशेष) जारी किया गया है।

1.5.2 द्वितीय चरण में, 13 प्रपत्रों नामतः 1एए, 1एडी, 8, 10, 17, 19, 20, 20ए, 23सी, 24, 44, 49 और 61 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया। इनमें से 4 प्रपत्रों नामतः प्रपत्र 1एए, 1एडी, 23सी तथा 24 को अधिसूचित कर दिया गया है और शेष 9 प्रपत्रों को शीघ्र ही अधिसूचित कर दिया जाएगा।

1.5.3 उक्त प्रपत्रों में संशोधन का उद्देश्य है :

(क) प्रयोक्ताओं के लिए फाइलिंग को आसान तथा और अधिक स्पष्ट बनाना ;

(ख) प्रयोक्ता को तत्काल उत्तर हेतु ई–प्रपत्रों की बैक आफिस प्रोसेसिंग को आसान बनाना; और

(ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार जानकारी प्राप्त करने के लिए ई–प्रपत्रों में दिए फील्ड्स में परिवर्तन/संयोजन या उन्हें हटाकर ई–प्रपत्रों में और सुधार करना।

लेखांकन मानकों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के स्तर का बनाना

1.6.1 लेखांकन मानक, लेखांकन संव्यवहार तथा कार्यों के मूल्यांकन, प्रबंधन, प्रस्तुति तथा प्रकटन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित नीतिगत दस्तावेज होते हैं। लेखांकन मानकों का प्रयोजन, वित्तीय विवरणों की असमानता दूर करने के उद्देश्य से विविध लेखांकन नीतियों का मानकीकरण करना है। इसका उद्देश्य निश्चित मानक लेखांकन नीतियां तथा प्रकट अपेक्षाएं उपलब्ध कराना है ताकि ऐसी लेखांकन नीतियों के इस्तेमाल को रोका जा सके जो लेखांकन के क्षेत्र में सामान्यतया स्वीकृत सिद्धांतों तथा नीतियों के अनुरूप नहीं हैं।

1.6.2 कारपोरेट कार्य मंत्रालय में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 के अनुसरण में कम्पनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2006 अधिसूचित की है। कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत प्रत्येक कम्पनी को कम्पनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2006 के तहत निर्धारित लेखांकन मानकों का अनुपालन करना होता है। ये मानक केन्द्र सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत एक सांविधिक समिति नामतः राष्ट्रीय लेखांकन मानक सलाहकार समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत अधिसूचित किए जाते हैं।

1.6.3 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आईएफआरएस), अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आईएएसबी) द्वारा अंगीकृत मानक तथा निर्वचन है। आईएफआरएस को इसलिए मानकों का सिद्धांत आधारित सेट माना जाता है कि वे प्रमुख नियमों तथा आदेशात्मक विशिष्ट व्यवहारों का प्रतिष्ठित करते हैं। वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा प्रस्तुत करने संबंधी एक ढांचा भी है जिसमें आईएफआरएस से संबंधित कुछेक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इस ढांचे में यह उल्लेख किया गया

है कि वित्तीय विवरणों का उद्देश्य किसी निकाय की वित्तीय स्थिति, उसके निष्पादन तथा उसकी वित्तीय स्थिति में परिवर्तन के बारे में ऐसी जानकारी प्रदान करना है जो आर्थिक निर्णय करने में विविध प्रयोक्ताओं के लिए उपयोगी हो तथा साथ ही किसी निकाय के शेयर धारकों तथा आम जनता को इसकी वर्तमान वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना है।

1.6.4 भारत ने बदलाव तथा संक्रमण की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आईएफआरएस के साथ समाभिरूपता (कंवर्जेन्स) की नीति अपनाई है जिसका भारतीय कम्पनियों तथा नियामक निकायों द्वारा पालन किया जाना आवश्यक है। मौजूदा नीति के अनुसार, आईएफआरएस के साथ समाभिरूपता आईसीएआई/एनएसीएएस के परामर्श से समाभिरूपता की कार्यविधियों को अंतिम रूप देने के बाद 2011 तक स्थापित हो जाने की आशा है।

1.7 01.01.2008 से 31.03.2009 के दौरान कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित अधिसूचनाएं/परिपत्र/प्रेस नोट जारी किए गए हैं :

क. <u>अधिसूचना</u>

क्र सं.	अधिसूचना सं.	दिनांक	विषय
1	एस.ओ.–298 (ई)	12.2.2008	कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 4क के तहत किसी कम्पनी को सार्वजनिक वित्तीय संस्थान घोषित करना।
2	जीएसआर–111 (ई)	27.2.2008	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (कार्यकाल एवं चयन समिति तथा नामों का पैनल चुनने का तरीका) नियमावली, 2008.
3	जीएसआर–212 (ई)	27.3.2008	कम्पनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2006 में संशोधन।
4	एस.ओ.–901 (ई)	22.4.2008	राष्ट्रीय लेखांकन मानक सलाहकार समिति (एनएसीएएस) का गठन।
5	जीएसआर–329 (ई)	1.5.2008	कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 620क के तहत 24 और कम्पनियों को निधि कम्पनियां घोषित करना।
6	जीएसआर–374 (ई)	13.5.2008	कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत अभियोजन दायर करने तथा उसके संचालन हेतु कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 621 के तहत गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय के अधिकारियों को प्राधिकार देना।
7	जीएसआर–387 (ई)	16.5.2008	प्रतिस्पर्धा अपीलीय अधिकरण (चयन समिति का कार्यकाल तथा नामों के पैनल के चयन का तरीका) नियमावली, 2008 को अधिसूचित करना।
8	एस.ओ.–1720 (ई)	30.5.2008	राष्ट्रीय लेखांकन मानक सलाहकार समिति (एनएसीएएस) का गठन।
9	जीएसआर–416 (ई)	30.5.2008	कम्पनी की लेखा–पुस्तकों, अन्य पुस्तकों तथा कागजातों के निरीक्षण हेतु कम्पनी अधिनियम की धारा 209 के तहत गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय के अधिकारियों को प्राधिकार देना।
10	जीएसआर–552 (ई)	23.7.2008	कम्पनी सचिव (परिषद का चुनाव) नियमावली में संशोधन। इन नियमों को संशोधन नियमावली, 2008 कहा गया है।
11	जीएसआर–553 (ई)	23.7.2008	सनदी लेखाकार (परिषद का चुनाव) नियमावली में संशोधन। इन नियमों को संशोधन नियमावली, 2008 कहा गया है।
12	जीएसआर–554 (ई)	23.7.2008	लागत एवं कार्य लेखाकार (परिषद का चुनाव) नियमावली में संशोधन। इन नियमों को संशोधन नियमावली, 2008 कहा गया है।

13	जीएसआर–655 (ई)	12.9.2008	कम्पनी (केन्द्र सरकार) नियम एवं प्रपत्र (संशोधन) नियमावली, 2008 – चार प्रपत्रों नामतः 20बी, 21ए, 23एसी तथा 23एसीए में संशोधन।
14	जीएसआर–2266(ई)	25.9.2008	राष्ट्रीय लेखांकन मानक सलाहकार समिति के गठन में संशोधन।
15	एस.ओ.–727 (ई)	10.10.2008	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (प्रतिस्पर्धा समर्थन के संवर्धन हेतु उपायों संबंधी विवरणिका, प्रतिस्पर्धा संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता तथा प्रशिक्षण) नियमावली, 2008.
16	जीएसआर–787 (ई)	14.11.2008	निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (निवेशक–जागरूकता एवं संरक्षण) (संशोधन) नियमावली, 2008 ।
17	जीएसआर–788 (ई)	14.11.2008	कम्पनी (केन्द्र सरकार) नियम एवं प्रपत्र (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2008। 6 प्रपत्रों नामतः 1बी, 4, 4सी, 18, 22 तथा 32 में संशोधन।
18	जीएसआर–808 (ई)	21.11.2008	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (प्रपत्र एवं वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने का समय) नियमावली, 2008.
19	जीएसआर–824 (ई)	28.11.2008	कम्पनी (केन्द्र सरकार) नियम एवं प्रपत्र (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2008, प्रपत्रों 23बी..... में संशोधन।
20	जीएसआर–833 (ई)	4.12.2008	कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत अभियोजन दायर करने तथा उसके संचालन हेतु गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय के अधिकारियों को प्राधिकार देना।
21	जीएसआर–834 (ई)	4.12.2008	कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत दण्डनीय अपराध के संबंध में धारा 621 की उप–धारा (1) के तहत गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय के अधिकारियों को प्राधिकार देना।
22	जीएसआर–835 (ई)	4.12.2008	कम्पनी (केन्द्र सरकार) नियम एवं प्रपत्र (चौथा संशोधन) नियमावली, 2008.
23	जीएसआर–868 (ई)	22.12.2008	कम्पनी (केन्द्र सरकार) नियम एवं प्रपत्र (पांचवा संशोधन) नियमावली, 2008.
24	जीएसआर–872 (ई)	23.12.2008	कम्पनी (केन्द्र सरकार) नियम एवं प्रपत्र (छठा संशोधन) नियमावली, 2008.
25	जीएसआर–876 (ई)	24.12.2008	कम्पनी (केन्द्र सरकार) नियम एवं प्रपत्र (सातवां संशोधन) नियमावली, 2008.
26	जीएसआर–888 (ई)	24.12.2008	कम्पनी (संशोधन) विनियम, 2008.
27	जीएसआर–4 (ई)	2.1.2009	दिनांक 28.6.2007 की अधिसूचना संख्या जीएसआर–448 (ई) में संशोधन, सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 के तहत गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड का गठन।
28	जीएसआर–11 (ई)	5.1.2009	कम्पनी सचिव की नियुक्ति एवं अर्हता नियमावली, 1988 में संशोधन 15 मार्च, 2009 से प्रवृत्त।
29	जीएसआर–110 (ई)	9.1.2009	दिनांक 1.5.1978 की अधिसूचना संख्या एसओ 1329 (ई) में संशोधन। मैसर्स केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 को सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में अधिसूचित करना।

30	एस.ओ.–143 (ई)	14.1.2009	कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 4क के तहत किसी कम्पनी को सार्वजनिक वित्तीय संस्थान घोषित करना।
31	एस.ओ.–144 (ई)	14.1.2009	राष्ट्रीय लेखांकन मानक सलाहकार समिति के गठन में संशोधन।
32	जीएसआर–35 (ई)	19.1.2009	कम्पनी (भारतीय जमा प्राप्तियां जारी करना) नियमावली, 2004 में संशोधन।
33	जीएसआर–70 (ई)	3.2.2009	कम्पनी अधिनियम, 1956 में संशोधन।
34	जीएसआर–136 (ई)	27.2.2009	भारत का संविधान (अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के वेतन एवं भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें एवं निबंधन) संशोधन नियमावली, 2009.
35	जीएसआर–137 (ई)	27.2.2009	प्रतिस्पर्धा अपीलीय अधिकरण (अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के वेतन एवं भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें एवं निबंधन) नियमावली, 2009.
36	जीएसआर–152 (ई)	5.3.2009	सनदी लेखाकार गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड की बैठकों की पद्धतियां तथा बोर्ड के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के वेतन एवं भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2009.
37	जीएसआर–156 (ई)	6.3.2009	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (कार्यकाल एवं चयन समिति तथा नामों का पैनल चुनने का तरीका) नियमावली, 2009.
38	जीएसआर–163 (ई)	12.3.2009	सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949, दिनांक 28.6.2007 की अधिसूचना संख्या जीएसआर–448 (ई) में संशोधन।
39	जीएसआर–183 (ई)	20.3.2009	कम्पनी (केन्द्र सरकार) सामान्य नियम एवं प्रपत्र (संशोधन) नियमावली, 2009–प्रपत्र 1एए, 1एडी, 23सी तथा 24 में संशोधन।
40	एस.ओ.–789 (ई)	20.3.2009	सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 तथा कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 के तहत अपील प्राधिकरण का गठन।
41	जीएसआर–204 (ई)	27.3.2009	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (वार्षिक लेखा विवरण का प्रपत्र) नियमावली, 2009.
42	एस.ओ.–868 (ई)	27.3.2009	श्री रत्नेश्वर प्रसाद की भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सदस्य के रूप में 1 मार्च, 2009 से नियुक्ति।
43	एस.ओ.–869 (ई)	27.3.2009	श्री हरीश चन्द्र गुप्ता की भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सदस्य के रूप में 28 फरवरी, 2009 से नियुक्ति।
44	एस.ओ.–870 (ई)	27.3.2009	श्री धनेन्द्र कुमार की भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष के रूप में 28 फरवरी, 2009 से नियुक्ति।
45	जीएसआर–225 (ई)	31.3.2009	कम्पनी (लेखांकन मानक) (संशोधन) नियमावली, 2009. एएस–11 में संशोधन।
46	जीएसआर–226 (ई)	31.3.2009	कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची–VI में संशोधन।
47	एस.ओ.–891 (ई)	31.3.2009	सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का छठा) के उपबंधों का 31 मार्च, 2009 से कार्यान्वयन।

ख. <u>प्रेस टिप्पणी</u>

कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा लेखांकन मानकों की अधिसूचना तथा अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आईएएसबी) द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के साथ भारतीय लेखांकन मानकों की समाभिरूपता स्थापित करने की सरकार की मंशा संबंधी दिनांक 13.5.2008 की प्रेस टिप्पणी।

<u>भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई)</u>

1.8 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना 14 अक्तूबर, 2003 को की गई थी। प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत आयोग को निम्नलिखित दायित्व सौंपे गए हैं :

क) प्रतिस्पर्धा पर कुप्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोकना

ख) बाजार में प्रतिस्पर्धा को बनाना तथा इसका उन्नयन करना

ग) उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, और

घ) व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना

<u>एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार आयोग तथा जांच एवं पंजीकरण महानिदेशक</u>

1.9.1 एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार आयोग (एमआरटीपीसी), जो एक अर्ध– न्यायिक निकाय है, की स्थापना एमआरटीपी अधिनियम, 1959 की धारा 5 के अंतर्गत की गई थी, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्य करता है। एमआरटीपी आयोग का मुख्य कार्य अनुचित व्यापार प्रथाओं तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार के संबंध में जांच करना तथा समुचित कार्रवाई करना है। एकाधिकार के व्यापार व्यवहार के मामले में आयोग को धारा 10 (ख) के अंतर्गत ऐसे व्यवहारों जैसे– (i) केन्द्रीय सरकार द्वारा संदर्भित या (ii) स्वयं की जानकारी या सूचना पर, की जांच करने की और आगे कार्रवाई के लिए अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करने की शक्तियां प्राप्त हैं।

1.9.2 जांच एवं पंजीकरण महानिदेशक के कार्यालय की स्थापना, कुछ सांविधिक कार्यों तथा ड्यूटी को निष्पादित करने के उद्देश्य से एकाधिकारी, अवरोधक तथा अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं को प्रतिबंधित करने के लिए वर्ष 1984 में की गई थी ताकि देश में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के इसके उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके, एमआरटीपी अधिनियम, 1969 के अंतर्गत की गयी थी। इस अधिनियम में पिछले 38 वर्षों के दौरान समय–समय पर संशोधन किए गए हैं और वर्ष 1984 तथा 1991 में काफी संशोधन किए गए थे। जैसे ही संस्थागत ढांचा, जिसमें प्रतिस्पर्धा आयोग और प्रतिस्पर्धा अपीलीय प्राधिकरण शामिल हैं, का विधिवत गठन कर लिया जाता है, एमआरटीपीसी अधिनियम को निरस्त कर दिया जाएगा और एमआरटीपीसी को दो वर्षों के अंदर समाप्त कर दिया जाएगा, इस दौरान यह, इसे प्रस्तुत किए गए वर्तमान मामलों का निपटारा करेगा और नए मामले नहीं लेगा।

<u>एमसीए–21 ई–शासन परियोजना</u>

1.10.1 कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने एमसीए–21 इलेक्ट्रॉनिक–शासन परियोजना को लागू कर दिया है। यह राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक–शासन योजना के अंतर्गत भारत सरकार की एक मिशन मोड परियोजना है। इस परियोजना में, पंजीकरण तथा दस्तावेजों को दर्ज कराने सहित कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा मुहैया कराई जा रही रजिस्ट्री संबंधित सभी सेवाओं को समूचे देश में सभी निगमित तथा अन्य निकायों को किसी भी समय उन्हें उपयुक्त लगने वाले तरीके से आसान तथा सुरक्षित ऑनलाइन पहुंच से मुहैया कराए जाने की व्यवस्था है। यह कार्यक्रम परिणाम आधारित है और देश में निगमित क्षेत्र से सम्बद्ध विभिन्न स्टेकहोल्डर्स की सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार पर केंद्रित है।

1.10.2 राष्ट्रीय ई–शासन योजना (एनईजीपी) के तहत भारत सरकार की मिशन मोड परियोजना के रूप में कार्यान्वित एमसीए 21 ई–शासन परियोजना का मुख्य बल सेवाओं के तत्काल एवं दक्ष वितरण पर है। यह परियोजना सभी 20–रजिस्ट्री स्थानों से पूरी तरह से काम कर रही है। वर्ष 2008 के दौरान मुख्य बल प्रचालनों/मूल्य संवर्धन के और अधिक सुद ढ़ीकरण तथा प्रयोक्ता अनुभवों में सुधार करने पर है।

<u>भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए)</u>

1.11.1 व्यापक आर्थिक विकास से भारत अंतर्राष्ट्रीय निवेश का पसंदीदा देश बन गया है। कारपोरेट क्षेत्र का भारत की ब्राण्ड इक्विटी बढ़ाने में प्रमुख योगदान है। कारपोरेट क्षेत्र के त्वरित विकास के लिए इसकी और सहायता करने की आवश्यकता महसूस की गई है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय को इस प्रयास में प्रमुख तथा सक्रिय भूमिका अदा करनी है और इस प्रयोजनार्थ स्टेकहोल्डरों के साथ मिलकर आगे बढ़ना है। मंत्रालय को कम्पनियों के विनियमन, विकास तथा बढ़ोतरी के लिए उनकी उभरती आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है।

1.11.2 उक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह संस्थान, मंत्रालय, कम्पनियों, व्यावसायियों, उद्यमियों, शेयरधारकों तथा स्टेकहोल्डरों को संस्थागत सहायता देगा। अपने स्टेट ऑफ द आर्ट ज्ञान प्रबंधन प्रणाली तथा व्यावहारिक शिक्षण पर मुख्य बल से यह संस्थान आधुनिक युग के व्यापार को सुकर बनाएगा तथा भविष्य की नींव रखेगा।

1.11.3 <u>परिकल्पना, मिशन तथा उद्देश्य</u>

i) आईआईसीए की परिकल्पना प्रतिबद्धता है ''कारपोरेट विकास की सहायतार्थ सम्पूर्ण विचारशील, क्षमता निर्माण, सेवा वितरण संस्थान, सहक्रियाशीलबद्ध ज्ञान प्रबंधन के माध्यम से सुधार एवं विनियमन, वैश्विक भागीदारी तथा तत्काल समाधान''।

ii) प्रत्येक संगठन कुछ विशेष मिशन से बनाया जाता है। इस संस्थान का प्रयास इसकी मिशन प्रतिबद्धता के अनुरूप कार्य करना है। आईआईसीए की मिशन प्रतिबद्धता है ''आईआईसीए वास्तव में नेटवर्क के माध्यम से शीर्ष राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों/ संगठनों से जुड़ा विश्व स्तर का संस्थान होगा जो कम्पनियों के प्रभावी कार्यकरण के लिए महत्वपूर्ण सभी मुद्दों के संबंध में विचारशील संस्थान के रूप में कार्य करेगा, कारपोरेट व्यावसायियों तथा उद्यमियों के लिए ''कारपोरेट कार्य'' नाम से नई बहुविषयी शैक्षिक शाखा विकसित करेगा और स्थापित करेगा और सभी स्टेकहोल्डरों में क्षमता निर्माण हेतु उत्प्रेरक और वितरण तंत्र का कार्य करेगा।''

iii) आईआईसीए, उन उद्देश्यों के आधार पर अपनी अवधारणा के कार्यान्वयन में अद्वितीय संस्थान होगा जिसके लिए इसकी स्थापना की गई है जिन्हें निम्नलिखित विवरण के रूप में परिकल्पित किया गया है:–

क) नैतिक, सम्पोषणीय, प्रतिस्पर्धात्मक व्यापार कार्यनीतियों के माध्यम से 'भावी विकास' का लाभ उठाने के लिए भारत में कारपोरेट जगत को एक नए रूप में तैयार करना जिसमें कारपोरेट तथा सरकार, सम्मिलित विकास और वैश्विक पहचान के लिए मिलकर कार्य करेंगे।

ख) सरकार और कारपोरेट के भागीदार के रूप में कार्य करने, कारपोरेट कानूनों तथा नीतिगत ढांचे, शासन एवं निष्पादन प्रणालियों में निरन्तर सुधार करने तथा उसे नया रूप देने, नया व्यापार परिवेश बनाने तथा परिवर्तनकारियों, कर्त्तव्यनिष्ठ उद्यमियों और वैश्विक व्यापार के भावी मार्गदर्शकों को तैयार करने के लिए संस्थागत समाभिरूपता तंत्र प्रदान करना।

<u>बुनियादी ढांचा खण्ड</u>

1.12 मूलतः निम्नलिखित कार्य मदों की देखरेख हेतु 27.11.2007 को बुनियादी ढांचा खण्ड सृजित किया गया :

(i) मंत्रालय और इसके फील्ड कार्यालयों के लिए भूमि एवं भवन की खरीद।

(ii) मंत्रालय तथा इसके फील्ड कार्यालयों के लिए सभी भवनों (पुराने तथा नए) के निर्माण/नवीकरण/अनुरक्षण हेतु पूंजीगत कार्य।

(iii) मुख्यालय तथा फील्ड स्थलों में किराए पर भवन लेने संबंधी करारों को अंतिम रूप देना।

<u>निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए विशेष उपाय</u>

1.13.1 निवेशकों के हितों की रक्षा करना सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) की प्रतिबद्धता है। मंत्रालय द्वारा इस संबंध में की गई हाल की पहलों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :

- निवेशकों की शिकायतों की पावती 48 घंटों के भीतर दी जाए और उन पर उच्चतम प्राथमिकता देते हुए कार्रवाई की जाए। प्रगति की निरंतर निगरानी की जाए।;
- निवेशक सुरक्षा प्रकोष्ठ न केवल मंत्रालय स्तर पर बल्कि क्षेत्रीय निदेशकों तथा कंपनियों के पंजीयकों के स्तर पर भी खोले गए हैं तथा ये कार्य कर रहे हैं और नियुक्त किए गए नोडल अधिकारियों के नाम तथा पते उनके दूरभाष के साथ मंत्रालय की वेबसाइट पर डाले गए हैं। उन्हें सभी प्रमुख समाचार–पत्रों में भी प्रकाशित किया गया है।
- ऑनलाइन निवेशक शिकायत समाधान प्रणाली प्रारंभ की गई और यह कार्य कर रही है।

- क्षेत्र अधिकारियों को, निवेशक सुरक्षा कार्यक्रमों को स्थानीय स्तर पर शुरू करने के लिए एनजीओ को प्रोत्साहित करने के निदेश दिए गए हैं।

1.13.2 दीर्घावधि पहल के भाग के रूप में विद्यमान कंपनी अधिनियम की व्यापक समीक्षा की जा रही है ताकि इसे बदलते हुए व्यापार के रूप और राष्ट्रीय तथा वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के अनुसार बनाया जा सके।

निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि (आईईपीएफ)

1.14.1 निवेशकों की जागरूकता में वृद्धि और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205सी के अंतर्गत कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1999 के माध्यम से निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि (आईईपीएफ) स्थापित की गई है।

1.14.2 आईईपीएफ के अंतर्गत, इसमें पंजीकृत स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा संगठनों के माध्यम से निवेशक शिक्षा तथा जागरूकता पर कई कार्यक्रमों का वित्त–पोषण तथा आयोजना की गई है। आज तक आईईपीएफ के अंतर्गत पंजीकृत संगठनों की संख्या लगभग 69 हो गई है।

1.14.3 वर्ष 2008–09 में मंत्रालय ने निवेशकों की जागरूकता तथा जानकारी बढ़ाने के लिए विभिन्न पहल की हैं जो इस प्रकार हैं :

i) निवेशकों और आईईपीएफ के बारे में मुद्दों पर जागरूकता लाने के लिए प्रसार भारती के माध्यम से आल इंडिया रेडियों पर निवेशक शिक्षा संदेश प्रसारित किया गया।

ii) आईईपीएफ के अंतर्गत मिडास टच निवेशक संघ के माध्यम से शिकायतों को दूर करने और निवेशकों में जागरूकता लाने हेतु तंत्र मुहैया कराने के उद्देश्य से एक निवेशक हेल्पलाइन– www.investorhelpline.in परियोजना प्रायोजित की गई और इसे शुरू किया गया।

iii) इसके अतिरिक्त, एक वेबसाइट नामतः www.watchoutinvestors.com जो आर्थिक चूककर्त्ताओं की एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री है और विभिन्न नियामक प्राधिकरणों द्वारा चलाए जाने वाले अभियोजनों पर जानकारी देती है, न केवल निवेशकों और भावी निवेशकों को अपितु वकीलों, सनदी लेखाकारों तथा कम्पनी सचिवों को भी उपयोगी सेवाएं दे रही है।

iv) 2007–08 के दौरान माननीय कारपोरेट कार्य मंत्री द्वारा www.iepf.gov.in परियोजना के नाम से शुरू की गई अन्य वेबसाइट निवेशक जागरूकता तथा शिक्षा के उपाय के रूप में वित्तीय साक्षरता के क्षेत्र में निरंतर ज्ञान के आदान–प्रदान का मंच प्रदान कर रही है। शुरू की गई अन्य वेबसाइट निवेशक जागरूकता तथा शिक्षा के उपाय के रूप में वित्तीय साक्षरता के क्षेत्र में निरंतर ज्ञान के आदान–प्रदान का मंच प्रदान कर रही है।

v) वर्ष के दौरान, मंत्रालय द्वारा सितम्बर, 2008 से नवम्बर, 2008 की अवधि को ''निवेशक जागरूकता तिमाही'' के रूप में मनाया गया। इस समारोह का आयोजन भारतीय सनदी लेखकार संस्थान तथा भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान के सहयोग से किया गया। देशभर में 50 से अधिक स्थानों पर निवेशक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

vi) 'क्षमता निर्माण कार्यक्रम' के तहत, विशेषतः तालुक स्तर पर सक्रिय नए संगठनों के लिए भारतीय पूंजी बाजार संस्थान (आईआईसीएम) के माध्यम से 'प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण' कार्यक्रम आयोजित किया गया।

vii) निवेशक शिक्षा पर राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय भाषा समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए गए। इन विज्ञापनों के माध्यम से निवेशकों को ''आईईपीएफ के अंतर्गत वेबसाइट्स'', ''निवेशक जागरूकता तिमाही'' आदि के बारे में निवेशकों को जागरूक बनाने के प्रयास किए गए।

राष्ट्रीय कारपोरेट शासन प्रतिष्ठान (एनएफसीजी)

1.15.1 कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने निगमित सुशासन से संबंधित मुद्दों पर विचार–विमर्श करने हेतु एक मंच मुहैया कराने और निगमित सुशासन व्यवहार के महत्व पर निगमित प्रमुखों के सुग्राहीकरण, निगमित प्रमुखों, नीति

निर्माताओं, नियामकों, विधि प्रवर्तन एजेंसियों तथा गैर–सरकारी संगठनों के मध्य अनुभव तथा विचारों के आदान–प्रदान को सुगम बनाने के लिए एक गैर–लाभ न्यास के रूप में राष्ट्रीय कारपोरेट शासन प्रतिष्ठान का गठन किया है।

1.15.2 एनएफसीजी का इसके प्रबंधन हेतु एक 3 स्तरीय ढांचा है अर्थात् कारपोरेट कार्य मंत्री की अध्यक्षता में शासी परिषद, न्यासी बोर्ड तथा अधिशासी निदेशालय।

1.15.3 एनएफसीजी ने उत्क भटता के संस्थानों के माध्यम से निदेशकों के लिए अनुकूलन कार्यक्रम प्रायोजित किए, कारपोरेट शासन की उत्तम प्रथाओं का अनुसरण करने की आवश्यकता के समर्थन में सेमिनार तथा सम्मेलन आयोजित किए।

1.15.4 गत कुछ वर्षों से, एनएफसीजी ने निजी निगमों तथा समग्र अर्थव्यवस्था, दोनों स्तरों पर कारपोरेट शासन की उत्तम प्रथाओं के कार्यान्वयन के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न पहल की हैं। वर्ष 2008 के दौरान एनएफसीजी द्वारा की गई कुछेक पहल इस प्रकार हैं :

(क) आईआईएम–बी तथा आईसीएसआई की भागीदारी से पांच ''निदेशक अनुकूलन'' कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं;

(ख) कारपोरेट शासन तथा सीएसआर से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सीआईआई, ओईसीडी, आईसीएआई, आईसीएसआई, एसीजीए तथा सिम्बायसिस इंस्टीट्यूट, पुणे की भागीदारी में 12 सेमिनार/सम्मेलन तथा कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं; और

(ग) इसके अलावा, एनएफसीजी के तत्वावधान में कारपोरेट शासन तथा सीएसआर के संबंध में वाद विवाद प्रतियोगिता तथा अनुसंधान अध्ययन भी शुरू किए गए।

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ)

1.16.1 भारत सरकार द्वारा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय की स्थापना दिनांक 02.07.2003 के संकल्प द्वारा की गई थी। इस कार्यालय की स्थापना गंभीर तथा जटिल प्रकृति की कारपोरेट धोखाधड़ियों की जांच करने के लिए की गई थी।

1.16.2 एसएफआईओ बहु–विषयी जांच एजेंसी है जिसमें कारपोरेट धोखाधड़ी को पकड़ने के लिए बैंक, पूंजीगत बाजार, कम्पनी कानून, सिविल कानून, न्यायिक लेखा–परीक्षा, कराधान, सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्र के विशेषज्ञ मिलकर कार्य करते हैं। इस समय, यह कार्यालय कम्पनी अधिनियम की धारा 235 और 247 के उपबंधों के तहत जांच कर रहा है। तथापि, मंत्रिमंडल द्वारा यथा अनुमोदित इस संगठन को पर्याप्त शक्तियां देने तथा इसमें पहुंच प्रदान करने के लिए द्वितीय चरण में एसएफआईओ के लिए एक पृथक विधान पारित किया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ मंत्रालय ने एसएफआईओ के लिए पृथक विधान पारित करने की आवश्यकता की जांच करने तथा उपयुक्त सिफारिश करने के लिए पहले ही वेपा कमेसम समिति गठित कर दी है।

1.16.3 एसएफआईओ का अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष के रूप में निदेशक है। निदेशक, भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी होता है। निदेशक की सहायता के लिए अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, वरिष्ठ सहायक निदेशक तथा सहायक निदेशक हैं जो दल के रूप में किसी मामले की जांच करते हैं। एसएफआईओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा मुम्बई में एक शाखा कार्यालय है।

1.16.4 जनवरी, 2008 से 31 मार्च, 2009 के दौरान, एसएफआईओ के अधिकारियों को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 235/237 के अंतर्गत जांच हेतु 17 मामले सौंपे गए थे। अभी तक एसएफआईओ के अधिकारियों को जांच हेतु कुल 68 मामले भेजे गए हैं। 31.03.2009 तक 37 मामलों में निरीक्षकों ने अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। 01.01.2008 से 31.03.2009 तक सरकार को निम्नलिखित जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं :

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख
1	शोंख टेक्नॉलॉजिस इंटरनेशनल लि0	02.05.2008
2	लिफिन इंडिया लि0	12.03.2009
3	जेवीजी होटल्स लि0	31.03.2009
4	जेवीजी पब्लिकेशंस लि0	31.03.2009
5	जेवीजी टेक्नो इंडिया लि0	31.03.2009
6	जेवीजी होल्डिंग्स लि0	31.03.2009
7	एसएचसीआईएल सर्विसेज लि0	31.03.2009

1.16.5 31.03.2009 तक निम्नलिखित कंपनियों में धोखाधड़ी की गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के विरूद्ध विभिन्न अदालतों में अभियोजना के 756 मामले पहले ही दायर किए जा चुके हैं :

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	दायर किए गए कुल मामले	
		कम्पनी कानून के तहत	भारतीय दण्ड संहिता के तहत
1.	देवू मोटर्स इंडिया लि0	21	2
2.	डिजाइन ऑटो सिस्टम्स लि0	11	2
3.	बोनांजा बायोटेक लि0	16	1
4.	वत्स कार्पोरेशन लि0	106	8
5.	मार्डिया केमिकल्स लि0	22	1
6.	साउंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज लि0	35	9
7.	कोलार बायोटेक लि0	24	3
8.	एडम कोमसोफ लि0	21	4
9.	डीएसक्यू सॉफ्टवेयर लि0	23	2
10.	उषा इंडिया लि0	27	7
11.	मालविका स्टील लि0	27	6
12.	कोशिका टेलीकॉम लि0	41	3
13.	चित्रकूट कम्प्यूटर्स प्रा0लि0	16	2
14.	क्लासिक क्रेडिट लि0	17	1
15.	क्लासिक शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज लि0	36	0
16.	गोल्डफिश कम्प्यूटर्स प्रा0 लि0	22	1
17.	केएनपी सिक्योरिटीज प्रा0 लि0	15	0
18.	लूमिनेंट इन्वेस्ट्रेड प्रा0 लि0	11	0
19.	मनमंदिर एस्टेट डेवलपमेंट प्रा0 लि0	2	1
20.	एनएच सिक्योरिटीज लि0	24	1
21.	पैंथर फिनकैप एंड मैनेजमेंट सर्विसेज लि0	24	2
22.	पैंथर इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट्स लि0	25	0
23.	पैंथर इन्वेस्ट्रेड लि0	14	1
24.	साईमंगल इन्वेस्ट्रेड लि0	18	1
25.	ट्रायंफ इंटरनेशनल फाइनेंस इंडिया लि0	10	2
26.	वीएन पारेख सिक्योरिटीज प्रा0 लि0	12	0
27.	ट्रायंफ सिक्योरिटीज प्रा0 लि0	22	1
28.	नक्षत्र सॉफ्टवेयर प्रा0 लि0	17	2
29.	मोरपेन लैबोरेट्रीज लि0	12	5
30.	शोंख टेक्नॉलॉजिस लि0	17	0
	कुल	**688**	**68**

मंत्रालय की वेबसाइट

1.17.1 एमसीए21 ई–शासन परियोजना की शुरूआत से मंत्रालय ने नया पोर्टल www.mca.gov.in खोला है। यह पोर्टल मंत्रालय के कार्यकलापों तथा कार्यक्रमों से संबंधित प्रामाणिक जानकारी का एक वास्तविक माध्यम है। इसके अलावा, यह पोर्टल एमसीए के रजिस्ट्री सम्बद्ध सभी सेवाओं की सुलभता हेतु वर्चुअल फ्रंट आफिस के रूप में कार्य करता है। इस वेबसाइट की कुछ प्रमुख विषय–वस्तु इस प्रकार हैं :

1. मंत्रालय के अधिकारियों तथा इसके फील्ड कार्यों से संबंधित सूचना 'अबाउट अस' खण्ड में दी गई है।
2. अधिनियमों, विधेयकों, नियमावलियों, परिपत्रों, अधिसूचनाओं, मार्गदर्शी सिद्धांतों आदि के ब्यौरे ''अधिनियम, विधेयक एवं नियम'' खण्ड में दिए गए हैं।
3. 'सूचना' खण्ड के तहत, अवधारण दस्तावेज, आईईपीएफ निधि–कम्पनियां, प्रेस–विज्ञप्ति तथा लुप्त प्रायः और चूककर्ता कम्पनियों के ब्यौरे 'ड्रॉप–डाउन' में दिए गए हैं।
4. कम्पनी की वर्तमान तथा विगत वार्षिक रिपोर्ट, प्राप्ति एवं भुगतान विवरण, स्कीम–वार व्यय विवरण ''रिपोर्ट एवं सांख्यिकी'' खण्ड में दिए गए हैं।

1.17.2 निवेशक तथा कारपोरेट सम्बद्ध सेवाएं, अंत में मध्य भाग में 6 श्रेणीबद्ध बॉक्स में दी गई हैं।

1.17.3 ''रोल चेक – डिजिटल हस्ताक्षर दर्ज करें'' नामक प्रथम बॉक्स में ''हस्ताक्षर संबंधी ब्यौरे देखें'' दिया गया है। इस विण्डो से नागरिक कम्पनी के निदेशकों/प्रबंधक/सचिव के बारे में डाटा आधार प्राप्त कर सकते हैं। यह सेवा निःशुल्क उपलब्ध है।

1.17.4 ''निदेशक पहचान नम्बर'' नामक दूसरे बॉक्स में कम्पनी के मौजूदा या प्रत्याशित निदेशकों के लिए विस्तृत डीआईएन प्राप्त करने की पद्धतियां तथा प्रपत्र भरने की सुविधा उपलब्ध है।

1.17.5 'डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करें' नामक तीसरे बॉक्स से स्टेकहोल्डर 'डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण–पत्र' प्राप्ति में प्रमाणक प्राधिकारियों की वेबसाइट में ऑनलाइन सुगम्यता प्राप्त कर सकते हैं।

1.17.6 ''वेरीफाई कम्पनी मास्टर डाटा एंड इन्डेक्स ऑफ चार्जेज'' नामक चौथा बॉक्स निवेशकों तथा वित्तीय संस्थानों के लिए उपयोगी सेवा है। 'व्यू कम्पनी मास्टर डाटा' में 15 प्रमुख पैरामीटरों में किसी कम्पनी के बारे में मूल ब्यौरे हैं। कोई भी नागरिक इसे, इस पोर्टल पर निःशुल्क प्राप्त कर सकता है। बैंक और वित्तीय संस्थान किसी कम्पनी के संबंध में सत्यापन पर काफी पैसा खर्च करते थे। अब यह सुविधा किसी कम्पनी के सभी मौजूदा प्रभारों के संबंध में उपलब्ध है जिसे निःशुल्क ऑनलाइन देखा जा सकता है।

1.17.7 पांचवा तथा छठा बॉक्स ''ऐनुअल फाइलिंग कॉर्नर'' और ''ई–फाइलिंग कॉर्नर'' प्रायः प्रयुक्त सेवाओं में शीघ्र सुलभता प्रदान करते हैं।

1.17.8 इसके अलावा, पोर्टल में निःशुल्क सेवा देने वाले महत्वपूर्ण सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट में सुगम्यता के लिए अलग 'इन्वेस्टर्स लिंक' प्रदान किया गया है।

1.17.9 उपर्युक्त के अलावा, पोर्टल के दोनों ओर फाइलिंग से संबंधित 'परस्पर उपयोग' सेवाएं तथा सूचना प्रदान की गई हैं।

1.17.10 पोर्टल के दायीं ओर स्टेकहोल्डर अपनी फाइलिंग की स्थिति तथा ट्रैक ट्रांजेक्शन स्टेटस तथा ट्रैक पेमेंट स्टेटस के माध्यम से किए गए भुगतान ऑनलाइन देख सकते हैं। यह सेवा परस्पर उपयोगी है और इससे तत्काल स्थिति का पता लगाया जा सकता है। साथ ही स्टेकहोल्डर, फी–केलकुलेटर के माध्यम से ई–फाइलिंग के लिए फाइलिंग शुल्क के बारे में जान सकते हैं। 'चेक कम्पनी या एलएलपी नेम' से स्टेकहोल्डर नाम अनुमोदन के लिए आवेदन फाइल करने से पहले नामों की उपलब्धता के बारे में जान सकते हैं। नियामक सूचना के तहत, स्टेकहोल्डर प्लान्टेशन कम्पनी, एनबीएफसी कम्पनियों, निधि कम्पनियों, सेक्शन 25 कम्पनियों, चिट फण्ड कम्पनियों तथा लुप्त हो रही कम्पनियों के ब्यौरे जान सकते हैं।

1.17.11 पोर्टल की बायीं ओर, स्टेकहोल्डर प्राधिक त बैंकों तथा सुविधा केन्द्रों के स्थान का पता लगा सकते हैं और उन्हें देख सकते हैं।

1.17.12 सहायता और सशक्तिकरण के लिए प्रशिक्षण टिप्पणियां तथा कम्प्यूटर आधारित प्रशिक्षण उपलब्ध हैं।

मंत्रालय का नागरिक चार्टर

1.18 कारपोरेट कार्य मंत्रालय का नागरिक चार्टर मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। चार्टर में उल्लिखित हमारी प्रतिबद्धताएं, अपेक्षाएं तथा मानक नीचे दिए गए हैं :

नागरिक चार्टर

''हमारी प्रतिबद्धताएं

हम अपने कार्य

सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता
सद्भाव और समझदारी,
स्पष्टता और पारदर्शिता
स्वच्छता और कुशलता
के साथ पूरा करेंगे।

हमारी अपेक्षाएं

हम, निगमित क्षेत्र से, तत्परता से अपने कर्त्तव्य और विधिक बाध्यताएं पूरा करने एवं औचित्यपूर्ण होने तथा हमें सूचना उपलब्ध कराने में सत्यनिष्ठ होने तथा ईमानदारी रखने की अपेक्षा करते हैं।

हमारे मानक

हम

- आवेदनों, विवरणियों और सभी पत्रों आदि की उनके प्राप्त होने के 7 दिनों के अंदर पावती भेजेंगे।
- एजेंसियों के साथ निरंतर सहयोग से पत्रों और शेयर/डिबेंचर प्रमाण–पत्रों के आबंटन जारी करने में विलंब, आवेदनों से प्राप्त राशि को लौटाने, शेयरों के हस्तांतरण में विलंब और लाभांशों/शेयरों/डिबेंचरों/सावधिक जमाओं आदि पर ब्याज के गैर–भुगतान से संबंधित शिकायतों का तत्परता से निपटान करेंगे।
- सुनिश्चित करेंगे कि कारपोरेट कार्य मंत्रालय, प्रादेशिक निदेशकों और कंपनी रजिस्ट्रारों को प्रस्तुत किए गए सभी आवेदनों पर निश्चित समय के अंदर कार्रवाई की गई है।
- शिष्टाचारी, त्वरित, प्रभावी सिद्ध होंगे और समयबद्ध/सेवाएं प्रदान करेंगे।
- बिना किसी शुल्क या कानून द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक के अलावा किसी राशि की मांग किए बिना सभी सेवाएं उपलब्ध कराएंगे।''

अध्याय–2

संगठनात्मक ढांचा और कार्य

संगठनात्मक ढांच

2.1.1 कम्पनी अधिनियम, 1956 के कार्यान्वयन हेतु मंत्रालय का 3 स्तरीय संगठनात्मक ढांचा है अर्थात नई दिल्ली स्थित सचिवालय, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई और नोएडा में क्षेत्रीय निदेशालय तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कम्पनी रजिस्ट्रार और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कंपनी पंजीयक के 20 कार्यालय हैं और देश में कार्यरत उच्च न्यायालयों से सम्बद्ध शासकीय परिसमापक के 16 कार्यालय हैं जो मंत्रालय के समग्र प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। उपरोक्त कार्यालयों/ संघठनों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित पैराग्राफों में दिया गया है।

क. मुख्यालय

2.1.2 मुख्यालय के संगठन के अंतर्गत एक सचिव, एक अपर सचिव, दो संयुक्त सचिव, एक आर्थिक सलाहकार, एक लागत सलाहकार, दो निदेशक जांच तथा अन्वेषण तथा कर्मचारीवृन्द, अनुसंधान एवं सांख्यिकीय हेतु एक आर्थिक सलाहकार और कानून, लेखांकन, आर्थिक एवं सांख्यिकीय मामलों के संबंध में विशेष परामर्श देने वाले अन्य अधिकारी हैं। इस मंत्रालय के मंत्री कार्यालय तथा अधिकारियों के नाम तथा दूरभाष की सूची **अनुबंध–1** में दी गई है।

ख. क्षेत्रीय निदेशक

2.1.3 चार क्षेत्रीय निदेशक अपने संबंधित क्षेत्रों के प्रभारी हैं, जिनमें कई राज्य और संघ शासित क्षेत्र सम्मिलित हैं। ये निदेशक अपने–अपने प्रदेशों में कार्यरत कंपनी पंजीयकों और शासकीय परिसमापकों के कार्यालयों में होने वाले कामकाज का पर्यवेक्षण करते हैं। वे कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रशासन संबंधी मामलों के संबंध में राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के बीच सम्पर्क भी बनाए रखते हैं। कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार की कुछ शक्तियां क्षेत्रीय निदेशकों को प्रत्यायोजित की गई हैं। उनको विभागाध्यक्ष भी घोषित किया गया है। कंपनी अधिनियम की धारा 209क के अधीन कंपनियों की लेखा बहियों का निरीक्षण करने के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय निदेशक के कार्यालय के साथ एक निरीक्षण यूनिट भी है।

ग. कम्पनी रजिस्ट्रार

2.1.4 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 609 के अंतर्गत विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के लिए नियुक्त कंपनी रजिस्ट्रारों का संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कार्य कर रही कंपनियों के पंजीकरण करने का प्राथमिक कर्त्तव्य होता है और उन्हें यह सुनिश्चित करना होता है कि ये कंपनियां, अधिनियम के अंतर्गत सांविधिक अपेक्षाओं का पालन भी कर रही हैं। उनके कार्यालय वहां पंजीकृत कंपनियों से संबंधित अभिलेखों की रजिस्ट्री के रूप में कार्य करते हैं जो निर्धारित शुल्क के भुगतान पर आम जनता द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होते हैं। केन्द्र सरकार संबंधित क्षेत्रीय निदेशकों के माध्यम से इन कार्यालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखती है।

घ. शासकीय परिसमापक

2.1.5 शासकीय परिसमापक कंपनी अधिनियम की धारा 448 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों से सम्बद्ध हैं। शासकीय परिसमापक क्षेत्रीय निदेशक के प्रशासनिक प्रभार के अंतर्गत आते हैं जो इनके कार्य का केन्द्र सरकार की ओर से पर्यवेक्षण करते हैं। तथापि, कंपनियों को बंद किए जाने के कार्यों में शासकीय परिसमापक उच्च न्यायालयों के निर्देशों तथा पर्यवेक्षण के अंतर्गत आते हैं। साथ ही कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 463 के तहत यह सुनिश्चित करने के लिए शासकीय परिसमापकों पर नियंत्रण रखना केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वे निष्ठा से अपनी ड्यूटी करते हैं और वे उक्त अधिनियम तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत उन पर लागू सभी अपेक्षाओं का पालन करते हैं।

2.1.6 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 457 में यथा निर्धारित शासकीय परिसमापकों की ड्यूटी तथा शक्तियां मुख्यतः कम्पनी को देय ऋण की वसूली के लिए ऋण प्राप्तकर्ताओं के विरूद्ध दावे दायर करना, कम्पनी की चल

व अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री, जो शासकीय परिसमापक ने कम्पनी के भूतपूर्व निदेशकों के कृत्याकृत्यों तथा विश्वास भंग करने के लिए उनके विरूद्ध आपराधिक मामले और कदाचार की कार्यवाही शुरू करने के लिए अपने अधिकार में ले ली है, ऋणदाताओं से दावे मांगना, दावों का निर्णय एवं निपटान, लाभांश के जरिए ऋणदाताओं को भुगतान, जहां कहीं आवश्यक हो, अंशदायियों की सूची का निपटान, ऐसे मामलों में पूंजी के लाभ का भुगतान जिनमें कम्पनी की परिसम्पत्तियां इसकी देयताओं से अधिक हैं और अंततः कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 481 के तहत कम्पनी को भंग करना है।

2.1.7 उक्त उल्लिखित कार्यों के अलावा, मंत्रालय, अनेक सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों जैसे कम्पनी विधि बोर्ड, एमआरटीपीसी, डीजीआई एंड आर का कार्यालय (एमआरटीपी अधिनियम के तहत), भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) के कार्यकरण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में जिम्मेदार है। मंत्रालय, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) तथा राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी), जिन्हें कम्पनी (द्वितीय) संशोधन अधिनियम, 2002 के अनुसरण में स्थापित किया जाना परिकल्पित है, के संस्थागत ढांचे से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने में भी कार्यरत है।

2.1.8 क्षेत्रीय निदेशकों व कंपनी रजिस्ट्रारों की सूची, उनके पते के साथ अनुबंध–II पर दी गई है। मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट अनुबंध–III पर और प्रमुख अधिकारियों की सूची अनुबंध– IV पर दी गई है।

कंपनी विधि बोर्ड

2.2 केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 31.5.1991 की अधिसूचना सं. 364 द्वारा एक स्वतंत्र कंपनी विधि बोर्ड का गठन किया है। यह बोर्ड एक अर्ध–न्यायिक निकाय है जिसके पास कुछ ऐसी न्यायिक तथा अर्ध–न्यायिक शक्तियां हैं जिनका उपयोग पहले उच्च न्यायालय अथवा केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता था। बोर्ड केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में नहीं है और उसे शक्तियां प्राप्त हैं कि वह अपनी स्वयं की पद्धति का विनियमन करे और विवेक से स्वतंत्रतापूर्वक व्यवहार करे। बोर्ड की प्रधान खण्डपीठ नई दिल्ली में है तथा दक्षिणी राज्यों के लिए चेन्नई में अतिरिक्त प्रधान खण्डपीठ है और दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई और चेन्नई में चार क्षेत्रीय खंडपीठ स्थित हैं।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार आयोग

2.3 एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (एमआरटीपी) कारपोरेट कार्य मंत्रालय का एक सम्बद्ध सांविधिक कार्यालय है जो एक अर्ध–न्यायिक निकाय है। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 5 के अंतर्गत स्थापित एमआरटीपी आयोग, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपने कार्य का निर्वहन कर रहा है। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार आयोग का मुख्य कार्य अनुचित व्यापार व्यवहार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार के संबंध में जांच करना तथा समुचित कार्रवाई करना है। अवरोधक व्यापार व्यवहार के मामले में, आयोग को धारा 10(ख) के अंतर्गत ऐसे व्यवहारों, जैसे कि (i) केन्द्रीय सरकार द्वारा संदर्भित या (ii) अपने स्वयं की जानकारी या सूचना पर, की जांच करने और आगे कार्रवाई के लिए अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करने की शक्तियां प्राप्त हैं।

जांच एवं पंजीकरण महानिदेशक

2.4.1 जांच एवं पंजीकरण महानिदेशक के कार्यालय की स्थापना एकाधिकार, अवरोधक तथा अनुचित व्यापार व्यवहार को प्रतिबंधित करने के लिए एमआरटीपी अधिनियम, 1969 के अंतर्गत कुछ सांविधिक कार्यों तथा ड्यूटी को निष्पादित करने के उद्देश्य से वर्ष 1984 में की गई थी ताकि देश में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के इसके उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। इस अधिनियम में पिछले 38 वर्षों के दौरान समय–समय पर संशोधन किए गए हैं और वर्ष 1984 तथा 1991 में काफी संशोधन किए गए थे। भारत सरकार ने विद्यमान एमआरटीपी अधिनियम, 1969 को प्रतिस्थापित करने के लिए अब 'प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002' प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2007 के रूप में यथा संशोधित अधिनिगमित किया है। जैसाकि उक्त अधिनियम को अभी अधिसूचित किया जाना है, अभी एमआरटीपी अधिनियम, 1969 के उपबंध प्रचलन में हैं और यह कार्यालय अधिनियम में विहित अपने सांविधिक कार्यों तथा ड्यूटी को निष्पादित करने को जारी रखे हुए है।

2.4.2 जांच एवं पंजीकरण महानिदेशक के कार्यः–

जांच :

(क) अधिनियम की धारा 11 तथा 36सी के अंतर्गत प्रारंभिक जांच करना और एमआरटीपी आयोग के विचार हेतु प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(ख) अवरोधक, एकाधिकारी तथा अनुचित व्यापार व्यवहार की स्वतः प्रारंभिक जांच करना और जहां उपयुक्त हो ऐसी जांच के आधार पर धारा 10(क)(3), 10(ख) तथा

36ख(ग) के अंतर्गत आयोग के समक्ष आवेदन दायर करना;

(ग) आयोग के निदेशानुसार किसी भी व्यापार प्रक्रिया जो कि एकाधिकारी, अवरोधक अथवा अनुचित व्यापार व्यवहार हो अथवा उसमें योगदान देता हो, का अध्ययन करना, जांच करना तथा उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

पंजीकरण :

(क) अधिनियम की धारा 33(1) के अंतर्गत आने वाली अवरोधक व्यापार व्यवहार से संबंधित धारा 35 के अंतर्गत समझौते प्राप्त करना;

(ख) निर्धारित प्रारूप में समझौतों का एक रजिस्टर रखना और उसमें पंजीकरण के अधीन समझौतों के ब्यौरों की प्रविष्टियां करना (धारा 36(1));

(ग) एमआरटीपी आयोग के निदेशानुसार प्रविष्टि करने के लिए रजिस्टर में एक विशेष खंड बनाना (धारा 36(2) तथा (3));

(घ) अवरोधक व्यापार व्यवहार से संबंधित निबंधन एवं शर्तों वाले समझौतों के पंजीकरण से संबंधित धारा 35 के उपबंधों का अनुपालन न करने के लिए धारा 48 के अंतर्गत अभियोजन हेतु कार्रवाई प्रारंभ करना;

(ङ) जनता को समझौतों के रजिस्टर को जांच हेतु प्रस्तुत करना और विधिवत प्रमाणित सार की एक प्रति मुहैया करवाना (धारा 65);

(च) समझौतों के पक्षकारों से, जहां कहीं आवश्यक हो, और जानकारी मंगवाना जो कि पंजीकरण के अधीन होगी (धारा 42);

(छ) अवरोधक व्यापार व्यवहार से संबंधित खंडों को समाविष्ट करने वाले समझौतों अथवा महानिदेशक (आई एंड आर) के संज्ञान में आने वाली किसी अन्य सूचना के आधार पर उत्पन्न होने वाले अवरोधक व्यापार व्यवहार में जांच हेतु एमआरटीपी आयोग के समक्ष धारा 10(क)(3) के अंतर्गत आवेदन दायर करना;

(ज) आयोग द्वारा अवरोधक अथवा अनुचित व्यापार व्यवहार जैसा भी मामला हो, के संबंध में पारित प्रत्येक आदेश को विहित तरीके से रिकार्ड करना (धारा 19)।

उपभोक्ता संरक्षण :

(क) उपभोक्ता संस्थाओं, व्यक्तियों आदि से अवरोधक, अनुचित तथा एकाधिकारी व्यापार व्यवहार के तहत शिकायतें प्राप्त करना और शिकायतों के समाधान हेतु उन पर आवश्यक कार्रवाई करना;

(ख) उपभोक्ता संरक्षण से सम्बद्ध उपभोक्ता संस्थाओं और अन्य निकायों को अवरोधक, एकाधिकारी तथा अनुचित व्यापार व्यवहार के तहत उपभोक्ता संरक्षण हेतु एमआरटीपी अधिनियम के उपबंधों के संबंध में शिक्षित करना।

जांच अभियोजन :

(क) जनहित के रक्षक के तौर पर एमआरटीपी आयोग के समक्ष एकाधिकारी, अवरोधक तथा अनुचित व्यापार व्यवहार के तहत जांच में सभी कार्यवाही का संचालन करना;

(ख) आयोग के आदेशों के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में अधिनियम की धारा 55 के अंतर्गत दायर सभी अपीलों पर मुकद्मा लड़ना;

(ग) अवरोधक, एकाधिकारी तथा अनुचित व्यापार व्यवहार के तहत जनहित की रक्षा के लिए देश में विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष दायर रिट याचिकाओं पर मुकद्मा लड़ना और आयोग के आदेशों का बचाव करना।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

2.5.1 इस समय भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इसके कार्य शुरू करने से संबंधित प्रतिस्पर्धा समर्थन और प्रशासनिक उपायों से जुड़ी गतिविधियों में कार्यरत है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से अधिनियम के अंतर्गत तैयार किए जाने वाले विभिन्न मसौदा विनियमनों को तैयार करने की प्रक्रिया में भी लगा हुआ है। इसके सांविधिक कार्य को प्रभावी ढंग से करने को सक्षम बनाने के लिए आयोग द्वारा पहचाने गए प्रमुख क्षेत्रों में एक है पेशेवर तथा सहायक स्टाफ की भर्ती करना।

2.5.2 आयोग द्वारा 1.1.2008 से 31.3.2009 तक किए गए विभिन्न कार्यकलाप इस प्रकार हैं:–

(क) विनियम

2.5.3 यह अधिनियम आयोग को इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विनियम बनाने का अधिकार प्रदान करता है। आयोग के पूरी तरह गठित होने पर इसके द्वारा विचारार्थ और अपनाए जाने हेतु विनियमों का मसौदा तैयार करने का कार्य हाथ में लिया गया है। निम्नलिखित मसौदा विनियम तैयार किए गए हैं (विभिन्न एसोसिएशनों, संस्थानों, विनियमन सलाहकार समिति से परामर्श करके) और इन्हें सीसीआई की वेबसाइट पर डाला गया है :

(i) मसौदा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सामान्य) विनियम, 200

(ii) मसौदा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (व्यापार संव्यवहार हेतु बैठक), विनियम, 200

(iii) मसौदा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (कम शास्ति), विनियम, 200

(iv) मसौदा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (उत्पादन लागत का निर्धारण), विनियम, 200

(v) मसौदा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजन), विनियम, 200

(vi) मसौदा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (विशेषज्ञों तथा अन्य व्यावसायियों का सेवा–उपयोग), विनियम, 200

(ख) प्रतिस्पर्धा समर्थन

2.5.4 प्रवर्तन कार्य के शीघ्र शुरू होने को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2008–09 के दौरान समर्थन कार्य को तेज कर दिया गया। समर्थन कार्य कई तरह से शुरू किया गया : समर्थन सेमिनार/कार्यशालाएं, समर्थन लघु–पुस्तिकाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा बाजार शोध अध्ययन।

2.5.5 सीसीआई ने स्वयं या राज्य सरकारों, उद्योग संघों तथा शैक्षिक संस्थानों सहित स्टेकहोल्डरों के सहयोग से पूरे देश में चालू वर्ष के दौरान 20 से अधिक सेमिनार/कार्यशालाएं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। सरकार के अनेक वरिष्ठ अधिकारियों ने आयोग के कार्यालय द्वारा कारपोरेट कार्य मंत्रालय के साथ मिलकर 11 जुलाई, 2008 को नई दिल्ली में ''ओईसीडी प्रतिस्पर्धा मूल्यांकन टूल किट'' पर आयोजित कार्यशाला में भाग लिया।

2.5.6 वर्ष के दौरान राज्य या क्षेत्रीय स्तर पर समर्थन सेमिनार शुरू करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता के कार्यक्रम की घोषणा की गई तथा इसे राज्य सरकारों को परिचालित किया गया।

2.5.7 समर्थन साहित्य का विकास तथा प्रसार एक प्राथमिकता रही है। प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2007 को ध्यान में रखते हुए, समर्थन लघु–पुस्तिकाओं नामतः प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (एएक्यू), ''कार्टेल्स'', ''बोली जालसाजी एवं बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर)'' को अद्यतन बनाया गया। तीन लघु–पुस्तिकाएं नामतः वर्चस्व का दुरूपयोग, उद्यमियों तथा संयोजक के लिए प्रतिस्पर्धा पालन कार्यक्रम तैयार की गई है और इन्हें वर्ष के दौरान स्टेकहोल्डरों में परिचालित किया गया है। व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु उक्त पुस्तकों का हिन्दी पाठ प्रकाशित करने के उपाय किए जा रहे हैं।

2.5.8 इस वर्ष भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अपनी नई वेबसाइट www.cci.gov.in शुरू की है।

(ग) प्रतिस्पर्धा मंच

2.5.9 प्रतिस्पर्धा मंच की बैठकें समय–समय पर आयोजित की जाती हैं जिनमें विभिन्न क्षेत्रों के प्रख्यात व्यावसायी/विशेषज्ञ शामिल होते हैं। प्रतिस्पर्धा मुद्दों पर वार्ता तथा विचार–विमर्श हेतु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रख्यात विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है। अभी तक प्रतिस्पर्धा मंच के 49 सत्र आयोजित किए गए हैं। मंच के ब्यौरे आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

(घ) अंतः शिक्षुता कार्यक्रम

2.5.10 आयोग ने विद्यार्थियों तथा व्यावसायियों को अंतः शिक्षुता सुविधा प्रदान की। 2008–09 के दौरान, कुल 19 उम्मीदवारों ने विभिन्न विषयों पर आयोग में अंतः शिक्षुता की है और सफल अंतः शिक्षुओं की परियोजना रिपोर्टों को आयोग की वेबसाइट पर डाला गया है।

(ड.) शोध अध्ययन

2.5.11 शोध अध्ययन कार्यक्रम की शुरूआत से 18 अध्ययन चालू किए गए जिनमें से 16 अध्ययन पूरे कर लिए गए हैं और शेष अध्ययनों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कानून और अन्य संगत पृष्ठभूमि के अर्थशास्त्रियों तथा व्यावसायियों की सलाहकार समिति, आयोग को

अध्ययनों के चयन, निगरानी तथा अनुमोदन में सहायता करती है। 18 अध्ययनों में से 11 अध्ययन क्षेत्र विशिष्ट हैं जो सामान्यतया विनिर्माण क्षेत्र और विशेषतः सीमेंट, टायर, कीटनाशक, पेंट्स क्षेत्रों से संबंधित अध्ययन करेंगे। इन अध्ययनों में सेवा क्षेत्रों जैसे सड़क परिवहन–यात्री एवं माल–भाड़ा दोनों, ऊर्जा क्षेत्र, जिसमें विद्युत, ऑयल, गैस तथा कोयला शामिल हैं।

(च) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के कार्य की शुरूआत

2.5.12 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने पूरी तरह काम करना शुरू कर दिया है और श्री धनेन्द्र कुमार इसके अध्यक्ष तथा श्री एच.सी. गुप्ता और श्री रत्नेश्वर प्रसाद इसके सदस्य हैं। विगत में तैयार किए गए मसौदा नियमों तथा विनियमों की आयोग में जांच की जा रही है। गहन जांच के परिणामस्वरूप, मसौदा विनियमों में सुधार किया जा रहा है और इन्हें अधिसूचित किए जाने से पहले स्टेकहोल्डरों की टिप्पणियों हेतु आयोग की वेबसाइट पर डाला गया है।

2.5.13 इस अधिनियम में आयोग के दैनिक खर्चों की पूर्ति हेतु ''प्रतिस्पर्धा निधि'' के गठन की परिकल्पना की गई है। आयोग ने ''प्रतिस्पर्धा निधि'' के संचालन हेतु निम्नलिखित सदस्यों की समिति नियुक्त करके ''प्रतिस्पर्धा निधि'' के कार्य की शुरूआत के उपाय किए हैं।

1. श्री एच.सी. गुप्ता, सदस्य, सीसीआई
2. श्री आर. प्रसाद, सदस्य, सीसीआई

2.5.14 इस समय आयोग, मसौदा विनियमों को अंतिम रूप देने, व्यावसायियों तथा सहायक स्टाफ के प्रारंभिक दल को भर्ती करने और आयोग के सुचारू कार्यकरण के लिए अपेक्षित अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था करने में लगा है।

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय

2.6.1 एसएफआईओ एक बहु खंडीय अन्वेषण एजेंसी है जिसमें बैंकिंग क्षेत्र, पूंजी बाजार, कंपनी विधि, सामान्य विधि, फोरंसिक लेखा परीक्षा, कराधान सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों के विशेषज्ञ कंपनी धोखाधड़ी को पकड़ने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। वर्तमान में एसएफआईओ, कंपनी अधिनियम की धारा 235 से 247 तक उपबंधों के अंतर्गत अन्वेषण कार्य कर रहा है। तथापि, जैसाकि मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई है दूसरे चरण में एसएफआईओ को पर्याप्त शक्तियां दी जाएंगी और इस तक पहुंच बनाई जाएगी। इस उद्देश्य के लिए मंत्रालय द्वारा वेपा कामेसन समिति की स्थापना एसएफआईओ के लिए एक पृथक विधान बनाने की आवश्यकता की जांच करने और उपयुक्त सिफारिश करने के लिए की गई है।

2.6.2 एसएफआईओ उन धोखाधड़ी से जुड़े मामलों की जांच करता है जो – (क) जटिल और अंतर–विभागीय और बहुखंडीय प्रकृति, (ख) पर्याप्त जनहित के अंतर्ग्रस्त होने का आंकलन धनराशि के गबन अथवा किसी व्यक्ति के प्रभावित होने की गंभीरता के रूप में किया जाता है, और (ग) अन्वेषण की संभावना जो प्रणाली, विधि अथवा प्रक्रिया में स्पष्ट सुधार में योगदान देने के लिए हो।

2.6.3 एसएफआईओ, विभाग का अध्यक्ष एक निदेशक होता है। वह भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी होता है। उसके नीचे अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, वरिष्ठ सहायक निदेशक और सहायक निदेशक होते हैं जो किसी मामले के अन्वेषण हेतु एक दल का भाग होते हैं। एसएफआईओ का मुख्यालय दिल्ली में है और इसकी एक शाखा मुम्बई में है।

2.6.4 फरवरी–मार्च, 2009 में एसएफआईओ का पुनर्गठन किया गया और विभिन्न स्तरों पर नए पद सृजित किए गए। वर्तमान में, अतिरिक्त/संयुक्त निदेशक के 18 स्वीकृत पद, उप–निदेशक के 8 पद और वरिष्ठ सहायक निदेशक और सहायक निदेशक के 59 स्वीकृत पद हैं। इन पदों में से अतिरिक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक का एक पद और सहायक निदेशक के चार पर मुम्बई शाखा कार्यालय के लिए स्वीकृत हैं। जब भी कंपनी अधिनियम की धारा 235 अथवा 237 के अंतर्गत अन्वेषण हेतु मंत्रालय द्वारा कोई मामला भेजा जाता है तो विभिन्न क्षेत्रों से लिए गए अधिकारियों से एक टीम बनायी जाती है जिसका मुखिया अतिरिक्त/संयुक्त निदेशक होता है जो उस मामले की जांच करता है और अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपता है। रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद मंत्रालय द्वारा अभियोजन की स्वीकृति दी जाती है और तत्पश्चात मंत्रालय द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार, एसएफआईओ द्वारा सक्षम न्यायालय में अभियोजन दायर किया जाता है।

बुनियादी ढांचा अनुभाग

2.7.1 नवम्बर, 2007 में बुनियादी ढांचा अनुभाग की शुरूआत से यह अनुभाग भूमि अधिग्रहण, खरीदी गई भूमि पर भवन निर्माण, तैयार कार्यालय स्थल की खरीद तथा नया रूप देने के लिए इन तैयार कार्यालय स्थल का नवीकरण तथा उनकी साज–सज्जा करके मंत्रालय के फील्ड कार्यालयों को बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 1.4.2008 से

31.3.2009 की अवधि के दौरान निम्नलिखित हासिल करने में इस अनुभाग की अहम भूमिका थी :

(i) अत्यधिक प्रयासों के बाद, कम्पनी विधि बोर्ड, दक्षिणी क्षेत्र पीठ, चेन्नई तथा शासकीय परिसमापक, चेन्नई के कार्यालय के लिए चेन्नई में यूटीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लि0 से 27,279 वर्ग फीट कार्पेट क्षेत्र का तैयार स्थल खरीदा गया। इस कार्यालय स्थल का नवीकरण किया गया तथा उसकी सजावट की गई ताकि यथासंभव उत्तम कार्यकरण परिवेश प्रदान किया जा सके। शासकीय परिसमापक का कार्यालय इस तैयार स्थल से सुचारू रूप से काम कर रहा है।

(ii) प्रस्तावित एनसीएलटी तथा शासकीय परिसमापक, बेंगलूर के कार्यालय के लिए बेंगलूर में यूटीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लि0 से 21,552 वर्ग फीट कार्पेट क्षेत्र वाला तैयार कार्यालय स्थल खरीदा गया। समुचित कार्यकरण परिवेश प्रदान करने के लिए इस तैयार कार्यालय स्थल का भी नवीकरण किया गया तथा उसकी साज–सज्जा की गई।

(iii) शासकीय परिसमापक, इलाहाबाद के कार्यालय के किराए के परिसर की जर्जर हालत को ध्यान में रखते हुए, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण से 90 वर्ष के पट्टे पर 10,750 वर्ग फीट क्षेत्र का तैयार स्थल खरीदा गया। शासकीय परिसमापक, इलाहाबाद के कार्यालय को बेहतर जगह प्रदान करने के लिए उक्त स्थल का नवीकरण किया जा रहा है।

(iv) जयपुर में मंत्रालय के सभी फील्ड कार्यालयों नामतः कम्पनी रजिस्ट्रार, शासकीय परिसमापक तथा प्रस्तावित एनएलसीटी को एक जगह लाने तथा साथ ही प्रशिक्षण सुविधा की व्यवस्था करने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण से भूमि खरीदी गई। निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। नए भवन का उद्घाटन 27 फरवरी, 2009 को माननीय कारपोरेट मंत्री द्वारा किया गया। संबंधित कार्यालय अप्रैल, 2009 से नव निर्मित भवन से काम करना शुरू करेगा।

(v) मंत्रालय ने कम्पनी रजिस्ट्रार, जलंधर, शासकीय परिसमापक, चण्डीगढ़ तथा प्रस्तावित एनएलसीटी के कार्यालयों के लिए चण्डीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड से भी भूमि खरीदी। निर्माण कार्य पूरे जोरों पर है और इसके अगले दो माह में पूरा हो जाने की संभावना है।

(vi) मंत्रालय ने कम्पनी रजिस्ट्रार, शासकीय परिसमापक तथा प्रस्तावित एनएलसीटी के कार्यालयों के लिए भी कटक में कटक विकास प्राधिकरण से भूमि खरीदी। निर्माण कार्य पूरे जोरों पर है और इसके अगले दो माह में पूरा हो जाने की आशा है।

(vii) हैदराबाद में संयुक्त भवन की व्यवस्था करने के उद्देश्य से खान मंत्रालय से भारतीय भू–विज्ञान सर्वेक्षण के बारे में बात की गई। काफी विश्वास दिलाने के बाद खान मंत्रालय ने इस मंत्रालय के कार्यालय परिसर के निर्माण हेतु हैदराबाद में 2 एकड़ भूमि के आबंटन को मंजूरी दे दी। सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, मंत्रालय के नाम भूमि अंतरित कर दी गई। 1 मार्च, 2009 को माननीय कारपोरेट मंत्री द्वारा भवन के निर्माण की आधारशिला रखी गई।

(viii) शहरी विकास मंत्रालय से लगातार बात करने से मंत्रालय को पर्यावरण भवन में सामान्य पूल के कार्यालय स्थल के तहत 7,900 वर्ग फीट कार्पेट क्षेत्र के कार्यालय स्थल का आबंटन कर दिया गया। इस स्थल के साथ–साथ पर्यावरण भवन में पहले से मंत्रालय के अधिकार में स्थल का नवीकरण किया गया है ताकि कम्पनी विधि बोर्ड को बेहतर स्थल प्रदान किया जा सके क्योंकि शास्त्री भवन में तथा अन्य फील्ड कार्यालयों में इसके पास पर्याप्त जगह नहीं है। नवीकृत कार्यालय का उद्घाटन 26 फरवरी, 2009 को माननीय कारपोरेट मंत्री द्वारा किया गया।

लागत लेखा–परीक्षा शाखा

2.8 कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत लागत लेखा परीक्षा शाखा का संचालन भारतीय लागत लेखा सेवा के पेशेवर व्यक्तियों द्वारा किया जाता है और यह कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1)(घ) तथा 233ख से संबंधित कार्य करती है। शाखा, धारा 209(1)(घ) के अंतर्गत विभिन्न उद्योगों/उत्पादों के लिए लागत लेखा लेखांकन रिकार्ड नियमावली तैयार करती है और इसे अधिसूचित करती है। यह नियमावली उस विधि को निर्धारित करती है जिसमें कंपनियों की विनिर्दिष्ट श्रेणी द्वारा लागत रिकार्ड का अनुरक्षण किया जाना होता है। शाखा द्वारा प्रौद्योगिकी, विनिर्माण प्रक्रिया और लेखांकन

मानकों में आए बदलाव को दिखाने के लिए वर्तमान सीएआरआर की तर्कसंगतता पर कार्य किया जाता है। धारा 233ख के अंतर्गत मंत्रालय की पूर्व अनुमति से निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त लागत लेखा परीक्षक से लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट नियमावली के अनुसार लागत रिकार्ड की लागत लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए कंपनियों को आदेश जारी किए जाते हैं।

सूचना का अधिकार (आरटीआई) निगरानी प्रकोष्ठ

2.9.1 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय में 5.10.2005 से एक निगरानी प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है जो विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त जानकारी हेतु अनुरोधों का रिकार्ड रखता है और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत समय–सीमा के भीतर ऐसे अनुरोधों पर कार्यवाही/अंतिम निपटान की प्रगति पर निगरानी रखता है।

2.9.2 आरटीआई अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अनुसार मंत्रालय तथा इसके सभी क्षेत्र/सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के लिए सी.पी.आई.ओ. तथा अपीलीय अधिकारी पदनामित किए गए हैं।

2.9.3 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 (3) के अंतर्गत 1.4.07 से 31.3.2008 तक केन्द्रीय सूचना आयोग को प्रस्तुत सूचना के अनुसार, मंत्रालय और इसके सभी क्षेत्र/सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालय द्वारा आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत कुल 1588 आवेदन तथा आवेदन शुल्क के रूप में 22844 रू. प्राप्त किए गए। इनमें से 7 अपीलों को केन्द्रीय सूचना आयोग की समीक्षा हेतु भेजा गया।

2.9.4 मंत्रालय के आरटीआई निगरानी प्रकोष्ठ से संबंधित समन्वय अनुभाग के अन्य कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं :–

क. जैसाकि आरटीआई अधिनियम, 2005 में अपेक्षित है, आरटीआई से संबंधित सभी मामलों पर मंत्रालय की वेबसाइट पर अद्यतन सूचना रखना।

ख. मंत्रालय द्वारा आरटीआई के कार्यान्वयन में प्रगति पर सीआईसी को नियमित तथा अद्यतन सूचना/रिपोर्ट प्रदान करना।

ग. आरटीआई, 2005 से संबंधित मामलों पर सीआईसी तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सभी कार्यालय आदेशों/परिपत्रों का मंत्रालय में व्यापक परिचालन।

घ. मंत्रालय से संबंधित आरटीआई के मामलों पर कैबिनेट नोट/सचिवों के समिति के लिए नोट हेतु मंत्रालय को जानकारी उपलब्ध कराना।

ड. मंत्रालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आरटीआई अधिनियम से जुड़े मुद्दों के कार्यान्वयन की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करना।

लिंगमूलक बजट प्रकोष्ठ

2.10 कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने सरकार की बजट प्रणाली में लिंगमूलक विश्लेषण को शामिल करने के उद्देश्य से एक जेंडर बजट प्रकोष्ठ स्थापित किया है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय के जेंडर बजट प्रकोष्ठ द्वारा मंत्रालय की विभिन्न शाखाओं तथा क्षेत्रीय कार्यालयों और सम्बद्ध कार्यालयों तथा पेशेवर संस्थानों से कारपोरेट कार्य मंत्रालय में जेंडर प्रतिनिधित्व पर सूचना/डाटाबेस प्रणाली बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। कारपोरेट कार्य मंत्रालय में जेंडर बजट प्रकोष्ठ का उद्देश्य है, कारपोरेट क्षेत्रोन्मुख नीतियां, समानता तथा महिला अधिकारिता के मुद्दों को कैसे प्रभावित करती हैं इसे ध्यान में रखते हुए बजट आबंटन में जेंडर संवेदनशीलता की बढ़ती जागरूकता में गति लाना। जेंडर बजट प्रकोष्ठ द्वारा सरकारी विभागों तथा साथ ही अन्य देशों में प्राथमिकता वाले विकास कार्यक्रमों में तथा जेंडर विशिष्ट आवश्यकताओं की और उसके कार्यान्वयन में श्रेष्ठ प्रथाओं का अध्ययन किया जाएगा।

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण/राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण

2.11 कंपनी (द्वितीय) संशोधन 2002 में एनसीएलटी/एनसीएलएटी से संबंधित संस्थागत ढांचे का प्रावधान किया गया था। यह परिकल्पना की गई है कि एनसीएलटी कम्पनियों के परिसमापन और बंद करने, समामेलन और मिलाने के मामले के संबंध में कंपनी विधि बोर्ड, औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड तथा उच्च न्यायालय के कार्य करेगा तथा उन शक्तियों का इस्तेमाल करेगा जो इस समय उक्त निकायों के पास हैं। तथापि, एनसीएलटी/एनसीएलएटी के गठन को मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई जिसने अप्रैल, 2004 में अपना निर्णय दिया। तत्पश्चात, केन्द्र सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में एक एसएलपी दायर की गई। एसएलपी पर उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनवाई की गई जिसके पश्चात यह मामला शीर्ष न्यायालय द्वारा संविधान की खंडपीठ को भेज दिया गया। परिणामस्वरूप एनसीएलटी/एनसीएलएटी की स्थापना अभी तक नहीं की जा सकी है।

अध्याय–3

कंपनी अधिनियम, 1956 और इसका कार्यान्वयन

3.1 कंपनियां, अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। हमारे देश में, कंपनी अधिनियम, 1956 मुख्यतः कंपनियों के गठन, उनके परिसमापन से लेकर बंद होने तक विभिन्न कार्यकलापों को विनियमित करता है। अधिनियम में विभिन्न संगत पहलुओं, जिसमें कंपनियों के संगठनात्मक, वित्तीय तथा प्रबंधकीय पहलू शामिल हैं, के संबंध में नियामक ढांचा निर्धारित है। कम्पनियों के बंद होने संबंधी मामले वर्तमान में मुख्यतः उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। कारपोरेट शासन, कंपनियों का ढांचा और उनकी अपने पणधारकों के प्रति देयताओं, सांविधिक प्रकटन बाध्यताओं, निरीक्षण, जांच एवं प्रवर्तन की शक्तियों और विलयनों/समामेलनों/व्यवस्थाओं/पुनर्गठनों, आदि जैसे कंपनी प्रक्रियाओं का विनियमन अधिनियम का मुख्य कार्य है। निगमित क्षेत्र के कार्यकरण में कंपनियों की स्वतंत्रता के साथ–साथ निवेशकों तथा शेयरधारकों की रक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है। कंपनी अधिनियम, विभिन्न पणधारकों के हितों के महत्व को समझते हुए और उनकी रक्षा करते हुए, कंपनियों की पारदर्शिता और जवाबदेही युक्त कार्यकरण के लिए आवश्यक कारपोरेट शासन संबंधी आवश्यकताओं के लिए एक सांविधिक मंच के रूप में कार्य करता है। इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य, संक्षिप्त में, निम्नानुसार हैं :–

(क) पणधारकों की स्वतंत्रता के प्रयोग के जरिए, पणधारकों के हितों का संरक्षण करना;

(ख) समुचित प्रकटनों, आदि के जरिए लेनदारों, वित्तीय संस्थाओं आदि जैसे अन्य पणधारकों के हितों को सुरक्षित करना;

(ग) विलयों/समामेलन, आदि सहित कंपनी प्रक्रियाओं के विनियमन के लिए डांचा उपलब्ध करना; और

(घ) सरकार को लोकहित तथा विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रवर्तन की पर्याप्त शक्तियां प्रदान करना ताकि अनैतिक प्रबंधन से सभी संबंधितों के हितों की रक्षा की जा सके।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति निम्नलिखित पैराग्राफों में बताए गए उपायों के माध्यम से की जाती है।

कंपनियों का विनियमन

3.2.1 कंपनी अधिनियम, 1956, समामेलन, शासन तथा परिसमापन/बंद होने संबंधी प्रक्रियाओं की व्यवस्था के अलावा केन्द्रीय सरकार को कंपनियों की लेखा बहियों का निरीक्षण करने, विशेष लेखा परीक्षा के लिए निदेश देने, कंपनियों के कार्यकलापों के अन्वेषण का आदेश देने और कंपनी अधिनियम, 1956 के उल्लंघन के लिए अभियोजन चलाने की शक्तियां प्रदान करता है। कंपनियों की लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों की जांच, निरीक्षण और अन्वेषण निदेशालय और कंपनी रजिस्ट्रार के अधिकारियों द्वारा की जाती है। ये निरीक्षण यह पता लगाने के लिए किए जाते हैं कि कंपनियां अपने कार्यकलापों को कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार चला रही हैं या नहीं अथवा क्या कंपनी गैर–कानूनी/धोखाधड़ीपूर्ण कार्यों में संलिप्त है, जिससे शेयरधारकों, देनदारों, कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। जहां कहीं निरीक्षण रिपोर्ट में ऐसी सूचना मिलती है, जिससे अन्य विभागों और अभिकरणों जैसे वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, प्रवर्तन निदेशालय, राज्य सरकार अथवा भविष्य निधि प्राधिकरण आदि का सरोकार हो तो यह सूचना उन्हें भेज दी जाती है। यदि किसी निरीक्षण से प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी अथवा छल का कोई मामला प्रकट होता है तो उस मामले की कंपनी अधिनियम के तहत जांच हेतु कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के तहत कार्रवाई आरंभ की जाती है।

3.2.2 कंपनी अधिनियम की धारा 235 और 237 में केन्द्र सरकार को इन धाराओं में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के अधीन कंपनी के कार्यकलापों की जांच करने का आदेश देने की शक्ति प्रदान की गई है। निरीक्षकों को नियुक्त करने, जांच कराने और जांच की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने की शक्ति भी केंद्र सरकार के पास है। कंपनी विधि बोर्ड को किसी कंपनी के मामलों की जांच कराने के लिए सदस्यों के आवेदनों पर विचार करने की शक्ति भी प्राप्त है। इस प्रकार की शक्तियां जांच करने के आदेश देने के लिए ऐसी परिस्थितियों में होती हैं, जहां कंपनी का व्यापार

उसके लेनदारों को धोखा देने के आशय से अथवा गैर–कानूनी प्रयोजनों के लिए, या इस रीति से किए जा रहे हों जो इसके किसी सदस्य के लिए अन्यायपूर्ण हो अथवा वह कंपनी किसी कपटपूर्ण अथवा गैर–कानूनी प्रयोजन के लिए बनाई गई हो।

3.2.3 कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1988 में एक नई धारा 621क शामिल की गई है, जिसके अंतर्गत कंपनी विधि बोर्ड तथा क्षेत्रीय निदेशकों को यह शक्तियां प्रदान की गई हैं कि वे अभियोजन के स्थान पर अपराधों को जुर्माने द्वारा दंडनीय बनाने के लिए परिवर्तन कर सकते हैं। शमन करने की शक्ति का प्रयोग उन अपराधों के संबंध में नहीं किया जा सकता जिनमें केवल कारावास या कारावास तथा जुर्माना दोनों का दण्ड दिया जा सकता हो।

3.2.4 पब्लिक लिमिटेड कंपनी की अनुषंगी पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट कंपनी कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 388 के साथ पठित धारा 269 के अंतर्गत प्रबंधकीय कार्मिक नियुक्त कर सकती है तथा उन्हें अधिनियम की धारा 198 और 309 के अंतर्गत (अनुसूची xiii के साथ पठित) यथानिर्धारित केंद्र सरकार के बिना किसी अनुमोदन के स्वतः ही पारिश्रमिक प्रदान कर सकती है। तथापि, कतिपय परिस्थितियों में कंपनी को केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना होता है। ये परिस्थितियां निम्न हैं :–

1. यदि कंपनी को कोई हानि/अपर्याप्त लाभ हो तथा प्रस्तावित पारिश्रमिक कंपनी की प्रभावी पूंजी के आधार पर अनुसूची xiii के अंतर्गत यथानिर्धारित सीमा से अधिक हो।
2. यदि, कंपनी लाभार्जक कंपनी हो, तो प्रदान किया जाने वाला प्रस्तावित पारिश्रमिक एक प्रबंधकीय कार्मिक के मामले में निवल लाभ के 5 प्रतिशत से अधिक तथा एक से अधिक प्रबंधकीय कार्मिक के मामले में निवल लाभ के 10 प्रतिशत से अधिक हो।
3. यदि, कंपनी ने अपने ऋणों (पब्लिक निक्षेपों सहित) और इस पर ब्याज का भुगतान करने में चूक की हो।
4. जब कंपनी की कोई पारिश्रमिक समिति न हो।
5. जब नियुक्त कार्मिक एनआरआई हो।
6. यदि गैर–कार्यकारी निदेशकों के मामले में, भुगतान किया जाने वाला पारिश्रमिक एक प्रबंधकीय कार्मिक होने पर कंपनी के निवल लाभ के 1 प्रतिशत से अधिक हो तथा एक से अधिक प्रबंधकीय कार्मिक होने पर कंपनी के निवल लाभ के 3 प्रतिशत से अधिक हो।
7. यदि कंपनी ने अधिनियम की अनुसूची xiii के भाग–। में यथानिर्धारित अधिनियम का उल्लंघन किया हो तथा प्रस्तावित प्रबंधकीय कार्मिक को ऐसे उल्लंघन के लिए कोई दंड दिया गया हो या संबंधित प्राधिकारी ने जुर्माना लगाया हो।

निवेशक शिकायत प्रबंधन

3.3.1 कारपोरेट कार्य मंत्रालय का निवेशक शिकायत प्रबंधन प्रकोष्ठ (आईजीएमसी) जिसका पुराना नाम निवेशक सुरक्षा प्रकोष्ठ (आईपीसी) था, निवेशकों की शिकायतों से निपटने के लिए 1993 में स्थापित किया गया था। इस प्रकोष्ठ का कार्य, कम्पनी रजिस्ट्रार के माध्यम से निवेशकों की शिकायतों की सुनवाई करना है। यह प्रकोष्ठ, इस मंत्रालय में प्राप्त परंतु भारतीय रिजर्व बैंक, आर्थिक कार्य विभाग और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए उक्त एजेंसियों के साथ समन्वय भी करता है। मुख्यतः शिकायतें निम्नलिखित मुद्दों से संबंधित होती हैं :–

1. वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होना।
2. लाभांश राशि प्राप्त न होना।
3. आवेदन राशि को वापस न लौटाया जाना।
4. परिपक्व जमा राशियों और उस पर ब्याज का भुगतान न होना।
5. डुप्लीकेट शेयर प्राप्त न होना।
6. शेयरों के अंतरण का पंजीकरण नहीं किया जाना।
7. शेयर प्रमाण–पत्रों का जारी न किया जाना।
8. डिबेंचर प्रमाण–पत्र की प्राप्ति न होना।
9. राइट बोनस शेयर जारी न किया जाना।
10. विलंब भुगतान पर ब्याज न दिया जाना।
11. डिबेंचर तथा उस पर ब्याज का विमोचन न होना।
12. कन्वर्सन पर शेयर प्रमाण–पत्र की प्राप्ति न होना।

3.3.2 निवेशकर्ता/जमाकर्ता मंत्रालय की वेबसाइट www.mca.gov.in का इस्तेमाल करके एमसीए–21 कार्यक्रम के जरिए आईजीएमसी में अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। इस प्रणाली के तहत ऑनलाइन दर्ज शिकायत का एक नम्बर दिया जाता है जिसे शिकायत के बारे में आगे जानकारी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

3.3.3 फील्ड कार्यालयों को निवेशक शिकायत निवारण कार्य में सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए सभी क्षेत्रीय निदेशकों के कार्यालयों, कम्पनी रजिस्ट्रारों तथा मंत्रालय में मुख्यालय में एक नामोद्दिष्ट अधिकारी की अध्यक्षता में नोडल दल बनाया गया है। निवेशक, क्षेत्रीय स्तर पर संबंधित नोडल अधिकारियों से अपनी शिकायतों के बारे में बात कर सकते हैं। यदि किसी निवेशक को ऐसी शिकायत है जिसे काफी समय बाद भी दूर नहीं किया गया है तो उसे मंत्रालय स्तर पर नोडल अधिकारी की जानकारी में लाया जा सकता है।

3.3.4 01.01.2008 से 31.03.2009 के दौरान आईजीएमसी को मुख्यालय में निवेशकों से 914 शिकायतें प्राप्त हुईं जबकि 1011 शिकायतें गत वर्ष से लंबित थीं। इनमें से 472 शिकायतों को निपटा दिया गया है। उक्त 914 शिकायतों में से आईजीएमसी को अन्य एजेंसियों से संबंधित 299 शिकायतें (105 सेबी, 78 आरबीआई तथा 116 हार्डशिप कमेटी (सीएलबी) से संबंधित) प्राप्त हुई और इन्हें आवश्यक कार्रवाई हेतु उक्त एजेंसियों को भेज दिया गया।

लुप्त हो रही कम्पनियां

3.4.1 1990 के दशक के प्रारंभ में पूंजी बाजार में बहुत तेजी आई और अनेक कम्पनियों ने पब्लिक इशू निकालकर पूंजी बाजार से धन जुटाया। तथापि बाद में पब्लिक इशू के माध्यम से धन जुटाने वाली कुछ कम्पनियां निवेशकों के पैसे लेकर गायब हो गई।

3.4.2 27.2.99 को वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसार सचिव कारपोरेट कार्य मंत्रालय (तत्कालीन कम्पनी कार्य विभाग) तथा अध्यक्ष, सेबी की सहअध्यक्षता में समन्वय एवं निगरानी समिति (सीएमसी) नामक एक संयुक्त तंत्र गठित किया गया जिसे दोषी कम्पनियों/प्रवर्तकों से संबंधित नीतिगत मुद्दों को निपटाने तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों तथा भारतीय दण्ड संहिता और सेबी अधिनियम, 1992 के संगत उपबंधों के तहत लुप्त होने वाली कम्पनियों के विरूद्ध कार्रवाई करने के संबंध में प्रगति पर निगरानी रखने का कार्य सौंपा गया। सीएमसी में एमसीए, सेबी, आरबीआई तथा आर्थिक कार्य विभाग के प्रतिनिधि हैं और मंत्रालय के चार क्षेत्रीय निदेशकों के तहत क्षेत्रीय विशेष कार्यबल सीएमसी की सहायता करते हैं और इसमें कम्पनी रजिस्ट्रारों, क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिजर्व बैंक और संबंधित राज्य सरकारों के नोडल अधिकारी होते हैं।

3.4.3 1992–98 के दौरान आईपीओ जारी करने वाली 229 कम्पनियों में से 116 कम्पनियों का पता लगा लिया गया है और अब ये कम्पनियां नियमित रूप से सांविधिक विवरणियां आदि भरती हैं। सीएमसी के कार्यकरण के साथ, लुप्त होने वाली कम्पनियों की संख्या में काफी कमी आई और 1998–2001 के दौरान केवल 8 कम्पनियों को लुप्त होने वाली कम्पनियां पाया गया जबकि इस अवधि के बाद लुप्त होने वाली कम्पनियों की संख्या 'शून्य' थी। अंततः यह सराहनीय बात है कि सीएमसी के गठन का प्रस्ताव तथा इसका कार्यकरण लुप्त होने वाली कम्पनियों के मामलों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में सफल रहा है। इसके अलावा, ई–शासन परियोजना के कार्यान्वयन, जिसमें निदेशकों की पहचान निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) के जरिए स्थापित की जाती है, से लुप्त होने वाली कम्पनियों के मामलों को नियंत्रित करने में भी सहायता मिली है। तथापि, मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के सभी प्रयास कर रहा है कि लुप्त होने वाली कम्पनियों तथा इसके प्रवर्तकों/निदेशकों के विरूद्ध दर्ज शिकायतों में विभिन्न मंचों पर विधिवत रूप से कार्रवाई करके उन्हें निपटाया गया है।

जमा स्वीकार करना

3.5.1 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58ए, जो 1.2.1975 से प्रभावी हुई गैर–बैंकिंग गैर–वित्तीय कंपनियों द्वारा जमा हेतु आमंत्रण तथा उसे स्वीकार किए जाने को नियंत्रित करती है। कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियमावली, 1975 जिसे धारा 58ए की उपधारा (1) के अनुपालन में बनाया गया था, इन कंपनियों द्वारा जनता अथवा अपने सदस्यों से जमा आमंत्रित करने और अथवा स्वीकार करने की सीमाओं, तरीकों और शर्तों, जिनके अधीन जमा लिए जाएंगे, को निर्धारित करती है। इन नियमों में यह उपबंध यथा अपेक्षित है कि प्रत्येक कंपनी को जमा आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन देते समय ठीक गत 2 वित्तीय वर्षों हेतु कंपनी की वित्तीय स्थिति का सार भी प्रकाशित करना होता है। इन नियमों में जमा को स्वीकार करने को शासित करने वाली निम्नलिखित शर्तें भी निर्धारित हैं :

- कंपनी के निवल मूल्य के संदर्भ में जमा को स्वीकार करने की उच्चतम सीमाएं।

- जमा को स्वीकार किए जाने हेतु 36 माह की अधिकतम अवधि।
- दलाली की अधिकतम दर जो कंपनी द्वारा उन दलालों को दी जा सकती है जिनके माध्यम से जमा एकत्र किए गए हैं।
- जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए वर्ष के दौरान परिपक्व होने वाले ऐसी जमा राशियों के 15 प्रतिशत तक को नकद प्रतिभूतियों में रखा जाना जिन्हें विशिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश किया जाना होता है।
- जमा पर देय ब्याज की अधिकतम दर।

3.5.2 धारा 58 की उपधारा (8) केन्द्र सरकार को, यदि वह आवश्यक समझे, तो किसी कठिनाई अथवा किसी अन्य उचित तथा पर्याप्त कारण हेतु कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1974 के प्रारंभ होने की तिथि से (इससे पूर्व नहीं) कम्पनी या कम्पनी समूह को किसी कंपनी अथवा कंपनियों के समूह को सामान्य तौर पर या किसी एक विशिष्ट अवधि के लिए विशिष्ट रूप से निर्धारित की गई शर्तों के अधीन भूतलक्षी या भविष्यलक्षी प्रभाव से धारा 58ए के सभी अथवा किसी उपबंध के अनुपालन हेतु समय अवधि बढ़ाने अथवा इसमें छूट देने की शक्तियां देती है। कंपनियों के किसी वर्ग को छूट दिए जाने के मामले में ऐसा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श से किया जाएगा।

3.5.3 धारा 58ए की उपधारा (9) तथा (10) कंपनी विधि बोर्ड को जमा को निर्धारित समय और आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार भुगतान न किए जाने के किसी भी मामले का संज्ञान लेने के लिए प्राधिकृत करती हैं। कंपनी विधि बोर्ड के आदेशों का अनुपालन न करने पर 3 वर्ष तक की सजा और ऐसे अनुपालन न किए जाने तक प्रत्येक दिन हेतु न्यूनतम 500 रू. का जुर्माना किया जा सकता है।

3.5.4 धारा 58ए की उपधारा 7 के परन्तुक के अंतर्गत सरकार को कंपनियों के किसी एक वर्ग को धारा 58ए के सभी अथवा कुछ उपबंधों से छूट देने की शक्ति प्राप्त है। मंत्रालय ने गैर–बैंकिंग कंपनियां (वाणिज्यिक कागजात के माध्यम से जमा स्वीकार करना) निदेश, 1989 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा करने वाली कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक दस्तावेज जारी करके जमा स्वीकार करने के संबंध में धारा 58ए की उपधारा (1) से (6) हेतु दिनांक 29.12.1989 की अधिसूचना जीएसआर संख्या 1075ई के माध्यम से छूट प्रदान की है। उक्त अधिसूचना 1.1.1990 से प्रभावी हुई है।

3.5.5 1.1.2008 से 31.3.2009 की अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58ए (8) के अंतर्गत छूट/समय–सीमा बढ़ाए जाने हेतु 17 आवेदन प्राप्त हुए थे जो पिछले वर्ष के 7 आवेदनों के अतिरिक्त थे। उक्त अवधि के दौरान कुल 24 आवेदनों में से 14 आवेदनों का निपटान किया गया और 10 आवेदन 31.3.2009 को विचार हेतु लंबित थे।

<u>अन्य प्रावधान</u>

3.6.1 शेयरधारकों को अधिक संरक्षण प्रदान करने के लिए कंपनी अधिनियम में धारा 205क को समाविष्ट किया गया है जिसके द्वारा गैर अदा या दावे रहित लाभांश एक पृथक लेखा में संबंधित कंपनी द्वारा 3 वर्ष तक रखा जाना है। इसके पश्चात् भी यदि ये लाभांश अदत्त या दावे रहित रहते हैं तो उन्हें केन्द्रीय सरकार के खाते में अंतरित कर दिया जाता है जिससे केन्द्रीय सरकार संबंधित शेयर धारकों को उनके द्वारा विधिवत रूप से आवेदन किए जाने पर आवश्यक भुगतान करती है।

3.6.2 एकमात्र विक्रय एजेंसी करारों, जो ऐसी कंपनियों द्वारा किए जाएं जिनकी प्रदत्त पूंजी 50 लाख रू. या अधिक हो, उनके लिए धारा 294कक के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया जाना होता है। इसका आशय यह सुनिश्चित करना है कि उक्त करारों के द्वारा उपभोक्ताओं को बेची गई वस्तुओं की लागत संबंधित कंपनियों की ओर से परिहार्य अतिरिक्त व्यय के कारण बढ़ायी गई है।

3.6.3 कंपनी अधिनियम की धारा 209(1)(घ) के अंतर्गत लागत लेखाकरण अभिलेख नियम, उत्पादन, प्रसंस्करण, विनिर्माण और खनन क्रियाओं में लगी हुई कंपनियों के लिए निर्धारित हैं। उनका आशय कंपनियों में लागत के प्रति जागरूकता पैदा करना है ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि उनके द्वारा संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग हो रहा है जिससे कि उत्पादन लागत कम हो और परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को सस्ता माल मिल सके।

3.6.4 कंपनियों के पास धन जमा रखने के मामले में आम जनता के हितों की रक्षा के लिए भी कंपनी अधिनियम में ध्यान में रखा गया है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क के अंतर्गत मंत्रालय ने कंपनी (जमा का प्रतिग्रहण) नियम, 1975 बनाए हैं। इन नियमों के अंतर्गत कम्पनियों

से यह अपेक्षा की गई है कि वे जमा आमंत्रित करते समय जनता की सूचना और मार्गदर्शन के लिए अपने गत वर्ष के वित्तीय लेखाओं को विज्ञापित और प्रकाशित करें। यदि कंपनी ऐसी जमा राशि की शर्तों के अनुसार किसी जमा राशि या उसके किसी भाग की वापसी का भुगतान करने में असफल रहती है तो कंपनी विधि बोर्ड, यदि वह स्वयं संतुष्ट हो कि ऐसा जमाकर्ता के हितों की सुरक्षा करने या लोकहित में यह अनिवार्य है, तो आदेश द्वारा कंपनी को निर्देश दे सकता है कि वह इस प्रकार की जमा राशि या उसके किसी भाग का वापसी भुगतान शीर्घ या ऐसे समय के अंदर तथा ऐसी शर्तों के अधीन कर दे जैसा आदेश में निर्देशित किया गया हो।

कंपनी विधि बोर्ड

3.7.1 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 10ड. के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा गठित कंपनी विधि बोर्ड 31.5. 1991 से एक स्वतंत्र अर्ध–न्यायिक निकाय के रूप में कार्य कर रहा है। कंपनी विधि बोर्ड ने कंपनी विधि बोर्ड विनियम, 1991 बनाए हैं जिनमें इसके सम्मुख आवेदन/याचिका दायर करने की प्रक्रियाविधि निर्धारित है। केन्द्र सरकार ने कंपनी विधि बोर्ड (आवेदन तथा याचिका संबंधी शुल्क) नियमावली, 1991 के अंतर्गत कंपनी विधि बोर्ड के समक्ष आवेदन/याचिका देने हेतु शुल्क भी निर्धारित किए हैं।

3.7.2 बोर्ड की नई दिल्ली में प्रधान पीठ है। परंतु यह, अपने विवेक या सभी पक्षों के अनुरोध पर भारत में कहीं 1 अप्रैल, 2008 से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 247, 250 तथा 388बी और एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम (1969 का 54) की धारा 2ए के तहत आने वाले मामलों को एक या एक से अधिक सदस्यों वाली प्रधान पीठ के समक्ष रखा जाता है। बोर्ड की नई दिल्ली में प्रधान खंडपीठ है परंतु विधि बोर्ड अपने विवेक से या सभी पक्षों के संयुक्त अनुरोध पर भारत में कहीं भी बैठ सकता है। अन्य सभी मामलों को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 17, 18, 19, 58ए, 58एए, 79/80ए, 111/111ए, 113/113(3), 117, 117सी, 118, 141, 144, 163, 167, 186, 196, 219, 235, 237(बी), 284, 304, 307, 397/398, 408, 409, 614 तथा 621ए और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45क्यूए के अंतर्गत प्राप्त होन वाली याचिकाओं/आवेदनों को क्षेत्रीय खंडपीठों नामतः दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता तथा चेन्नई पीठों के समक्ष रखा जाता है जिनमें एक या एक से अधिक सदस्य होते हैं। किसी कंपनी के कंपनी विधि बोर्ड द्वारा इस प्रकार पारित आदेशों में विहित निदेशों के अनुपालन में असफल होने के मामले में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 634ए के अंतर्गत आदेशों को लागू करवाने के लिए आवेदन दिया जा सकता है।

3.7.3 01.01.2008 से 31.03.2009 की अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58ए(9) और आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45क्यूए के अंतर्गत 1467 आवेदनों पर विचार किया गया जिसमें से 517 को निपटाया गया। कंपनी अधिनियम, 1956 की अन्य धाराओं के अंतर्गत 12098 याचिकाओं पर विचार किया गया जिसमें से उक्त अवधि के दौरान 10178 याचिकाओं का निपटान किया गया। इसमें कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 621ए के अंतर्गत अर्थ दंड लगाए गए 2143 मामले शामिल हैं।

3.7.4 9 सदस्यों की स्वीकृत संख्या (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष सहित) की तुलना में 31.03.2009 को कंपनी विधि बोर्ड की संरचना निम्नानुसार है। :–

1. श्री एस. बालासुब्रमणियम, अध्यक्ष
2. श्री के.के. बालू, उपाध्यक्ष
3. श्रीमती विमला यादव, सदस्य
4. श्री कांति नरहरि, सदस्य
5. श्री वी.एस. राव, सदस्य

3.7.5 इस समय 19 कम्पनियों के संबंध में विपदा आधार पर जमा लौटाने के लिए कम्पनी विधि बोर्ड के आदेश के अनुसार कम्पनी विधि बोर्ड, नई दिल्ली में प्रत्येक माह विपदा समिति की बैठक आयोजित की जाती है। सीएलबी द्वारा प्राप्त मामलों के संबंध में लौटाए जाने हेतु कम्पनियों से चेक/ड्राफ्ट प्राप्त होने पर सीएलबी द्वारा इन्हें वितरित कर दिया जाता है। छोटे और जरूरतमंद निवेशकों की शिकायतों के निवारण के संबंध में बहुत सुधार हुआ है। 31 मार्च, 2009 तक 10940 जमाकर्त्ताओं के 7.30 करोड़ रू. (लगभग) की राशि वितरित की गई है। इस प्रकार विपदा आधार पर सीएलबी द्वारा प्राप्त शिकायतों का शत–प्रतिशत निवारण सुनिश्चित हुआ है।

3.7.6 मैसर्स प्योर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) लि0 के सावधि जमा धारकों को, माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन में सीएलबी द्वारा भुगतान किया जा रहा है। 31 मार्च, 2009 तक मैसर्स प्योर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) लि0 के जमाकर्त्ताओं को 5.18 करोड़ रू. (लगभग) की राशि के 11,404 चेक जारी किए गए हैं। मूल और ब्याज दोनों के भुगतान के सभी मामलों में सचिव, सीएलबी, नई दिल्ली के हस्ताक्षर से चेक जारी किए जाते हैं।

3.7.7 01.01.2009 से 31.03.2009 तक सीएलबी द्वारा प्राप्त फाइलिंग का कुल शुल्क 60,92,464 रू. है और इसी अवधि के दौरान अर्थ दण्ड की राशि 1,66,66,490 रू. है।

कंपनी विधि बोर्ड के समक्ष याचिकाएं

3.8 1.4.2007 से 31.12.2007 तक की अवधि के दौरान कंपनी विधि बोर्ड की प्रधान खंडपीठ तथा अतिरिक्त पीठ सहित विभिन्न खंडपीठ द्वारा प्राप्त किए तथा निपटाए गए आवेदनों/याचिकाओं का विवरण तालिका 3.1 में दिया है।

कंपनी अधिनियम की धारा 397/398/408/402/406/388/237(ख) के अंतर्गत कंपनी विधि बोर्ड के समक्ष याचिकाएं

3.9.1 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 397/398 के तहत कंपनी के कार्यों में शोषण, कुप्रबंधन अथवा कुप्रबंधन की आशंका के मामलों में राहत हेतु कंपनी विधि बोर्ड के समक्ष आवेदन दायर करने का उपबंध है। अधिनियम की धारा 408 केन्द्र सरकार को कंपनी अथवा इसके शेयरधारकों अथवा आम जनता के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा किए गए संभर्द/आवेदन पर कंपनी विधि बोर्ड के निदेशानुसार कंपनी बोर्ड में बताए गए व्यक्तियों की संख्या को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत करती है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार अधिनियम की धारा 402 जिसे धारा 406 के साथ पढ़ा जाता है के अंतर्गत कंपनी के निदेशकों के विरूद्ध परिसंपत्तियों के वापस लेने के लिए याचिकाएं दायर कर सकती हैं जब वे अपयोजन/अपकरण में रत हों।

3.9.2 31.03.2009 को कंपनी विधि बोड (सीएलबी)/उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में 7 मामले लंबित थे। इसके ब्यौरे इस प्रकार हैं :

कंपनी विधि बोर्ड/उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों के ब्यौरे

क.सं.	कंपनी का नाम	कंपनी विधि बोर्ड/न्यायालय	लागू धारा	अभ्युक्तियां
1.	मैसर्स सत्यम कम्प्यूटर्स सर्विसेज लि0	कंपनी विधि बोर्ड	397/398/388बी/406 तथा 408	लंबित
2.	मैसर्स मेटस प्रोपर्टीज लि0	कंपनी विधि बोर्ड	–वही–	लंबित
3.	मैसर्स मेटस इंफ्रा लि0	कंपनी विधि बोर्ड	–वही–	लंबित
4.	मैसर्स एसएचसीआईएल सर्विसेज लि0	कंपनी विधि बोर्ड	250	लंबित
5.	मैसर्स मुक्ता आर्ट लि0	उच्च न्यायालय	237(बी)	लंबित
6.	मैसर्स एवरेडी इंडस्ट्रीज लि0	उच्च न्यायालय	397	लंबित
7.	मैसर्स विकास डब्ल्यूएसपी लि0	उच्च न्यायालय	397	लंबित

तालिका - 3.1

01.01.2008 से 31.03.2009 तक की अवधि के दौरान प्राप्त, निपटान किए गए तथा लंबित याचिकाओं/आवेदनों का समेकित विवरण

क्र. स.	पीठ का संरचना व धारा	01.01.08 का आरंभिक शेष	प्राप्त	प्राप्त कुल (कालम 2+3)	निपटान	31.03.2009 को लंबित
	1	2	3	4	5	6
1.	**एक सदस्यीय खंडपीठ :**					
	धारा 17	107	1218	1325	1234	91
	धारा 18/19	3	113	116	110	6
	रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45क्यूए	80	6	86	5	81
	धारा 58क(9)	379	1002	1381	512	869
	धारा 58कक (1)	13	0	13	0	13
	धारा 79/80क	5	3	8	2	6
	धारा 113/113 (3)	6	56	62	57	5
	धारा 117	0	0	0	0	0
	धारा 117ग	177	4	181	2	179
	धारा 118	0	0	0	0	0
	धारा 141	23	5317	5340	5258	82
	धारा 144	0	0	0	0	0
	विविध आवेदन	39	166	205	148	57
	धारा 163	4	3	7	4	3
	धारा 167	7	10	17	5	12
	धारा 186	3	7	10	5	5
	धारा 196	3	0	3	3	0
	धारा 219	0	0	0	0	0
	धारा 284	6	8	14	7	7
	धारा 304	0	0	0	0	0
	धारा 307	0	0	0	0	0
	धारा 614	2	2	4	3	1
	धारा 621 क	216	2432	2648	2143	505
	धारा 634 क	0	0	0	0	0
	कुल (क)	**1073**	**10347**	**11420**	**9498**	**1922**
2.	**द्विसदस्यीय खंडपीठ :**					
	धारा 111	122	138	260	86	174
	धारा 269(7)	0	0	0	0	0
	धारा 634 क	2	0	2	1	1
	कुल (ख)	**124**	**138**	**262**	**87**	**175**
	कुल (क)+ (ख)	**1197**	**10485**	**11682**	**9585**	**2097**
3.	**प्रधान पीठ तथा अतिरिक्त प्रधान पीठः**					
	धारा 235, 237, 247, 250, 388(ख), 397, 398, 408, 409 के अंतर्गत मामले तथा वादकालीन आवेदन	593	1290	1883	1110	773
	सकल जोड़	**1790**	**11775**	**13565**	**10695**	**2870**

01.01.2008 से 31.03.2009 की अवधि के दौरान कंपनी विधि बोर्ड द्वारा विचार की गई तथा निपटान की गई याचिकाएं/आवेदन

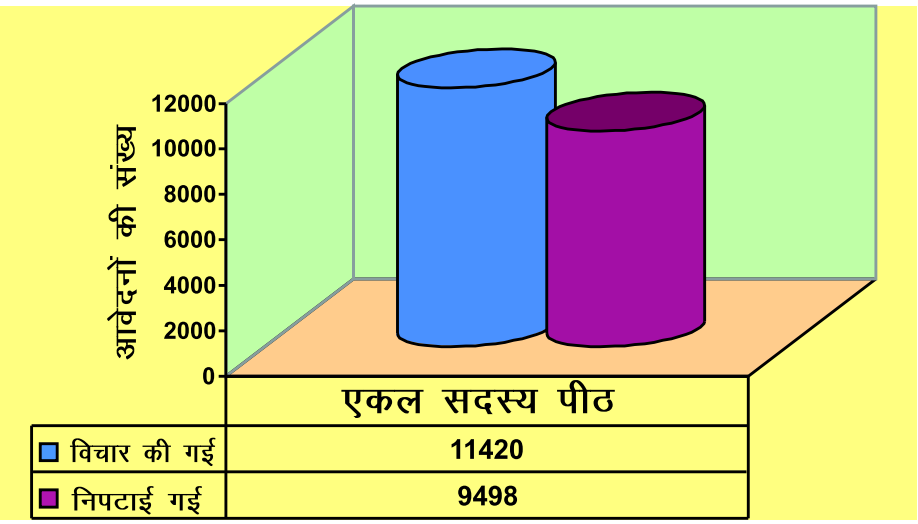

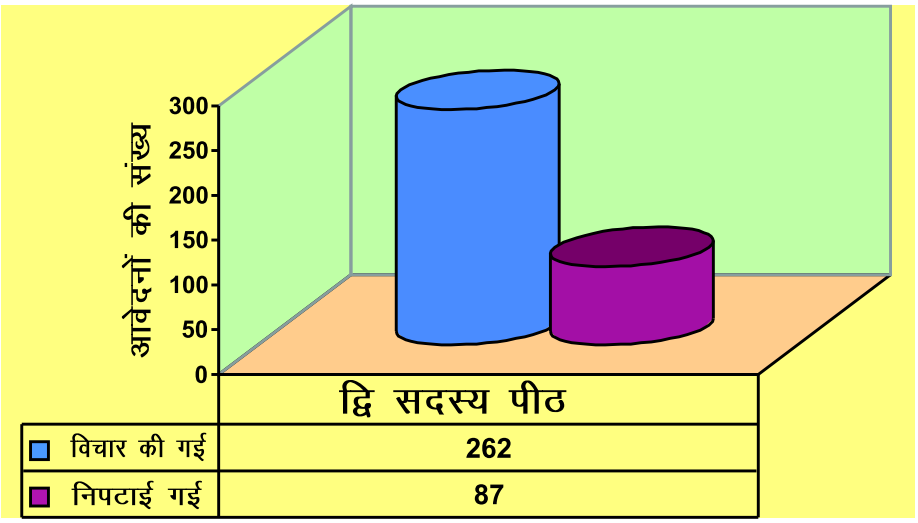

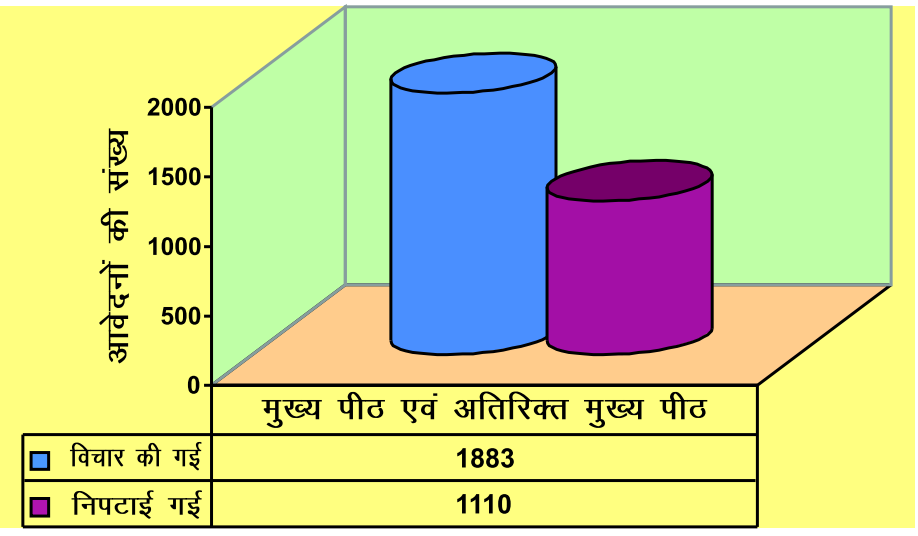

प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति

3.10.1 कारपोरेट कार्य मंत्रालय, सार्वजनिक लि0 कंपनियों तथा निजी लि0 कंपनियों, जो सार्वजनिक लि0 कंपनियों की अनुषंगियां हैं, के प्रबंध निदेशकों, पूर्णकालिक निदेशकों तथा प्रबंधकों की नियुक्ति तथा उन्हें पारिश्रमिक के भुगतान के संबंध में सांविधिक आवेदनों पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 259, 268, 269, 198/309, 310 तथा 314 के अंतर्गत समय–समय पर यथा संशोधित उक्त अधिनियम की अनुसूची 13 के उपबंध अनुसार कार्रवाई करता है।

3.10.2 विभिन्न सांविधिक आवेदनों पर कार्रवाई करने में बेहतर पारदर्शिता लाने के लिए मंत्रालय की वेबसाइट के जरिए आवेदनों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने की सुविधा सितम्बर, 2006 से शुरू की गई थी। कम्पनियां, मंत्रालय की वेबसाइट पर अपने आवेदनों की स्थिति का भी अवलोकन कर सकती हैं।

3.10.3 यह पाया गया है कि सामान्यतः प्राप्त आवेदनों में कई दृष्टि से कमियां होती हैं। प्रारंभिक स्तर पर ही पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए फार्म सं. 25ए तथा 24बी में संशोधन किया जा रहा है ताकि इन्हें प्रभावी बनाया जा सके और आवेदनों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित किया जा सके। 01.01.2008 से 31.03.2009 की अवधि के लिए सांविधिक आवेदनों की प्राप्ति तथा निपटान के ब्यौरे नीचे तालिका 3.2 में दिए गए हैं :–

तालिका 3.2
01.01.2008 से 31.03.2009 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा प्रबंधकीय नियुक्ति हेतु प्राप्त तथा निपटाए गए आवेदन

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा	आवेदन की प्रकृति	1.1.2008 को लंबित	1.1.2008 से 31.03.09 के दौरान प्राप्त	योग	1.1.2008 से 31.03.09 के दौरान निपटाए गए	31.03.09 को लंबित
1	2	3	4	5	6	7
259	निदेशकों की संख्या में वृद्धि	5	41	46	28	18
268	प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशकों से संबंधित संगम अनुच्छेदों के उपबंधों में संशोधन	3	23	26	6	20
269/अनुसूची XIII,309(1बी), 309(4)(5बी), 310,	प्रबंध निदेशकों या पूर्णकालिक निदेशकों/प्रबंधकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करने के लिए निदेशकों को पारिश्रमिक। पूर्णकालिक नियुक्ति के अंतर्गत प्रबंध निदेशक को छोड़कर निदेशकों को पारिश्रमिक/निदेशकों को वापिस दी जाने वाली राशि को छोड़ देना। निदेशकों के पारिश्रमिक में वृद्धि।	381	1419	1800	1157	643
314(1बी)	निदेशक का कंपनी के किसी लाभ वाले पद पर या उस स्थिति में नियुक्ति/बने रहना जिसका मासिक पारिश्रमिक प्रतिमाह 50,000 रू. से कम न हो।	61	410	471	207	264
	कुल	**450**	**1893**	**2343**	**1398**	**945**

जांच

3.11.1 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 235/237 के अंतर्गत किसी कंपनी के मामलों में जांच के मामले एसएफआईओ के निरीक्षकों को निम्नलिखित आधार/मानदण्ड पर सौंपे जाते हैं:–

i) जहां तथाकथित धोखाधड़ी में अंतर्ग्रस्त राशि कम से कम 50 करोड़ रू. अथवा अधिक होने का अनुमान है, अथवा;

ii) ऐसी कंपनियों जो सूचीबद्ध हैं अथवा जहां कंपनी की प्रदत्त पूंजी 5 करोड़ रू. से अधिक है और 20 प्रतिशत अथवा अधिक पूंजी जनता द्वारा अभिदत्त है; अथवा

iii) जब तथाकथित धोखाधड़ी में व्यापक जनहित शामिल हो और जिसमें कम से कम 5000 से अधिक व्यक्तियों के प्रभावित होने का अनुमान हो; अथवा

iv) जहां जांच में विशेष कौशल तथा बहुशाखीय दृष्टिकोण की आवश्यकता हो।

3.11.2 कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने सरकार को गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) से संबंधित मुद्दों पर परामर्श देने के लिए दिनांक 23 फरवरी, 2006 के कार्यालय आदेश सं. 2/1/2004–सीएल–5 के माध्यम से एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। श्री वेपा कामेसम की अध्यक्षता में गठित तथा 6 अन्य सदस्यों वाली यह विशेषज्ञ समिति सरकार को निम्नलिखित पर अपनी सिफारिशें देगी :–

क) एसएफआईओ की संरचना तथा कार्यकरण को शासित करने के लिए इसे एक अलग दर्जा दिए जाने तथा ब्यौरों का आंकलन करने की आवश्यकता;

ख) एसएफआईओ द्वारा पता लगाए गए अपराधों के अभियोजन सहित इसके प्रभावी कार्यकरण को समर्थ बनाने के लिए विद्यमान कानूनों में यथा आवश्यक विधायी परिवर्तनों की प्रकृति तथा ब्यौरे;

ग) एसएफआईओ को मामले संदर्भित करने हेतु तंत्र और जांच एजेंसियों सहित केन्द्र तथा राज्य सरकार की अन्य एजेंसियों/संगठनों के साथ एसएफआईओ के क्रियाकलापों कासमन्वयन;

घ) एसएफआईओ तथा इसके जांच अधिकारियों की शक्तियां

ड.) जांच एजेंसियों के प्रभावी संचालन को समर्थ बनाने के लिए अपराध तथा दंड विनिर्दिष्ट करना और निगमित धोखाधड़ी मामलों की सुनवाई हेतु विशेष अदालतों की आवश्यकता; और

च) उक्त के परिणामस्वरूप अथवा अनुसरण में अन्य मामले।

3.11.3 विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा है।

3.11.4 1 जनवरी, 2008 से 31 मार्च, 2009 के दौरान मंत्रालय द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 235/237/247 के अंतर्गत जांच हेतु एसएफआईओ को 17 मामले सौंपे गए हैं। मंत्रालय को 7 जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं और 31.3.2009 की स्थिति के अनुसार 32 कम्पनियों की जांच चल रही है।

निरीक्षण

3.12.1 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209ए कंपनियों के पंजीयक अथवा केन्द्र सरकार के विधिवत प्राधिकृत अधिकारियों को कंपनी की लेखा बहियों और अन्य रिकार्डों की जांच करने के लिए प्राधिकृत करती है। इस धारा के तहत इस मंत्रालय के कई अधिकारियों को समय–समय पर निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

3.12.2 मुख्यतः निरीक्षण निम्नलिखित में से एक या अधिक उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए किए जाते हैं :–

i) कंपनियों द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 के विभिन्न उपबंधों के अनुपालन की जांच करना;

ii) यह जांच करना कि क्या कंपनी के लेखे कंपनी के वित्त की सत्य तथा सही स्थिति दर्शाते हैं और क्या इन्हें कंपनी अधिनियम की संगत विधि से प्रकट किया गया है;

iii) क्या कंपनी की निधियों को किसी ऐसे प्रकार से निकाला गया है अथवा उनका उपयोग किया गया है अथवा कहीं और लगाया गया है जोकि अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में हो और क्या कंपनी प्रबंधन ने अधिनियम के उल्लंघन में अपनी न्यासीय स्थिति का दुरूपयोग अपने किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए किया है;

iv) क्या कुप्रबंधन अथवा शोषण के कोई ऐसे कृत्य हैं जो कंपनी के हितबद्धों के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हों अथवा जो ऐसे हितों के विपरीत हो सकते हैं कि जिससे कंपनी को अधिनियम के अंतर्गत उचित तथा साम्य आधार पर समाप्त किया जाना पड़े;

v) क्या सांविधिक लेखा परीक्षकों ने कंपनी की स्थिति का सत्य तथा सही चित्रण प्रमाणित करते समय अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन उचित रूप से किया; और

vi) यदि कंपनी द्वारा पिछले 5 वर्षों में पंजीयक को अपने तुलन–पत्र तथा लाभ एवं हानि लेखे अथवा वार्षिक रिटर्न दायर करने में कोई चूक हुई है तो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत की जा सकने वाली कानूनी कार्रवाई की जांच करना।

3.12.3 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209ए के अंतर्गत कंपनी की लेखा बहियों की जांच का आदेश सामान्यतः निम्नलिखित आधार पर दिया जाता है :–

i) मंत्रालय अथवा इसके क्षेत्र कार्यालयों में अधिनियम की धारा 209 के अंतर्गत यथाविहित लेखा बहियों के अनुरक्षण के संबंध में कुप्रबंधन, शेयर/ऋण–पत्र के अंतरण में विलंब, लाभांश के भुगतान में विलंब, जमा अथवा उसके ब्याज का भुगतान न करना आदि से संबंधित प्राप्त शिकायतें;

ii) कंपनियों के पंजीयक के कार्यालय में दर्ज लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों सहित दस्तावेजों की जांच पर जानकारी में आए उल्लंघन/अनियमितताएं; और

iii) कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के उल्लंघन में इंगित अन्य सरकारी विभाग/एजेंसियों से प्राप्त संदर्भ अथवा अन्य अनियमितताएं।

तालिका 3.3

विगत चार वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए निरीक्षणों की संख्या

वर्ष	निरीक्षणों की संख्या
2005–06	253
2006–07	220
2007–08	189
1.1.2008 से 31.03.2009	252

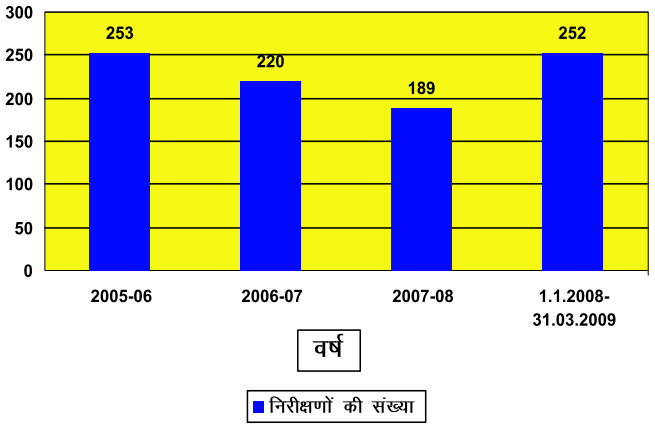

शेयर बाजार घोटाले पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई

3.13 सरकार ने शेयर बाजार घेटाले की जांच करने के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित की थी। जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर, 2002 में प्रस्तुत की। कारपोरेट कार्य मंत्रालय को इस मंत्रालय से संबंधित जेपीसी की कुछ सिफारिशों पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। कारपोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित मदों के संबंध में स्थिति रिपोर्ट को आर्थिक मामले विभाग में जेपीसी एकक को नियमित रूप से अग्रेषित किया जाता है जो समय–समय पर जेपीसी रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई पर निगरानी करने के लिए है।

अभियोजन

3.14 1.1.2008 से 31.03.2009 तक की अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पिछले वर्ष से लाए गए 50,708 अभियोजनों सहित कुल 68,891 अभियोजन प्रारंभ किए गए तथा विभिन्न न्यायालयों में

उनका अनुवर्तन किया गया। इसमें से 11,148 अभियोजनों को निपटा दिया गया था और शेष 57,743 अभियोजन 31.03.2009 को लंबित थे।

लागत लेखा परीक्षा

3.15.1 कारपोरेट कार्य मंत्रालय के तहत लागत लेखा–परीक्षा शाखा का संचालन, भारतीय लागत लेखा सेवा (आईसीएएस) के पेशवरों द्वारा किया जाता है और यह मुख्यतः कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1) (घ) तथा 233ख के तहत कार्रवाई करती है। धारा 209 (1) (घ) के तहत यह शाखा, विभिन्न उद्योगों/उत्पादों के संबंध में लागत लेखाकरण रिकार्ड नियमावली (सीएआरआर) निर्धारित तथा अधिसूचित करती है। 1.1. 2008 से 31.3.2009 तक लागत लेखा परीक्षा शाखा द्वारा शुरू किए गए कार्यकलापों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

i) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (1) जिसे धारा 209 की उपधारा (1) के खंड (घ) के साथ पढ़ा जाता है, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने समय–समय पर विभिन्न उद्योगों और उत्पादों के संबंध में लागत लेखांकन रिकार्ड नियमावली (सीएएआर) अधिसूचित करती है। लागत लेखांकन रिकार्ड नियमावली, यथा लागू, में विनिर्दिष्ट उद्योगां अथवा उत्पादों से संबंधित उत्पादन, प्रसंस्करण, विनिर्माण अथवा खनन के कार्यकलापों में लगी सभी कंपनियों से अपेक्षित है कि वे अपने पंजीकृत कार्यालय में, उक्त नियमावली में यथा निर्धारित, सामग्री अथवा श्रम के उपयोग अथवा लागत की अन्य मदों के संबंध में सही खाता बहियां रखें। इस नियमावली के अंतर्गत कवर की गई प्रत्येक कंपनी को इन नियमों के प्रकाशन अथवा उसके पश्चात की तिथि के वित्तीय वर्ष से लागत लेखांकन रिकार्ड रखने होते हैं। यह नियम उस कंपनी पर लागू नहीं होंगे :–

क) जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख की स्थिति के अनुसार स्थापित मशीनरी और संयंत्र का कुल मूल्य, उद्योग (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) के उपबंधों के अंतर्गत एक लघु औद्योगिक उपक्रम के लिए विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक न हो; और

ख) जिसका, पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान अपने सभी उत्पादों अथवा कार्यकलापों के विक्रय अथवा आपूर्ति के जरिए किया गया कुल कारोबार दस करोड़ रू. से अधिक न हो।

ii) लागत लेखांकन रिकार्ड नियमावली (सीएआरआर) उस तरीके को निर्धारित करता है जिसमें लागत रिकार्डों को रखा जाना है ताकि लागत लेखा आधार का उपयोग मुख्यतः उद्योग/कंपनी द्वारा अपने कार्य–निष्पादन में सुधार और प्रतिस्पर्धी वातावरण से सामना करने और विभिन्न सरकारी एजेंसियों जैसे कि मूल्य–निर्धारण प्राधिकरणों, विनियामक निकायों, डब्ल्यूटीओ कार्यान्वयन एवं निगरानी अभिकरणों, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, राजस्व प्राधिकारी तथा अन्य संस्थानों द्वारा अपने–अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जा सके। अभी तक 44 उद्योगों के संबंध में लागत लेखांकन रिकार्ड नियमावली अधिसूचित की जा चुकी है जिसे तालिका 3.4 में दर्शाया गया है।

iii) कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने 21 जनवरी, 2008 के अपने आदेश के जरिए मौजूदा लागत लेखाकरण अभिलेख नियमावली, लागत लेखा–परीक्षा रिपोर्ट नियमावली तथा लागत लेखाकरण मानकों आदि की समीक्षा करने तथा सरकार को उपयुक्त उपायों का सुझाव/सलाह देने के लिए सलाहकार (लागत), कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह गठित किया। विशेषज्ञ समूह ने 26.12.2008 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। विशेषज्ञ समूह ने लागत लेखाकरण अभिलेखों तथा उनकी लेखा परीक्षा और रिपोर्ट प्रणाली के मौजूदा तंत्र में व्यापक परिवर्तन किए जाने की सिफारिश की है। इस रिपोर्ट को मंत्रालय की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु विभिन्न स्टेकहोल्डरों की टिप्पणियां मांगी गई हैं।

iv) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 233 ख की उपधारा (1) के अंतर्गत, पात्र कंपनियों को समय–समय पर उनके लागत रिकार्डों की प्रेक्टिस कर रहे किसी लागत लेखाकार से लेखा परीक्षा करवाए जाने के लिए लागत लेखा परीक्षा आदेश जारी किए जाते हैं। ऐसे आदेश विलयो, डीमर्जरों, समामेलनों, विक्रय/अंतरण, नाम में परिवर्तन, आदि के कारण उत्पन्न हुई कंपनियों को भी जारी किए जाते हैं। 1 जनवरी, 2008 से 31 मार्च, 2009 तक की अवधि के दौरान 21 कंपनियों को लागत लेखा परीक्षा आदेश जारी किए गए थे।

v) ई–शासन के अंतर्गत एमसीए 21 परियोजना को प्रारंभ किए जाने के परिणामस्वरूप, लागत लेखा परीक्षा के अंतर्गत कंपनियों ने अप्रैल, 2006 से इलेक्ट्रानिक तरीके द्वारा लागत लेखा परीक्षकों की नियुक्ति हेतु आवेदन दाखिल करना प्रारंभ कर दिया है। कंपनी अधिनियम,

1956 की धारा 233ख (2) के अनुपालन में, 1 जनवरी, 2008 से 31 मार्च, 2009 तक के दौरान लागत लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के अनुमोदन हेतु इलेक्ट्रानिक तरीके से 2349 आवेदन प्राप्त हुए हैं जबकि पिछले वर्ष समान अवधि के दौरान 1878 आवेदन प्राप्त हुए थे। जुलाई, 2008 में ऑनलाइन अनुमोदन को पूरी तरह प्रचालनरत कर दिया गया जिससे कार्रवाई करने के समय में कमी आई और इससे सरकार और आवेदक कम्पनियों को उल्लेखनीय लाभ हुआ। कम्पनियों को यह व्यवस्था उपयोगी लगी क्योंकि अब वे अपने आवेदनों की स्थिति के बारे में जान सकते हैं और इस कार्यालय से अनुमोदन–पत्र का इंतजार किए बिना अनुमोदनों का ऑनलाइन प्रिंट–आउट ले सकती हैं। इससे प्रेषण–समय, डाक–प्रभार टिकटों की लागत तथा कम्पनियों से पूछताछ के उत्तरों का समय बचा है।

vi) इसी प्रकार, अप्रैल, 2006 से कंपनियों/लागत लेखा परीक्षकों ने भी इलेक्ट्रानिक तरीके से लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट दाखिल करना शुरू कर दिया है। जनवरी, 2008 से मार्च, 2009 तक के दौरान प्राप्त लागत लेखा परीक्षा रिपोर्टों की संख्या 4585 थी जो पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान 2338 थी। इससे पहले के तरीके से प्राप्त हार्ड और साफ्ट प्रतियों को रखने के लिए रिकार्ड–रूम के रूप में अधिक जगह की आवश्यकता नहीं रहेगी। इससे संबंधित कम्पनियों की गोपनीय सूचना की समुचित सुरक्षा भी सुनिश्चित हुई है।

vii) कंपनी और/अथवा इसकी विनिर्माण सुविधाएं, नगण्य उत्पादन/गतिविधियां इत्यादि के अस्थायी रूप से बंद होने के कारण पैदा होने वाली परिस्थितियों में वर्ष दर वर्ष आधार पर लागत लेखा परीक्षा आदेश प्रदान करने से छूट दी जाती है। इसी प्रकार, संदर्भ के अधीन उत्पादों के लिए उत्पादन गतिविधियों का समामेलन/मिलाने अथवा बिक्री अथवा स्थायी रूप से बंद करने के मामले में लागत लेखा परीक्षा आदेश की वापसी पर विचार किया जाता है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 41 ऐसे मामले, जो छूट/वापसी से संबंधित थे, प्राप्त किए गए और उन पर कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त, वापसी से संबंधित 301 और मामलों पर स्वतः परीक्षण आधार पर विचार किया गया जो एमसीए वेबसाइट पर उपलब्ध कंपनी डाटा/सूचना के आधार पर थे।

3.15.2 जनवरी, 2008 से मार्च, 2009 की अवधि के दौरान, वाणिज्य मंत्रालय के एंटी डम्पिंग निदेशालय, टैरिफ आयोग, राष्ट्रीय फार्मासूटिकल मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग आदि जैसे विभिन्न प्रयोक्ता विभागों के साथ कंपनियों द्वारा फाइल की गई 50 लागत लेखा परीक्षा रिपोर्टों का आदान–प्रदान किया गया।

तालिका– 3.4

उद्योग जिनके लिए कंपनी अधिनियम की धारा 2009(1)(घ) के अंतर्गत लागत लेखाकरण रिकार्ड नियम अधिसूचित किए गए

क्र.सं.	उद्योग का नाम
1	एल्यूमीनियम
2	ड्राइ सेल बैट्री को छोड़कर अन्य बैटरियां
3	बेयरिंग
4	बल्क औषधी
5	सीमेंट
6	रसायन
7	श्रृंगार एवं प्रसाधन वस्तुएं
8	साइकिल
9	ड्राई सेल बैट्रीज
10	रंग
11	इलेक्ट्रिक केबल्स एवं कनडक्टर्स
12	बिजली के पंखे
13	इलेक्ट्रिक उद्योग
14	इलेक्ट्रिक लैम्प
15	इलेक्ट्रिक मोटर्स
16	इलेक्ट्रोनिक उत्पाद
17	इंजीनियरिंग उद्योग
18	उर्वरक
19	फुटवियर
20	फार्मूलेशन
21	औद्योगिक एल्कोहल
22	औद्योगिक गैसें
23	कीटनाशक
24	जूट की वस्तुएं
25	दुग्ध आहार
26	खनन एवं धातु शोधन

27	मोटर वाहन
28	नाइलोन
29	कागज
30	पेट्रोलियम उद्योग
31	प्लांटेशन उत्पाद
32	पोलिस्टर
33	रेयान
34	रेफ्रीजिरेटर्स
35	रूम एयरकंडीशनर
36	शेविंग सिस्टम
37	साबुन और डिटर्जेंट
38	इस्पात प्लांट्स
39	इस्पात ट्यूब्स एंड पाइप्स
40	चीनी
41	संचार
42	वस्त्र
43	टायर तथा ट्यूब
44	वनस्पति

शेयरों के अर्जन पर प्रतिबंध – धारा 108क

3.16.1 इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति, फर्म, समूह, समूह के घटक, निगमित निकाय अथवा प्रभुत्व वाले उपक्रम के संबंध में समान प्रबंधन के अधीन निगमित निकाय अथवा निकायों द्वारा अथवा उन्हें शेयरों के प्राप्त करने/अंतरण हेतु केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होता है बशर्ते कि शेयरों के ऐसे प्राप्त किए जाने अथवा अंतरण के परिणामस्वरूप प्रभुत्व में कोई वृद्धि होती हो।

3.16.2 जनवरी, 2008 से मार्च, 2009 की अवधि के दौरान उक्त धारा के अंतर्गत केन्द्र सरकार को आवेदन प्राप्त हुआ और पिछले वर्ष से 1 आवेदन लाया गया था। इन 4 आवेदनों में से, 3 आवेदनों का निपटान कर दिया गया था और 31.03.2009 की स्थिति के अनुसार 1 आवेदन लंबित था।

आरक्षित निधि में से लाभांश का भुगतान– धारा 205 क (3)

3.17.1 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 क (3) किसी भी कंपनी को बाध्य करती है कि किसी भी वर्ष में अपर्याप्त लाभ अथवा लाभ न होने के कारण यदि वह कंपनी अपने पूर्व वर्षों में उपार्जित संचित लाभ में से, जो उसने रिजर्व में अंतरित कर दिया था, लाभांश की घोषणा करती है, उक्त धारा के तहत और वह कंपनी (आरक्षित धन से लाभांश की घोषणा) नियम, 1975 के अनुसार नहीं है तो इसमें केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन लेना होगा।

3.17.2 01.01.2008 से 31.03.2009 तक इस धारा के अंतर्गत 4 आवेदन प्राप्त हुए थे जबकि पिछले वर्ष से 2 आवेदन लाए गए थे। कुल 6 आवेदनों में से 5 आवेदनों का निपटान कर दिया गया था और 31.03.2009 की स्थिति के अनुसार 1 आवेदन विचार–विमर्श के विभिन्न चरणों पर लंबित था।

लाभांश का भुगतान

3.18 कम्पनी अधिनियम की धारा 205(2)(ग) केन्द्र सरकार को विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने पर प्रत्येक मूल्यह्रास योग्य परिसम्पत्ति के संबंध में मूल्यह्रास के जरिए कम्पनी की मूल लागत का 95 प्रतिशत माफ करने के लिए किसी भी अन्य आधार (धारा 205(2)(क) तथा 205(2)(ख) में यथा विनिर्दिष्ट के अलावा) का अनुमोदन करने की शक्तियां प्रदान करती है। 01.01.2008 से 31.03.2009 के दौरान 5 आवेदन प्राप्त हुए थे और 3 आवेदन पिछले वर्ष से आगे लाए गए थे। कुल 8 आवेदनों में से 3 आवेदनों का निपटान कर दिया गया था और 31.03.09 की स्थिति के अनुसार 5 आवेदन लंबित थे।

अनुषंगियों के लेखे

3.19.1 कंपनी अधिनियम की धारा 212 में यह उपबंध है कि धारक कंपनी के तुलन–पत्र में इसकी अनुषंगियों के कुछ दस्तावेज भी शामिल होने चाहिए। तथापि, तत्संबंधी उपधारा (8) केन्द्र सरकार को किसी धारक कंपनी को अनुषंगी कंपनी के उक्त ब्यौरों को तुलन–पत्र में शामिल किए जाने की आवश्यकता से छूट देने का अधिकार देती है।

3.19.2 1.1.2008 से 31.3.2009 तक की अवधि के दौरान 884 आवेदन प्राप्त हुए और पिछले वर्ष से 32 आवेदन लाए गए थे। कुल 916 आवेदनों में से 696 आवेदनों का निपटान कर दिया गया और 220 आवेदन 31.3.2009 को विचार के विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं।

एकमात्र बिक्री एजेंटों की नियुक्ति :

3.20.1 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 294कक(1) में यह अपेक्षित है कि केन्द्र सरकार का जहां यह मत हो कि किसी श्रेणी की वस्तुओं की मांग ऐसे वस्तुओं के उत्पादन अथवा आपूर्ति से काफी अधिक है और जहां ऐसी वस्तुओं हेतु बाजार बनाने के लिए एकमात्र विक्रेता एजेंटों की सेवाओं की आवश्यकता नहीं होगी, केन्द्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि घोषणा में यथा निर्दिष्ट अवधि के लिए ऐसी वस्तुओं की बिक्री हेतु किसी कंपनी द्वारा एकमात्र विक्रेता एजेंट नियुक्त नहीं किए जाएंगे। वर्तमान में एकमात्र विक्रेता एजेंट की नियुक्ति का प्रतिबंध केवल ''भारी मात्रा में दवाएं, दवाएं तथा फार्मूलेशंस'' के संबंध में है जिसे दिनांक 5.4.2007 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 272(ई) के माध्यम से 5.4.2007 से और 3 वर्षों की अवधि हेतु बढ़ा दिया गया है।

3.20.2 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 294 कक की उपधारा (2) तथा (3) में कंपनियों द्वारा एकमात्र विक्रेता/क्रेता एजेंटों की नियुक्ति हेतु केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है। उपधारा (2) उन कंपनियों पर लागू होती है जिनमें एकमात्र विक्रेता/क्रेता एजेंट स्वयं के माध्यम से अथवा अपने संबंधियों के माध्यम से 5 लाख रू. की प्रदत्त पूंजी अथवा कंपनी की प्रदत्त पूंजी का 5 प्रतिशत, जो भी कम हो, धारित करते हैं। उपधारा (3) उन कंपनियों पर लागू होती है जिनकी प्रदत्त पूंजी 50 लाख रू. अथवा इससे अधिक है।?

3.20.3 1.1.2008 से 31.03.2009 तक की अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम की धारा 294कक की उपधारा (2) तथा (3) के अंतर्गत 19 आवेदन प्राप्त हुए थे, जबकि 9 आवेदन पिछले वर्ष के थे। कुल 28 आवेदनों में से 21 आवेदनों का निपटान किया जा चुका है और 8 आवेदन 31.03.2009 को विचार के विभिन्न चरणों पर लंबित हैं।

निदेशकों तथा संबंधियों को ऋण

3.21.1 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 295 में यह अपेक्षित है कि सभी सार्वजनिक कंपनियां अथवा उनकी अनुषंगियां किसी ऋण को देने अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिए गए ऋण के संबंध में कोई गारंटी देने अथवा कोई सुरक्षा मुहैया कराने अथवा किसी अन्य व्यक्ति को उनके निदेशकों, निदेशकों के संबंधियों, फर्म अथवा निजी कंपनियों, जिसमें ऐसे निदेशक हितबद्ध हों और उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (घ) तथा (ड.) की परिधि में आने वाले अन्य निगमित निकाय को ऋण देने से पूर्व केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होता है।

3.21.2 1.1.2008 से 31.03.2009 की अवधि के दौरान केन्द्र सरकार को इस धारा के अंतर्गत 51 आवेदन प्राप्त हुए और 22 आवेदन पिछले वर्ष से लाए गए थे। इन 73 आवेदनों में से 56 आवेदनों का निपटान कर दिया गया था और 31.03.2009 को 17 आवेदनों की जांच की जा रही थी।

सरकारी कंपनियों का समामेलन

3.22 रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391–394 और 396 के अंतर्गत 7 मामले प्राप्त हुए थे और पिछले वर्ष के 4 मामलों को लाया गया था। इन 11 मामलों में से 3 मामलों का निपटान कर दिया गया और 31.03.2009 को 8 मामले लंबित थे।

कंपनियों को निधि के रूप में घोषित करने की शक्ति

3.23.1 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 620क के अंतर्गत केन्द्र सरकार कुछ विशेष प्रकार की गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा 'निधि कंपनियां' अथवा 'परस्पर लाभ समितियां', जैसा भी मामला हो, घोषित करने के लिए प्राधिकृत है और वह यह भी निदेश दे सकती है कि कंपनी अधिनियम, 1956 के कुछ उपबंध उक्त निधियों पर लागू नहीं होंगे और/अथवा, जैसा भी मामला हो, कुछ अपवादों, संशोधन तथा अनुकूलन के साथ लागू होंगे। 1.4.2007 से 31.12.2007 की अवधि के दौरान केन्द्र सरकार ने दिनांक 1.5.2008 की अधिसूचना जीएसआर 329(ई) के माध्यम से 24 कंपनियों को निधि कंपनी घोषित किया, जिससे 31.03.2009 को निधि कंपनियों के रूप में अधिसूचित कंपनियों की कुल संख्या 357 हो गई है।

3.23.2 1.1.2008 से 31.03.2009 तक की अवधि के दौरान केन्द्र सरकार को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 620क के अंतर्गत 22 आवेदन प्राप्त हुए और 20 मामले पिछले वर्ष के शेष थे। इन 42 आवेदनों में से 31.03.2009 को 36 आवेदन निपटा दिए गए थे और 6 आवेदन प्रक्रियाधीन/सरकार की जांचाधीन थे।

धारा 297(1) के अंतर्गत संविदाएं प्रदान करने हेतु अनुमोदन की स्वीकृति

3.24.1 कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा यथा संशोधित 1 फरवरी, 1975 से प्रभावी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 297(1)के अंतर्गत 1 करोड़ रू. से अधिक प्रदत्त शेयर पूंजी वाली कंपनियों हेतु यह अनिवार्य है कि उनके लिए (क) वस्तुओं/सामग्री की बिक्री, क्रय अथवा आपूर्ति या सेवा अथवा वस्तु, सामग्री या सेवा की आपूर्ति अथवा (ख) कंपनी के किसी निदेशक अथवा उसके संबंधी, ऐसी कोई फर्म जिसमें कोई निदेशक अथवा उसका संबंधी भागीदार है, ऐसी कोई फर्म अथवा प्राइवेट कंपनी जिसमें कोई निदेशक सदस्य अथवा निदेशक है के शेयर अथवा ऋण पत्रों के अभिदत्त को कम आंकने हेतु की जाने वाली किसी भी संविदा के संबंध में केन्द्र सरकार का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 297(1) के अंतर्गत केन्द्र सरकार को अनुमोदन प्रदान करने की शक्ति को 19.08. 1993 से क्षेत्रीय निदेशकों को प्रत्यायोजित किया गया है। ऐसा विकेन्द्रीयकरण तथा शीघ्र निपटान के दोहरे प्रयोजन की पूर्ति हेतु किया गया है।

3.24.2 01.01.2008 से 31.03.2009 की अवधि के दौरान क्षेत्रीय निदेशकों ने पिछले वर्ष से लाए गए 204 आवेदनों सहित कुल 2,251 आवेदनों पर विचार किया। इनमें से 2,015 आवेदनों का निपटान कर दिया गया और शेष 236 आवेदन 31.03.2009 को क्षेत्रीय निदेशकों के पास लंबित थे।

क्षेत्रीय निदेशकों तथा कंपनी रजिस्ट्रारों द्वारा विचार किए गए तथा निपटाए गए आवेदन

3.25 कंपनी अधिनियम, 1956 की कुछ धाराओं के संबंध में केन्द्र सरकार की शक्तियां तथा कार्य कोलकाता, मुम्बई, चेन्नई तथा नोएडा (उत्तर प्रदेश) स्थित क्षेत्रीय निदेशकों और कंपनियों के रजिस्ट्रारों को प्रत्यायोजित किए गए हैं। नीचे दी गई तालिका प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत क्षेत्रीय निदेशकों/कंपनी के रजिस्ट्रारों द्वारा निपटाए गए आवेदनों को दर्शाती है।

तालिका– 3.5

1.4.2008 से 31.03.2009 की अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत क्षेत्रीय निदेशकों तथा कंपनियों के रजिस्ट्रारों द्वारा विचार किए गए तथा निपटाए गए आवेदन

क्र. सं.	कंपनी अधिनियम की धारा और आवेदन की विषय–वस्तु	वर्ष के दौरान विचार किए गए (1.4.08.09 से 31.3.09)	वर्ष के दौरान निपटान किए गए	31.3.2009 को लंबित
1	2	3	4	5
1.	धारा 21 कंपनी के नाम में परिवर्तन	8543	8005	538
2.	धारा 22 कंपनी के नाम में सुधार	139	69	70
3.	धारा 25 लाइसेंस प्रदान किया जाना	419	306	113
4.	धारा 25(8) समझौता ज्ञापन तथा संगम अनुच्छेद में परिवर्तन	134	94	40
5.	धारा 31 विशेष संकल्प के माध्यम से अनुच्छेदों में परिवर्तन	2512	2314	198
6.	धारा 224(3) तथा 224(7) लेखा परीक्षकों की नियुक्ति तथा उन्हें पारिश्रमिक	34	19	15
7.	धारा 394क क्षेत्रीय निदेशक द्वारा कंपनियों (सार्वजनिक/निजी कंपनियों) का समामेलन	1234	1094	140
8.	धारा 557(7)(ख) कंपनी के परिसमापन लेखे	1173	394	779
9.	धारा 560 आरओसी द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर में से कंपनियों का नाम काटना	50127	18249	31878

कंपनियों का परिसमापन (शासकीय परिसमापक द्वारा प्राप्त आवेदन)

3.26 1.4.2008 से 31.3.2009 तक 6329 कंपनियों को परिसमापन में शामिल किया गया था। अंततः समाप्त होने वाली 174 कंपनियों को ध्यान में रखते हुए 31.03.2009 को परिसमापन के अंतर्गत कंपनियों की कुल संख्या 6155 थी। 1.4.2008 से 31.3.2009 के दौरान परिसमापन के अंतर्गत कंपनियों का उनके बंद किए जाने के तरीके के अनुसार वितरण तालिका 3.6 में दिया गया है।

तालिका 3.6

1.4.2008 से 31.3.2009 के दौरान परिसमापन के अंतर्गत कंपनियों का उनके बंद किए जाने के तरीके के अनुसार वितरण

क्र. सं.	विषय	1.4.2008 को लंबित	1.4.2008 से 31.03.2009 की अवधि के दौरान प्राप्त	कुल (कॉलम 3+4)	1.4.2008 से 31.03.2009 की अवधि के दौरान निपटाई गई	31.03.2009 को लंबित
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक रूप से बंद करने वाली	1254	61	1315	33	1282
2.	ऋणदाता द्वारा स्वैच्छिक रूप से बंद करने वाली	112	–	112	–	112
3.	न्यायालय द्वारा बंद किया जाना	4764	135	4899	141	4758
4.	न्यायालय के पर्यवेक्षणक अधीन बंद किया जाना	03	–	3	–	03
	कुल	**6133**	**196**	**6329**	**174**	**6155**

अध्याय–4

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969

नीति, प्रावधान और कार्य–निष्पादन

4.1 एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 का मूल आधार भारत के संविधान में समाविष्ट राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। संविधान के अनुच्छेद 39 के खंड (ख) तथा (ग) में उल्लिखित है कि राज्य, निम्न को सुनिश्चित करने के लिए अपनी नीति निर्दिष्ट करेगा :

(i) समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व तथा नियंत्रण का वितरण इस प्रकार हो कि वे सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन हों; और

(ii) आर्थिक व्यवस्था का प्रचालन इस प्रकार हो कि संपत्ति तथा उत्पादन के साधन सर्व–साधारण के लिए अहितकारी हाथों में केन्द्रित न हों।

एकाधिकार, अवरोधक तथा अनुचित व्यापार व्यवहारों से संबंधित उपबंध

4.2.1 एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 10 एमआरटीपी आयोग को एकाधिकार या अवरोधक व्यापार व्यवहारों को केन्द्रीय सरकार द्वारा संदर्भित किए जाने या स्वयं की जानकारी से या सूचना प्राप्त होने पर जांच करने की शक्ति प्रदान करते हैं। एमआरटीपी अधिनियम, 1969 एमआरटीपी आयोग द्वारा जांच के उद्देश्य से तथा प्रतिबंधित व्यापार व्यवहारों से संबंधित समझौतों के रजिस्टर के रखरखाव के लिए एक जांच एवं पंजीकरण महानिदेशक की नियुक्ति का प्रावधान भी करता है।

4.2.2 एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार आयोग पंजीकृत उपभोक्ता और व्यापारिक संघों से तथा व्यक्ति विशेष से भी शिकायतें या तो सीधे या सरकार के विभिन्न विभागों के माध्यम से प्राप्त करता है। किसी संस्था से प्राप्त अवरोधक व्यापार व्यवहार या अनुचित व्यापार व्यवहार से संबंधित शिकायतों को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 11 और 36ग के अधीन तथा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार आयोग विनियम, 1974 के विनियम 119 के अंतर्गत प्रारंभिक जांच के लिए महानिदेशक जांच एवं पंजीकरण को संदर्भित किया जाना अपेक्षित है। आयोग, केन्द्रीय/राज्य सरकार से प्राप्त या स्वयं की जानकारी पर भी अवरोधक व्यवहार से संबंधित संदर्भों पर महानिदेशक जांच एवं पंजीकरण को प्रारंभिक जांच करने का आदेश भी दे सकता है। महानिदेशक, जांच एवं पंजीकरण द्वारा प्रारंभिक जांच पूरी करने के पश्चात आयोग द्वारा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार अधिनियम की संबंधित धाराओं के अंतर्गत जांच प्रारंभ की जाती हैं और निष्कर्षों के परिणामस्वरूप जांच के लिए आयोग को आवेदन प्रस्तुत करता है।

एकाधिकारिक व्यापार व्यवहार

4.3 धारा 10(ख) के अंतर्गत एमआरटीपी आयोग के समक्ष वर्ष 2008 के आरंभ में 3 जांच लंबित थी तथा जनवरी, 2008 से मार्च, 2009 के दौरान 4 नई जांच प्रारंभ की गई। किसी जांच का निपटान नहीं किया गया और 31.03.2009 को ऐसी 7 जांच लंबित थी।

अवरोधक व्यापार प्रथाएं

धारा 10(क)(i) के अंतर्गत

4.4.1 जनवरी, 2008 से मार्च, 2009 की अवधि के दौरान गत वर्ष की 209 जांच सहित 254 जांचों पर विचार किया जिसमें से उक्त अवधि के दौरान 43 जांचें निपटा दी गई तथा 31 मार्च, 2009 को आयोग के समक्ष शेष 211 जांचें लंबित थीं।

धारा 10(क)(ii) के अंतर्गत

4.4.2 जनवरी, 2008 से मार्च, 2009 के दौरान एक जांच प्राप्त हुई थी और यह 31 मार्च, 2009 को लंबित थी।

धारा 10(क)(iii) के अंतर्गत

4.4.3 जनवरी, 2008 से मार्च, 2009 के दौरान आयोग द्वारा गत वर्ष की 46 जांच सहित 50 जाचों का कार्य शुरू किया गया था। उक्त अवधि के दौरान 3 जांच निपटा दी गई तथा 31 मार्च, 2009 को आयोग के समक्ष शेष 47 जांच लंबित थी।

धारा 10(क)(iv) के अंतर्गत

4.4.4 गत वर्ष की 28 जांचों सहित आयोग द्वारा जनवरी, 2008 से मार्च, 2009 के दौरान 44 जांच का कार्य शुरू किया गया था। इसमें से उक्त अवधि के दौरान 12 जांच निपटा दी गई तथा 31 मार्च, 2009 को आयोग के समक्ष 32 जांच लंबित थी।

अनुचित व्यापार व्यवहार

4.5.1 1984 में एमआरटीपी अधिनियम में अनुचित व्यापार व्यवहार से संबंधित उपबंध समाहित किए गए थे। धारा 36क में ऐसे व्यापार व्यवहारों को अनुचित व्यापार व्यवहार परिभाषित किया गया है जिसके लिए किसी सामान की बिक्री, इस्तेमाल या आपूर्ति बढ़ाने या किसी सेवा की व्यवस्था करने के लिए उसमें उल्लिखित एक या अधिक तरीका अपनाया जाता है जिससे प्रतिस्पर्धा खत्म करके या रोककर या अन्यथा किसी तरह ऐसे सामान या सेवाओं के उपभोक्ता को घाटा या नुकसान हो।

धारा 36ख(क) के अंतर्गत

4.5.2 जनवरी, 2008 से मार्च, 2009 के दौरान आयोग द्वारा गत वर्ष की 402 जांच सहित 530 जांचों पर विचार किया। इनमें से 95 जांच निपटा दी गई तथा शेष 435 जांच 31 मार्च, 2009 को लंबित थी।

धारा 36ख(ख) के अंतर्गत

4.5.3 जनवरी, 2008 से मार्च, 2009 की अवधि के दौरान एमआरटीपी अधिनियम, 1984 की धारा 36(ख) के अंतर्गत कोई जांच प्रारंभ नहीं की गई और न ही कोई जांच जनवरी, 2008 से मार्च, 2009 के दौरान लंबित थी।

धारा 36ख(ग) के अंतर्गत

4.5.4 जनवरी, 2008 से मार्च, 2009 के दौरान आयोग द्वारा पिछले वर्ष की लंबित 6 जांच सहित 21 जांच पर विचार किया गया था। इनमें से 2 जांच निपटा दी गई और 19 जांच 31.03.2009 को लंबित थी।

धारा 36ख(घ) के अंतर्गत

4.5.5 जनवरी, 2008 से मार्च, 2009 के दौरान आयोग द्वारा गत वर्ष की 252 जांच सहित, 367 जांच का कार्य शुरू किया था। इनमें से 75 जांचें निपटा दी गई तथा 31 मार्च, 2009 को आयोग के समक्ष शेष 292 जांच लंबित थी।

31.03.2009 की स्थिति के अनुसार उन जांचों का विवरण जिन पर एमआरटीपी आयोग द्वारा विचार किया तथा निपटाया गया

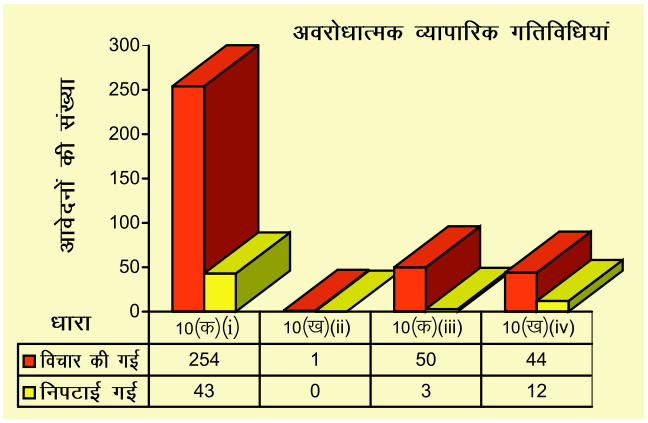

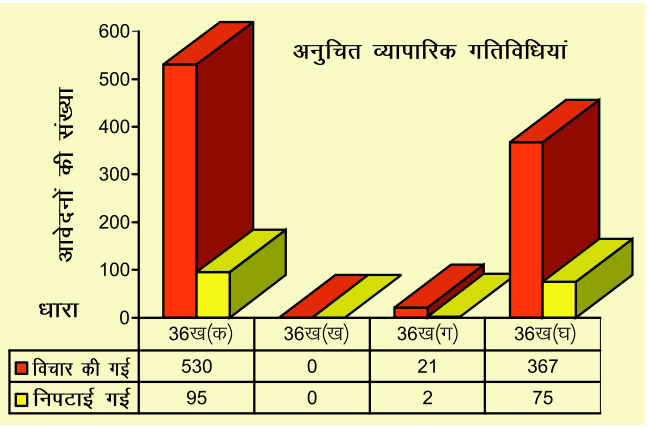

<u>31.03.2009 की स्थिति के अनुसार उन जांचों का विवरण जिन पर एमआरटीपी आयोग द्वारा विचार किया तथा निपटाया गया</u>

<u>अस्थाई आदेश</u>

4.6 1 जनवरी, 2008 को धारा 12क के अंतर्गत एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार आयोग के समक्ष लंबित 42 आवेदनों के अतिरिक्त आयोग द्वारा जनवरी, 2008 से मार्च, 2009 की अवधि के दौरान 129 आवेदन प्राप्त किए गए। इस तरह कुल 171 आवेदनों में से 134 आवेदन उक्त अवधि के दौरान निपटाए गए और शेष 37 आवेदन धारा 12के के अंतर्गत 31 मार्च, 2009 को आयोग के पास लंबित थे।

मुआवजा दिया जाना

4.7 जनवरी, 2008 से मार्च, 2009 की अवधि के दौरान धारा 12ख के अंतर्गत आयोग द्वारा पिछले वर्ष के 1127 आवेदनों सहित कुल 1480 आवेदनों पर विचार किया गया था। इसमें से उक्त अवधि के दौरान आयोग द्वारा 225 आवेदन निपटाए गए और 31 मार्च, 2009 को शेष 1155 आवेदन लंबित थे।

महानिदेशक (जांच तथा पंजीकरण) द्वारा जांच करारों का पंजीकरण

4.8.1 एमआरटीपी अधिनियम, 1969 की धारा 35 के अंतर्गत अवरोधक व्यापार व्यवहार से संबंधित प्रत्येक करार जो अधिनियम की धारा 33(1) में दी गई एक अथवा अधिक श्रेणियों में आता हो उसे 60 दिन के भीतर पंजीकरण के लिए प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

4.8.2 1 जनवरी, 2008 को इस उपबंध के अनुसरण में 1 जनवरी, 2008 से 31 मार्च, 2009 के दौरान 1 करार जांच और पंजीकरण के लिए लंबित था। 3 करार पंजीकरण के लिए प्राप्त हुए। इनमें से 3 करारों को पंजीकृत किया गया तथा पंजीकरण के रजिस्टर में उनकी प्रविष्टि की गई। एक करार 31.12.2008 को पंजीकरण हेतु लंबित था।

4.8.3 विभिन्न वचनबद्धताओं के तहत 31 दिसम्बर, 2008 के अंत तक कुल 40024 करार दायर किए गए। इनमें से 39,156 करारों में ऐसे खंड विहित थे जो अधिनियम में उल्लिखित अनुसार अवरोधक व्यापार व्यवहार की श्रेणी में आते थे और इनके ब्यौरे करार–रजिस्टर में प्रविष्ट किए गए।

जांच

4.9.1 महानिदेशक, एमआरटीपी आयोग से प्रारंभिक जांच का कोई आदेश प्राप्त होने पर अवरोधक, एकाधिकार तथा अनुचित व्यापार व्यवहार के संबंध में प्रारंभिक जांच करता है। 1.1.2008 को ऐसी 68 जांच प्रगति पर थीं। 1.1.2008 से 31.03.2009 की अवधि के दौरान प्राथमिक जांच रिपोर्ट के 97 नए आदेश प्राप्त हुए थे। कुल 165 जांच में से इस कार्यालय द्वारा 76 मामलों में प्राथमिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई थी। परिणामस्वरूप 31.03.2009 को 89 जांच लंबित थी। इसके अतिरिक्त, महानिदेशक के पास एकाधिकारिक, अवरोधक तथा अनुचित व्यापार व्यवहार पर प्रारंभिक जांच स्वतः करने की शक्तियां हैं और जांच के दौरान इनमें से किसी व्यापार व्यवहार का पता लगने पर महानिदेशक अधिनियम की धारा 10(क)(3)/10(ख) तथा 36ख(ग) के अंतर्गत माननीय एमआरटीपी आयोग द्वारा जांच कार्यवाहियां प्रारंभ करने के लिए आवेदन दायर करने के लिए प्राधिकृत है। 1.1.2008 को 5 स्वतः जांच की जा रही थी। 1.1.2008 से 31.03.2009 की अवधि के दौरान 4 नई जांच का कार्य शुरू किया गया। कुल 9 में से इस कार्यालय ने एमआरटीपी अधिनियम, 1969 की धारा 10(क)(iii)/10(ख)/36ख(ग) के तहत माननीय एमआरटीपी आयोग के समक्ष 3 आवेदन दायर करके ये जांच स्वतः निपटा दी हैं। परिणामतः 31.03.2009 को 6 जांच लंबित थीं।

उपभोक्ता संरक्षण

4.9.2 अब, उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन का प्रयास पूरे देश में जारी है। उपभोक्ता पूरे देश में उपभोक्ता निकायों के रूप में अपने आप में संगठित हो रहे हैं ताकि भ्रामक विज्ञापनों, मोल–भाव वाली खरीददारी, विक्रय संवृद्धि प्रतियोगिताओं का आयोजन, सही मानकीकृत न होने वाली वस्तुओं को बेचना आदि के माध्यम से अनुचित व्यापार में शामिल पार्टियों के विरूद्ध जनता और उपभोक्ताओं के हित सुरक्षित रखे जा सकें। अनुचित व्यापार व्यवहार से संबंधित एक स्वतंत्र अध्याय एमआरटीपी अधिनियम, 1984 में जोड़ा गया था तथा उपभोक्ता इस अध्याय के अंतर्गत किए गए प्रावधानों का इस कार्यालय में शिकायत दर्ज कराकर इसका पूरा लाभ उठा रहे हैं। उनकी शिकायतों की तीव्र सुनवाई की सुविधा इस कार्यालय द्वारा मुहैया कराई जा रही है। 1.1.2008 को इस कार्यालय में 127 शिकायतों पर जांच की जा रही थी। 1.1.2008 से 31.03.2009 तक की अवधि के दौरान इस कार्यालय को उपभोक्ता अथवा अन्य पक्षों से 347 नई शिकायतें प्राप्त हुई थी। उक्त अवधि के दौरान 212 शिकायतों को निपटा दिया गया था और इसके परिणामस्वरूप 31.03.2009 को 262 शिकायतें लंबित थी। इस कार्यालय में प्राप्त शिकायतों के आधार पर 1.1.2008 से 31.03.2009 तक के दौरान की गई जांच के परिणामस्वरूप, अनैतिक और प्रतिरोधात्मक व्यापार व्यवहार के अंतर्गत जांच हेतु अधिनियम की धारा 36(ख)(ग)/10(क)(111) के अंतर्गत 12 आवेदन दायर किए गए।

जांच अभियोजन

आयोग के समक्ष

4.10.1 महानिदेशक, एमआरटीपी आयोग के समक्ष जांच कार्यवाहियों में लोकहित का रक्षक है और उसे आयोग के समक्ष लोकहित की रक्षा के लिए स्वयं अथवा अपने वकील के माध्यम से उपस्थित होना पड़ता है। 31.03.2009 की स्थिति के अनुसार एमआरटीपी आयोग के समक्ष इस कार्यालय द्वारा 229 जांच अभियोजित की जा रही हैं।

उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय के समक्ष

4.10.2 उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों में दायर और लंबित अपीलों/याचिकाओं की स्थिति का विवरण नीचे दी गई तालिका 4.1 के अनुसार है :–

तालिका 4.1

उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय के समक्ष दायर तथा लंबित अपील/याचिका

अपील/याचिका	1.1.2008 को लंबित	1.1.2008 से 31.03.2009 के दौरान दायर की गई	1.1.2008 से 31.03.2009 के दौरान निपटाई गई	31.03.2009 को लंबित
1	2	3	4	5
सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील	19	20	0	39
विभिन्न उच्च न्यायालयों में रिट	56	3	21	38

4.10.3 महानिदेशक, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के समक्ष अपेक्षित सभी अपीलों/रिट याचिकाओं में विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग के केन्द्रीय एजेंसी अनुभाग, मुकद्मा शाखाओं द्वारा नियुक्त अधिवक्ताओं के माध्यम से उपस्थित होते रहे हैं।

4.10.4 1.1.2008 से 31.03.2009 की अवधि के दौरान ''व्यावसायिक तथा विशेष सेवाएं'' शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय 3,21,700 रूपए था।

अध्याय–5

सम्बद्ध विधान

सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949

5.1.1 सनदी लेखाकार के व्यवसाय को नियंत्रित करने तथा उक्त उद्देश्य से एक संस्थान स्थापित करने के लिए 1949 में सनदी लेखाकार अधिनियम अधिनिगमित किया गया था। तद्नुसार, इसी उद्देश्य के लिए अधिनियम के उपबंधों के अनुसार भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की स्थापना जुलाई, 1949 में की गई।

5.1.2 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान का मुख्य उद्देश्य, सदस्यता के लिए योग्यताएं निर्धारित करना, परीक्षा लेने और नामांकन के लिए अभ्यर्थियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण देना, व्यवसाय की प्रेक्टिस के लिए अर्हता प्राप्त सदस्यों के रजिस्टर का रखरखाव तथा प्रकाशन की व्यवस्था करना, व्यवसाय के विकास के लिए गतिविधियां जारी रखना और सदस्यों की व्यावसायिक अर्हताओं के स्तर एवं मानक का विनियमन एवं अनुरक्षण करना है। संस्थान सम्पूर्ण देश में परीक्षा आयोजित करता है, डाक/मौखिक शिक्षण मुहैया कराता है और व्यावहारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है ताकि विद्यार्थी इस व्यवसाय के लिए योग्य हो सकें।

5.1.3 संस्थान के कार्यकलापों का प्रबंधन इसकी परिषद द्वारा किया जाता है जो इसे सनदी लेखाकार अधिनियम के अंतर्गत सौंपे गए कार्यों का भी निपटान करती है। परिषद में संस्थान के सदस्यों द्वारा चुने गए 24 से अनधिक व्यक्ति होते हैं और 6 व्यक्तियों को केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है।

लागत और सकर्म लेखाकार अधिनियम, 1959

5.2.1 लागत लेखा के व्यवसाय को विनियमित करने और उक्त उद्देश्य हेतु लागत और सकर्म लेखाकार संस्थान स्थापित करने के लिए 1959 में लागत और सकर्म लेखाकार अधिनियम अधिनिगमित किया गया था। इस नियम के उपबंधों के अनुसार भारतीय लागत और सकर्म लेखाकार संस्थान मई, 1959 में स्थापित किया गया था।

5.2.2 लागत और सकर्म लेखाकार अधिनियम, 1959 के अंतर्गत अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी भारतीय लागत एवं सकर्म लेखाकार संस्थान की परिषद को सौंपी गयी है जो अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत गठित की गई है। परिषद के संघटन में संस्थान के सदस्यों द्वारा चुने गए 12 और केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत 4 से अनधिक व्यक्ति शामिल होते हैं। तद्नुसार, केन्द्र सरकार ने संस्थान की परिषद में 4 व्यक्तियों को नामित किया है।

कंपनी सचिव अधिनियम, 1980

5.3.1 कंपनी सचिव अधिनियम, कंपनी सचिव के व्यवसाय को विनियमित तथा विकसित करने और उक्त उद्देश्य से भारतीय कंपनी सचिव संस्थान को स्थापित करने के लिए 1980 में बनाया गया था। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की स्थापना जनवरी, 1981 में की गई थी।

5.3.2 कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अधिनियम के उपबंधों को लागू करने का कार्य भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की परिषद, जिसका गठन अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत किया गया था, में निहित है। परिषद में संस्थान के सदस्यों द्वारा चुने गए 12 व्यक्ति से कम नहीं तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित 4 से अनधिक व्यक्ति होते हैं। तद्नुसार, केन्द्रीय सरकार ने संस्थान की परिषद में 4 व्यक्तियों को नामित किया है।

व्यावसायिक सेवाएं

5.4 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, भारतीय लागत एवं सकर्म लेखा संस्थान तथा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के सदस्यों द्वारा व्यावसायिक सेवाएं मुहैया कराई जाती हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस बदलते आर्थिक वातावरण में व्यवसायी अपना कार्य लगन से करते हैं, उपलब्ध नए अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम हैं, संसद ने सनदी लेखाकार संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2006, लागत एवं सकर्म लेखाकार संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2006 और कंपनी सचिव संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2006 पारित किया। संशोधन अधिनियम के उपबंधों के अनुसार 01.01.2008 से 31.03.

2009 के दौरान निम्नलिखित नियम/विनियम बनाए गए हैं :–

i) कम्पनी सचिव (परिषद का चुनाव) संशोधन नियमावली, 2008.

ii) सनदी लेखाकार (परिषद का चुनाव) संशोधन नियमावली, 2008.

iii) लागत एवं सकर्म लेखाकार (परिषद का चुनाव) संशोधन नियमावली, 2008.

iv) लागत एवं सकर्म लेखाकार (संशोधन) विनियम, 2008.

v) सनदी लेखाकार (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2008.

vi) सनदी लेखाकार गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड की बैठकों की पद्धतियां तथा बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की शर्तें एवं निबंधन तथा भत्ते (संशोधन) नियमावली, 2009.

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002

5.5 प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार, 14 अक्तूबर, 2003 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना की गई। जबकि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को कार्यात्मक बनाने की कार्रवाई शुरू की गई, प्रतिस्पर्धा अधिनियम में कानूनी अड़चने पैदा हो गई। भारत के उच्चतम न्यायालय ने उस संबंध में दायर रिट याचिका पर जनवरी, 2005 में अपना निर्णय दे दिया। उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 में संशोधन के प्रस्ताव तैयार किए गए और संसद के समक्ष रखे गए, जिसे आखिरकार संसद ने मानसून सत्र 2007 में अनुमोदित कर दिया। उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का पूरी तरह गठन कर दिया गया है और एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्यों को नियुक्त कर दिया गया है। संशोधित अधिनियम में प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण का प्रावधान भी किया गया। प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण की स्थापना की कार्रवाई शुरू की गई। उक्त संशोधित अधिनियम के तहत अनेक नियम बनाए गए। विधिवत रूप से गठित भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने विनियम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी।

मूल्यांकन व्यावसायिक विधेयक, 20**

5.6 कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 8 जून, 2007 को आम नागरिक से सुझावों और टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए, मूल्यांकन व्यवसायियों को विनियमित करने के लिए उपबंधों का प्रस्ताव करते हुए भारतीय मूल्यांकन व्यवसायिक परिषद अधिनियम, 20** पर एक संकल्पना प्रपत्र को अपने वेबसाइट पर प्रकाशित किया है। प्राप्त टिप्पणियों को व्यवसायियों की समिति को सौंप दिया गया और उनकी सिफारिशों के आधार पर एक मसौदा विधेयक तैयार किया गया। इस मसौदा विधेयक को मंत्रालय द्वारा विशेषज्ञ समूह को भेज दिया गया है जो सरकार को मूल्यांकन व्यवसायियों के विनियमन हेतु सांविधिक ढांचे के बारे में सलाह देगा। विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860

5.7 सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 में अधिनिगमित हुआ जो साहित्यिक, वैज्ञानिक और धर्मार्थ सोसायटियों के पंजीकरण की व्यवस्था करनता है, जिससे ऐसी सोसायटियों के वैधानिक स्तर को सुधारा जा सके। इस अधिनियम में साहित्य, विज्ञान, या ललितकला या उपयोगी ज्ञान के प्रसार या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए स्थापित सोसायटियों को अपने संस्थान के संगम ज्ञापन को अधिनियम में निर्दिष्ट अधिकारियों को प्रस्तुत करके पंजीकरण करवाना अपेक्षित है। अधिकतर राज्यों ने सोसायटी पंजीकरण अधिनियम में संशोधन कर लिए हैं। इन संशोधनों में संबंधित राज्यों में सोसायटी रजिस्ट्रारों द्वारा इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त अन्य अधिकारियों द्वारा किए गए सोसायटी पंजीकरण भी शामिल हैं।

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932

5.8 भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 भागीदारों से संबंधित विधि परिभाषित और संशोधित करने के उद्देश्य से भारतीय अधिनियम, 1932 में अधिनिगमित किया गया था जिसमें इसके साथ–साथ भागीदारी की प्रकृति, भागीदारों के एक–दूसरे के साथ और अन्य पक्ष के साथ आपसी संबंध भी शामिल हैं। अधिनियम में इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए रजिस्ट्रारों

के साथ फर्मों के पंजीकरण का भी प्रावधान है। इस अधिनियम में फर्मों को आयकर अधिनियम के उद्देश्यों के लिए संबंधित आयकर अधिकारियों के पास पंजीकरण करने हेतु अलग से उपबंध है।

कंपनी (राष्ट्रीय निधि में दान) अधिनियम, 1951

5.9 कंपनी (राष्ट्रीय निधि में दान) अधिनियम, 1951 में अधिनिगमित किया गया था। कंपनी अधिनियम या अन्य विधि में विनिर्दिष्ट किसी बात के या कंपनी के संगम ज्ञापन या संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी अधिनियम के तहत कोई कम्पनी सरकार द्वारा यथा अनुमोदित धर्मार्थ उद्देश्य के लिए स्थापित किसी अन्य निधि में दान कर सकती है। केन्द्र सरकार ने गांधी राष्ट्रीय स्मारक निधि और सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक निधि को दान प्राप्त करने के लिए पात्र निधि अनुमोदित किया है।

अध्याय–6

निगमित क्षेत्र की सांख्यिकीय समीक्षा

प्रचालन कर रही कंपनियां

6.1 31.03.2009 को देश में शेयरों द्वारा सीमित 7,86,774 कंपनियां प्रचालनरत थीं। इसमें 7,85,183 गैर–सरकारी कंपनियां और 1,591 सरकारी कंपनियां थीं। प्रचालन कर रही शेयरों द्वारा सीमित 7,86,774 कंपनियों में से 82,058 कंपनियां सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियां और 7,04,716 निजी लिमिटेड कंपनियां थीं। 31 मार्च, 2009 को कार्यरत शेयर द्वारा सीमित कंपनियों का राज्यवार वितरण विवरणी–। पर है।

नए पंजीकरण

6.2.1 1 जनवरी, 2008 से 31 मार्च, 2009 के दौरान कंपनी अधिनियम के अंतर्गत 53,220.94 करोड़ रू. की प्राधिकृत पूंजी के साथ शेयरों द्वारा सीमित 84,848 कंपनियां पंजीकृत थीं। इनमें से 4902.79 करोड़ रू. प्राधिकृत पूंजी वाली 112 सरकारी कंपनियां और 48318. 15 करोड़ रू. की प्राधिकृत पूंजी वाली 84,736 गैर–सरकारी कंपनियां थीं।

6.2.2 1 जनवरी, 2008 से 31 मार्च, 2009 के दौरान पंजीकृत की गई शेयरों द्वारा सीमित सरकारी कंपनियों में 4860.40 करोड़ रू. तथा 42.39 करोड़ रू. की प्राधिकृत पूंजी के साथ क्रमशः 72 सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियां और 40 निजी लिमिटेड कंपनियां शामिल थीं। 1 जनवरी, 2008 से 31 मार्च, 2009 के दौरान शेयरों द्वारा सीमित गैर–सरकारी कंपनियों में 3,108 सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियां और 81,628 निजी लिमिटेड कंपनियां थीं जिनकी प्राधिकृत पूंजी क्रमशः 18843.68 करोड़ रू. और 29474.47 करोड़ रू. थी।

परिसमापन

6.3 1 जनवरी, 2008 से 31 मर्च, 2009 के दौरान शेयरों द्वारा सीमित 32,705 गैर–सरकारी कंपनियों के परिसमापन में जाने अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560(5) के अंतर्गत समाप्त किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी।

विदेशी कंपनियां

6.4 31.12.2007 को देश में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 591 के अंतर्गत यथा परिभाषित 2546 विदेशी कंपनियां थी। 1 जनवरी, 2008 से 31 मार्च, 2009 की अवधि के दौरान और 263 विदेशी कंपनियों ने भारत में अपने व्यापार का स्थान स्थापित किया और 23 विदेशी कंपनियों ने भारत में अपना प्रमुख व्यवसाय स्थान बंद कर दिया है। इस प्रकार 31 मार्च, 2009 को भारत में 2903 विदेशी कंपनियां कार्य कर रही हैं।

6.5 उक्त दी गई सांख्यिकी सूचनाएं एमसीए 21 प्रणाली के अंतर्गत तैयार किए अनुसार है।

विवरणी–।

31.03.2009 को कार्यरत शेयरों द्वारा सीमित कम्पनियां (राज्य–वार वितरण)

क.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सार्वजनिक संख्या	निजी संख्या	कुल संख्या
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	6,378	51,946	58,324
2	असम	680	4,795	5,475
3	बिहार	1,132	7,092	8,224
4	छत्तीसगढ़	318	2,962	3,280
5	गुजरात	5,803	38,971	44,774
6	हरियाणा	975	7,670	8,645
7	हिमाचल प्रदेश	333	2,147	2,480
8	जम्मू और कश्मीर	235	2,029	2,264
9	झारखंड	337	3,531	3,868
10	कर्नाटक	3,052	36,480	39,532
11	केरल	1,563	15,519	17,082
12	मध्य प्रदेश	1,292	10,257	11,549
13	महाराष्ट्र	15,141	1,61,676	1,76,817
14	मणिपुर	39	141	180
15	मेघालय	114	526	640
16	मिजोरम	7	46	53
17	नागालैंड	32	227	259
18	उड़ीसा	798	6,849	7,647
19	पंजाब	2,244	13,411	15,655
20	राजस्थान	1,826	22,469	24,295
21	तमिलनाडु	7,188	55,618	62,806
22	त्रिपुरा	21	109	130
23	उत्तर प्रदेश	4,732	22,210	26,942
24	उत्तराखंड	281	1,706	1,987
25	पश्चिमी बंगाल	9,916	82,698	92,614
26	अंडमान और निकोबार द्वीप	4	106	110
27	अरूणाचल प्रदेश	22	257	279
28	चंडीगढ़	1,240	5,704	6,944
29	दादर एवं नागर हवेली	58	203	261
30	दमन एवं दीव	51	133	184
31	दिल्ली	15,880	1,41314	1,57,194
32	गोवा	252	4,718	4,970
33	लक्षद्वीप	0	9	9
34	पुदुचेरी	114	1,187	1,301
	कुल	**82,058**	**7,04,716**	**7,86,774**

अध्याय–7

परस्पर कियाशील एवं उत्तरदायी प्रशासन की ओर

7.1 अपने मुख्यालय तथा क्षेत्र कार्यालयों में एक उत्तरदायी, पारदर्शी तथा गतिशील वातावरण उपलब्ध कराने के अपने प्रयास में कंपनी कार्य मंत्रालय ने कई परिवर्तनकारी कदम उठाए हैं तथा तंत्र स्थापित किए हैं।

ई–शासन

7.2.1 राष्ट्रीय ई–शासन योजना के तहत भारत सरकार की मिशन मोड परियोजना के रूप में कार्यान्वित एमसीए 21 ई–शासन परियोजना तत्काल एवं दक्ष सेवा वितरण पर केंद्रित है। यह परियोजना सभी 20 रिजस्ट्री स्थानों से पूरी तरह काम कर रही है। वर्ष 2008 के दौरान मुख्य बल प्रचालनों के मूल्य संवर्धन और सुदृढ़ीकरण तथा प्रयोक्ताओं के अनुभव में सुधार करने पर रहा है।

7.2.2 वर्ष के दौरान, इस दिशा में अनेक पहल की गईं। प्रचालन दक्षता में सुधार करने तथा अनुपालन बढ़ाने के लिए 35 ई–फार्मों में संशोधन किया गया। यह सिद्ध करने के लिए कि आपदा की स्थिति में एमसीए 21 के पूर्ण कार्यान्वयन को संचालित करने के लिए आपदा राहत केन्द्र पूरी तरह तैयार है, इस प्रणाली के कार्यों को दिल्ली में डाटा केन्द्र से चेन्नई में आपदा राहत केन्द्र में बदल दिया गया है। पीएनबी तथा एसबीआई के अलावा, इंडियन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक तथा एचडीएफसी बैंक को शामिल करने के लिए इंटरनेट बैंकिंग इंटरफेस का विस्तार किया गया। प्रचालन के निम्नलिखित आंकड़ों से उक्त प्रणाली के सुदृढ़ीकरण, फाइलिंग के बढ़ते हुए मामलों तथा और अधिक अनुपालन को दर्शाते हैं।

क्र. सं.	विवरण	संख्या
	31 मार्च, 2009 को फाइलिंग की स्थिति	
1.	प्रतिदिन औसतन पोर्टल उपयोग	44 लाख
2.	31.03.2009 तक प्रणाली के माध्यम से कुल फाइलिंग	70.13 लाख
3.	एक दिन में दायर अधिकतम दस्तावेज (29 नवम्बर, 2007)	41,832
4.	ऑनलाइन पंजीकृत नई कम्पनियां	1,87,452
5.	आज तक जारी कुल डीआईएन	10,05 लाख
6.	ऑनलाइन देखे गए कम्पनी रिकार्ड	8,12 लाख
7.	दायर तुलन–पत्रों की संख्या	11,74 लाख
8.	दायर वार्षिक विवरणियों की संख्या	11,42 लाख
9.	वीएफओ के जरिए ई–फाइलिंग	93%
10.	ऑनलाइन भुगतान लेनदेन (मात्रा)	63%

7.2.3 पूरे देश में प्रयोक्ता सर्वेक्षण किया गया और 9000 से अधिक स्टेकहोल्डरों ने सर्वेक्षण में भाग लिया। 71 प्रतिशत स्टेकहोल्डरों ने एमसीए प्रणाली को 'बहुत अच्छी' या 'अच्छी' का दर्जा दिया। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा आईआईएम, अहमदाबाद ने ऐसी सरकारी परियोजनाओं, जिन्हें राज्य तथा राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका था, द्वारा सृजित प्रभाव की प्रकृति तथा मात्रा को जानने के लिए ई–शासन परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन किया। इस अध्ययन से यह पता चला कि इस अध्ययन में शामिल किए गए प्रमुख आयामों के संबंध में प्रयोक्ताओं पर एमसीए का अत्यधिक सकारात्मक प्रभाव रहा। इस परियोजना का भ्रष्टाचार उन्मूलन पर उल्लेखनीय सकारात्मक प्रभाव रहा और प्रयोक्ताओं को दिए गए लाभ के संदर्भ में यह उल्लेखनीय रूप से अधिक सफल रही है। इस अध्ययन से यह भी पता चलता है कि एमसीए एकमात्र ऐसी परियोजना है जो अपनी सभी सेवाओं के लिए एक जगह से दूसरी जगह पूरी तरह ऑनलाइन सेवा प्रदान करती है और इससे फार्मों तथा पद्धतियों में उल्लेखनीय सुधार हुए।

7.2.4 परियोजना के कार्यान्वयन से सेवा वितरण के समय में उल्लेखनीय प्रगति हुई है जो निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है :

एमसीए–21 के तहत सेवा तिवरण में दक्षता		
सेवा मापन		
सेवा की किस्म	**एमसीए 21 से पहले**	**एमसीए 21 के बाद**
नाम अनुमोदन	7 दिन	1.2 दिन
कम्पनी समावेश	15 दिन	1.3 दिन

नाम परिवर्तन	15 दिन	3 दिन
प्रभार सृजन/संशोधन	10.15 दिन	2 दिन
प्रमाणित प्रतिलिपि	10 दिन	2 दिन
अन्य दस्तावेजों का पंजीकरण		
सेवा की किस्म	**एमसीए 21 से पहले**	**एमसीए 21 के बाद**
वार्षिक विवरणी	60 दिन	तत्काल
तुलन–पत्र	60 दिन	तत्काल
निदेशकों में परिवर्तन	60 दिन	1.3 दिन
पंजीकृत कार्यालय पते में परिवर्तन	60 दिन	1.3 दिन
प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि	60 दिन	1.3 दिन
सार्वजनिक दस्तावेजों का निरीक्षण	प्रत्यक्ष प्रस्तुत होकर	ऑनलाइन

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

कारपोरेट कार्यों पर भारत–यू.के. विशेष कार्यबल

7.3.1 कारपोरेट कार्यों पर भारत–यू.के. विशेष कार्यबल की दूसरी और तीसरी बैठक क्रमशः 5 से 8 फरवरी, 2008 को लंदन में तथा 30 और 31 अक्तूबर, 2008 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। दूसरी बैठक में निम्नलिखित क्षेत्रों में विचार–विमर्श तथा सहयोग के प्रयोजन से 5 उप–समूह गठित किए गए :

1) संस्थागत सहयोग तथा क्षमता निर्माण सहित नियामक तथा सांविधिक मुद्दे
2) कारपोरेट शाासन
3) कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी
4) वित्तीय तथा सम्बद्ध व्यवसायों में मानक
5) दिवालियापन तथा सम्बद्ध मुद्दे।

7.3.2 कारपोरेट कार्यों पर भारत–यू.के. विशेष कार्यबल की तीसरी बैठक में विशेषज्ञ कार्यबल तथा विभिन्न उप समूहों के संस्थानीकरण तथा कार्यकरण पर बल रहा। इससे दोनों देशों के बीच नियामक से नियामक, संस्थान से संस्थान तथा व्यापार उद्यम से व्यापार उद्यम स्तर पर और अधिक सहयोग बढ़ने की आशा है।

7.3.3 5–5 अधिकारियों के दो समूहों ने क्षमता निर्माण तथा यू.के. में सर्वोत्तम प्रथाओं की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने के संबंध में 15–20 सितम्बर, 2008 तक यू.के. का दौरा किया। एक समूह ने कारपोरेट धोखाधड़ियों का पता लगाने तथा उन्हें रोकने के लिए यू.के. की प्रणाली के कार्यकरण की प्रत्यक्ष जानकारी ली जबकि दूसरे समूह ने अपना मुख्य ध्यान दिवालियापन के विषय पर केन्द्रित किया।

7.3.4 5–5 अधिकारियों के दो समूहों ने प्रणाली में परिवर्तनों तथा ई–शासन और सेवा–वितरण (ई–बिज फाइलिंग सहित) के क्षेत्रों में व्यवहारिक प्रचालनों की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने के संबंध में 15–20 सितमब्र, 2008 तक सिंगापुर का दौरा किया। एक समूह ने अपना ध्यान ई–शासन तथा सेवा वितरण पर तथा दूसरे समूह ने कारपोरेट कानून, विनियम तथा प्रवर्तन पर केन्द्रित किया।

7.3.5 उक्त चारों समूहों के दौरे आईसीएलएस अधिकारियों के लिए 4 सप्ताह के सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम का भाग थे।

निवेशक शिकायत समाधान तंत्र

7.4.1 निवेशकों को निःशुल्क शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करने के लिए मिडास इन्वेस्टर एसोसिएशन (एनजीओ) द्वारा सृजित www.investorhelpline.in नामक वेबसाइट निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि के तहत 4 सितम्बर, 2006 में प्रायोजित और शुरू की गई। यह वेबसाइट निवेशकों को वेबसाइट पर अपनी शिकायतें दर्ज करने की सुविधा प्रदान करती है। यह निवेशकों तथा कम्पनियों, स्टॉक एक्सचेंजों और अन्य प्राधिकारियों के बीच मध्यस्थ का कार्य करती है। यह वेबसाइट निवेशकों को विभिन्न अधिनियमों के तहत उनके कानूनी अधिकारों तथा उन्हें लागू करवाने संबंधी पद्धति के बारे में जानकारी भी देती है। इन्वेस्टर हेल्पलाइन द्वारा 01.01.2008 से 31 मार्च, 2009 तक श्रेणी–वार शिकायतों तथा संकल्प की स्थिति के ब्यौरे विवरण 7.1 के रूप में संलग्न हैं।

7.4.2 इसके अलावा, निवेशकों को बेइमान प्रवर्तकों, कम्पनियों तथा निकायों से बचाने में सहायता करने के लिए निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि के तहत सहायता से

प्राइम इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन एंड लीग द्वारा www.watchoutinvestors.com वेबसाइट सृजित की गई है।

अधिकारियों तथा स्टाफ की शिकायतों का निपटान

7.5 अधिकारियों तथा स्टाफ की शिकायतों के निपटान की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय में एक स्टाफ परिषद है, जोकि एक निर्वाचित निकाय है। स्टाफ परिषद की अध्यक्षता प्रशासन के प्रभारी संयुक्त सचिव द्वारा की जाती है। इसकी 2 माह में कम से कम एक बैठक होती है और सभी शिकायतों तथा समस्याओं पर चर्चा की जाती है और उन्हें मंच पर ही सुलझा लिया जाता है। यह मंत्रालय में अच्छे वातावरण के निर्माण में बहुत ही प्रभावी तंत्र सिद्ध हुआ है।

सतर्कता

7.6 प्रत्येक स्तर पर भ्रष्टाचार को समाप्त करने की केन्द्र सरकार की नीति के अनुरूप कारपोरेट कार्य मंत्रालय में एक पृथक सतर्कता अनुभाग कार्य कर रहा है। जहां कहीं कोई विश्वसनीय शिकायत प्राप्त होती है वहां त्वरित कार्रवाई की जाती है। वर्ष 2007–08 के प्रारंभ में 12 सतर्कता मामले लंबित थे जिसमें से 5 मामलों का निपटान कर दिया गया और एक नया मामला और प्राप्त हुआ है। आईसीएलएस के तीन अधिकारियों के विरूद्ध अभियोजन की मंजूरी की गई है। 77 शिकायतों, जिनमें केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा रिपोर्ट मांगी गई थी, सहित 43 शिकायतों को निपटाया गया।

लिंग संबंधी मुद्दे

7.7 जहां लिंग से जुड़े मुद्दों का संबंध है, कार्य को आबंटित किए जाते समय लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। कार्य को पदनाम के आधार पर आबंटित किया जाता है।

अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा.) और अन्य पिछड़े वर्गों (अ.पि.व.) का प्रतिनिधित्व

7.8.1 आईसीएलएस की संवर्ग समीक्षा के भाग के रूप में 5.11.2008 को विभिन्न स्तरों पर 60 पद सृजित किए गए हैं। इनमें एक पद एचएजी स्तर का तथा 4 पद एसएजी स्तर के हैं जिनके लिए मंत्रिमंडल द्वारा 4.9.2008 को अनुमोदन प्रदान किया गया, शेष पद जेएजी, एसटीएस तथा जेटीएस स्तर के हैं जिनके सृजन हेतु कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा व्यय विभाग का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

7.8.2 आईसीएलएस की भर्ती नियमावली को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से संशोधित किया गया है। संशोधित आईसीएलएस नियमावली को दिनांक 5.11.2008 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 772 (ई) के जरिए अधिसूचित किया गया है। आईसीएलएस को संघ लोक सेवा द्वारा संचालित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा में समूह 'क' केन्द्रीय सेवा के रूप में शामिल किया गया है।

7.8.3 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार, मंत्रालय में इसके अधीनस्थ और फील्ड कार्यालयों सहित 2267 कर्मचारी कार्यरत थे। इनमें से 281 कर्मचारी अनुसूचित जाति, 133 अनुसूचित जनजाति, 125 अन्य पिछड़ा वर्ग के थे। वर्ष 2008–09 के संबंध में कुल सरकारी कर्मचारियों की संख्या तथा उनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की संख्या नीचे तालिका 7.1 में दी गई है :

तालिका 7.1

वर्ष 2008–2009 में कुल कार्यरत सरकारी कर्मचारी और उनमें से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों को दर्शाने वाला विवरण

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	कुल कर्मचारियों की संख्या में से कर्मचारियों की संख्या		
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.
1	**2**	**3**	**4**	**5**
समूह क	227	32	12	17
समूह ख	257	31	14	15
समूह ग	1431	120	74	68
समूह घ	352	98	33	25
कुल	**2267**	**281**	**133**	**125**

हिंदी का प्रगामी प्रयोग

7.9.1 तकनीकी मंत्रालय होने के कारण कारपोरेट कार्य मंत्रालय को कार्यालीय कार्य में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य से संबंधित अपने निम्नांकित उद्देश्य को प्राप्त करना था :–

(i) पिछले कुछ वर्षों के दौरान किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप मंत्रालय के सभी कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

(ii) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत पत्राचार द्विभाषी रूप में किया जा रहा है।

(iii) राजभाषा नियम–5 के अनुसार, हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों का जवाब हिंदी में दिया जाता है।

(iv) हिंदी में टिप्पण/प्रारूपण करने और कार्यालयीन कार्य में विभिन्न हिंदी प्रारूपों के उचित प्रयोग के लिए मंत्रालय में दिनांक 15.2.2008 को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। हिंदी के प्रगामी प्रयोग पर विहित रिपोर्टों को समय पर भेजने के तरीके पर और आवश्यकता के बारे में कर्मचारियों को दिशानिर्देश दिए गए।

(v) मंत्रालय की ''कारपोरेट प्रवाहिनी'' नामक नई हिन्दी पत्रिका का छमाही आधार पर प्रकाशन शुरू किया गया है। पत्रिका का प्रथम अंक जुलाई, 2008 तथा द्वितीय अंक जनवरी, 2009 में निकाला गया।

(vi) एमसीए 21 के तहत, प्रत्येक कम्प्यूटर में द्विभाषी साफ्टवेयर लगाया जा रहा है।

(vii) 4 अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन संबंधी निरीक्षण किया गया।

(viii) हिन्दी अनुभाग में सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग का जायजा लेने के लिए मंत्रालय के सभी अनुभागों का निरीक्षण किया गया।

(ix) कारपोरेट कार्य मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक माननीय कारपोरेट कार्य मंत्री की अध्यक्षता में 23.09.2008 को आयोजित की गई। समिति के सदस्यों से प्राप्त सुझावों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

7.9.2 11.09.2008 से 25.09.2008 तक मंत्रालय में हिंदी पखवाड़ा मनाया गया था जिसके दौरान अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ जिसमें निबंध लेखन, टिप्पण–प्रारूपण, कविता वाचन, वाद–विवाद शामिल है और 1 अक्तूबर, 2008 को माननीय कारपोरेट कार्य मंत्री द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए थे। इसी प्रकार के समारोह समूचे देश में फैले मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों में भी आयोजित किए गए थे।

प्रकाशन

7.10 वर्ष 2008 के दौरान मंत्रालय के प्रकाशन निम्नलिखित हैं :–

(क) कंपनी अधिनियम, 1956 के कार्यकरण और प्रशासन पर वार्षिक रिपोर्ट: कंपनी अधिनियम, 1956 के कार्यकरण और प्रशासन संबंधी वार्षिक रिपोर्ट को अधिनियम की धारा 638 के उपबंधों के अनुसरण में संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना अपेक्षित है। 31.03.2007 को समाप्त हुए वर्ष की 51वीं वार्षिक रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के सभा–पटलों पर 2008 में रखी गई थी।

(ख) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार, अधिनियम, 1969 के कार्यकरण तथा प्रशासन पर वार्षिक रिपोर्ट : एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 के कार्यकरण और प्रशासन पर वार्षिक रिपोर्ट को अधिनियम की धारा 62 के उपबंधों के अनुसरण में संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना अपेक्षित है। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 के उपबंधों से संबंधित 1 जनवरी, 2006 से 31 दिसम्बर, 2006 तक की अवधि हेतु 36वीं रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में 2008 में प्रस्तुत की गई थी।

राजस्व प्राप्ति और व्यय

7.11 कारपोरेट कार्य मंत्रालय के राजस्व प्राप्ति और व्यय (योजना और गैर–योजना) का ब्यौरा निम्नांकित है (सारणी 7.2 एवं 7.3)।

तालिका – 7.2

राजस्व प्राप्ति

(करोड़ रूपए में)

2005–06	2006–07	2007–08	2008–09
1	2	3	4
728,22	1038,18	1304,17	1229,00

तालिका – 7.3

व्यय (योजना एवं गैर–योजना)

(करोड़ रूपए में)

	वास्तविक व्यय 2007–08	2008–09			बजट प्राक्कलन 2009–10
		बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	वास्तविक व्यय	
1	2	3	4	5	6
गैर–योजना	111,49	170,00	160,00	135,63	190,00
योजना	0,00	33,00	63,01	63,01	33,00
कुल	**111,49**	**203,00**	**223,01**	**198,64**	**223,00**

विवरण–7.1

निवेशक हेल्पलाइन
01.01.2008 से 31.03.2009 तक श्रेणी–वार शिकायतों और संकल्प की स्थिति

क्र. सं	शिकायत का प्रकार	शिकायत की प्रकृति	प्राप्त शिकायतें	अस्वीकृत, अपूर्ण जानकारी	वैध शिकायतें	हेल्पलाइन तंत्र से बाहर (न्यायिक प्रकिया के अंतर्गत लौटाई गई डाक)	वैध शिकायतों पर की गई कार्रवाई का शेष	दूर की गई	लंबित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	डिबेंचर अथवा बांड से संबंधित शिकायतें	प्रमाण–पत्र, ब्याज, परिशोधन राशि प्राप्त न होना	240	34	206	108	98	69	29
2.	सावधि/सार्वजनिक जमा, संयुक्त निवेश योजनाओं से शिकायतें	परिपक्व राशि, संबंधित ब्याज, प्रतिलाभ आदि प्राप्त न होना	2000	245	1755	1584	171	99	72
3.	शेयर होल्डरों की शिकायतें	डिविडेंट शेयर प्रमाण–पत्र, बोनस, आबंटन एडवाइस, अधिकारगत (राइट्स) आबंटन, वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम नोटिस, डीमैट शिकायतों आदि का प्राप्त न होना	2550	872	1678	36	1642	1202	440
		कुल	**4790**	**1151**	**3639**	**1728**	**1911**	**1370***	**541**

*01.01.2008 से 31.03.2009 के दौरान प्राप्त शिकायतें	:	1370
01.01.2008 से पहले प्राप्त और समीक्षाधीन अवधि के दौरान निपटाई गई शिकायतें	:	1090
निपटाई गई कुल शिकायतें	:	2460

अनुबंध

कारपोरेट कार्य मंत्रालय की निर्देशिका

नाम	पदनाम	दूरभाष संख्या	
		कार्यालय	निवास
श्री सलमान खुर्शीद	**माननीय कारपोरेट कार्य मंत्री**	**23073804 23073805 23073806 (फैक्स) 23017152 (दूरभाष)**	**26322720 26849662**
श्री आर.के. यादव	कारपोरेट कार्य मंत्री के निजी सचिव	–वही–	23388888
श्री गिरि केथराज	कारपोरेट कार्य मंत्री के अतिरिक्त निजी सचिव	–वही–	26672677
श्री आनन्द सिंह	कारपोरेट कार्य मंत्री के सहायक निजी सचिव	–वही–	–
श्री एम.एस. बिष्ट	कारपोरेट कार्य मंत्री के निजी वैयक्तिक सहायक	–वही–	–
श्री अनुराग गोयल	सचिव	23382324 23384017 23384257(फैक्स)	23071190
श्री जी.सी. पाण्डेय	वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव	–वही–	24652211
श्री एस.पी.एस. रावत	वैयक्तिक सहायक	–वही–	24621782
श्री पी.डी. सुधाकर	अपर सचिव	23381226 23389088 (फैक्स)	26882653
श्री जगजीत सिंह	अपर सचिव के निजी सचिव	–वही–	25117014
श्री ए.के. श्रीवास्तव	संयुक्त सचिव	23383180	24105445
श्री विनोद सूटा	संयुक्त सचिव (एस) के निजी सचिव	–वही–	–
श्रीमती रेणुका कुमार	संयुक्त सचिव	23074056	24364256
श्री बी.बी. तुली	संयुक्त सचिव (आर) के निजी सचिव	–वही–	–
डॉ0 जोसेफ अब्राहम	आर्थिक सलाहकार	23385010	26115803
श्री संदीप अम्बास्था	आर्थिक सलाहकार के निजी सचिव	–वही–	–
श्री आर. वासुदेवन	डी ।।	23389602	26260888
श्री दीवान चन्द	डी ।।	23384502	0124–2305658
श्री जयकांत सिंह	निदेशक	23389227	26890808
श्री एम.के. अरोड़ा	निदेशक	23389403	0120–2789791
डॉ0 (श्रीमती) सुनीता चिटकारा	निदेशक (सांख्यिकी)	23389204	27314462
श्री सज्जन सिंह यादव	उप सचिव	23384470	23812020

नाम	पदनाम	दूरभाष संख्या	
		कार्यालय	निवास
श्रीमती एस. प्रभाकर	उप सचिव	23070954	29223637
श्री ए.के. शर्मा	उप सचिव	23389263	24649929
श्री यू.के. जिंदल	उप सचिव	23382386	0124–2328662
श्री आर.सी. मीणा	संयुक्त निदेशक	23389622	26198440
श्री के.एल. कम्बोज	संयुक्त निदेशक	23385285	22727187
डॉ0 नवरंग सैनी	संयुक्त निदेशक	23384657	24107686
श्री बी.एन. हरीश	संयुक्त निदेशक	23073734	–
श्री वी.एन. गाबा	अवर सचिव	23389298	–
श्री एन.के. विग	अवर सचिव	23386065	–
श्री वी.के. मेहता	अवर सचिव	23385285	–
श्री जे.एस. गुप्ता	अवर सचिव	23389782	26891079
श्री आर.सी. टल्ली	अवर सचिव	23385381	0120–43070241
श्री राजेन्द्र सिंह	अवर सचिव	23073017	0120–4100399
श्रीमती रीता डोगरा	अवर सचिव	23389782	25226814
श्री जे.बी. कोशिश	अवर सचिव	23387939	95124–2333763
श्री एल.के. त्रिवेदी	अवर सचिव	23389782	–
श्री बी.पी. बिमल	अवर सचिव	23381243	–
श्री संजय शौरी	उप निदेशक	23389522	–
श्री आर.के. मीणा	उप निदेशक	23387263	–
श्रीमती पी. शीला	उप निदेशक	23386065	45635447
श्री पी.के. मल्होत्रा	उप निदेशक	23387263	–
श्री के. आनन्द राव	उप निदेशक	23382386	–
श्री विनोद शर्मा	उप निदेशक	23385382	–
श्री एन.के. दूआ	सहायक निदेशक	23387263	–
श्री संजय सूद	सहायक निदेशक	23386065	25467148
श्री एम.एस. पचौरी	सहायक निदेशक	23387263	–
श्री एल.बी. गुप्ता	सहायक निदेशक (राजभाषा)	23388512	27933211
अनुसंधान एवं विश्लेषण प्रभाग			
श्री एस.एन. तोब्रिया	निदेशक (आर एंड ए)	23318973(टेली–फैक्स)	23233052
श्री राधे श्याम	निदेशक (आर एंड ए)	23318972(टेली–फैक्स)	26176765
श्री डी.सी. गर्ग	सहायक निदेशक	23318970	23812556

नाम	पदनाम	दूरभाष संख्या	
		कार्यालय	निवास
लागत लेखा–परीक्षा शाखा			
श्री बी.बी. गोयल	सलाहकार (लागत)	23386003 23386284(फैक्स)	24100365
श्री जी.जी. मित्रा	संयुक्त निदेशक	23386349	–
श्री तरूण दास	उप निदेशक	23386349	28546479
श्री जी. वेंकटेश	उप निदेशक	23386349	
गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय			
श्री अजय नाथ	निदेशक	24365787 24365809(फैक्स)	24616762
श्री आर. यादव	अपर निदेशक	24369595	22628007
श्रीमती मेधा दलवी	अपर निदेशक	24369247	26031125
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग			
श्री धनेन्द्र कुमार	अध्यक्ष	26177175, 26701605, 26169278(फैक्स)	–
श्री एच.सी. गुप्ता	सदस्य	26162110, 26103853 (फैक्स)	24102447
श्री आर. प्रसाद	सदस्य	26162085	22725371
श्री पी.एन. पाराशर	सदस्य	26162097	0120–4573029
डॉ0 गीता गौरी	सदस्य	26162107	26535457
श्री एस.एल. बंकर	सचिव	26701619	65128080
श्री ऑगस्टीन पीटर	सलाहकार (आर्थिक)	26701614	–
श्री के.के. शर्मा	सलाहकार (विधि)	26701671	64515859
श्री के.एम. दामोदरन	निदेशक	26701616	65635174
श्री आर.के. वर्मा	निदेशक	26701618	22010161
महानिदेशक जांच एवं पंजीकरण			
श्री रनंजय सिंह	डीआईजी एंड आर	23384326 23384965(फैक्स)	23782038
श्रीमती पी. रामाचन्द्रण	महानिदेशक के निजी सचिव	–वही–	–
श्री सुबोध प्रसाद देव	अपर डीजीआई एंड आर	23384322, 23385960	26252122
श्री सी. शानमुगम	ए.डी.जी.	23385970	–
डॉ0 के.एस. यादव	ए.डी.जी.	–वही–	–
श्री राकेश वशिष्ट	ए.डी.जी.	–वही–	–

नाम	पदनाम	दूरभाष संख्या	
		कार्यालय	निवास
एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापार व्यवहार आयोग			
श्री एम.एम.के. सरदाना	सदस्य	23385301	24673164
श्री डी.सी. गुप्ता	सदस्य	23385311	26115975
श्री एस.डी. सिंह	सचिव	23385977	—
सुश्री बीना रानी विज	उप सचिव	23385978	—
श्री आई.एस. सैन	संयुक्त निदेशक (ई)	23381685	26870372
श्री वी. श्रीनिवास	उप निदेशक (आर्थिक)	—	—
समेकित वित्त एवं लेखा स्कंध			
श्री एस. चन्द्रा	अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार	23062756 23062101(फैक्स)	—
श्री ए.एन. बोक्सी	सीसीए	24698646	
कंपनी विधि बोर्ड			
श्री एस. बालासुब्रमणियम	अध्यक्ष	23382265(टेली–फैक्स)	23382309
श्री के.के. बालू	उपाध्यक्ष	044–25262791 044.25262794 (फैक्स)	044–22444419
श्रीमती विमला यादव	सदस्य	23385874	23386983
श्री कांथी नरहरि	सदस्य	044–25262792	—
श्री वी.एस. राव	सदस्य	022–22619636	022–23679803
श्री ए. सामान्त राय	सचिव (सीएलबी)	23383452	24363526
श्रीमती निम्मी धर	अवर सचिव (सीएलबी)	23383662	24620774
भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए)			
श्री जितेश खोसला	विशेष कार्य अधिकारी	—	—
श्री एन.एस. ऑबराय	विशेष कार्य अधिकारी के कार्यकारी सहायक	—	—
श्री एम.के. अरोड़ा	निदेशक	23389403	0120–2789791.

क्षेत्रीय निदेशकों, कंपनी रजिस्ट्रारों और शासकीय परिसमापकों के पते

क्षेत्रीय निदेशक

पूर्वी क्षेत्र

श्री यू.सी. नहाटा
निजाम पैलेस
II एमएसओ भवन, तीसरी मंजिल,
234/4 ए.जे.सी. बोस रोड,
कोलकाता–700020
फोन– 033–22877390, 22873156
फैक्स– 033.22470958
rdeast@sb.nic.in
uttam.nahta@mca.gov.in

उत्तरी क्षेत्र

श्री आर. वासुदेवन
ए–14, सेक्टर–I,
पीडीआईएल भवन,
नोएडा– 201301 (उ.प्र.)
फोन– 0120–2445342/43
फैक्स– 0120–2445341
rdnorth@sb.nic.in
r.vasudevan@mca.gov.in

दक्षिणी क्षेत्र

श्री बी.के. बंसल
5वीं मंजिल, शास्त्री भवन,
26, हैडोज मार्ग,
चेन्नई– 600006
फोन– 044–28276381, 28276682
फैक्स– 044–28280436
rdsouth@sb.nic.in
bk.bansal@mca.gov.in

पश्चिमी क्षेत्र

श्री राकेश चन्द्रा
एवरेस्ट, 5वीं मंजिल
100, मैरिन ड्राइव
मुम्बई– 400002
फोन– 022–22817259, 22813760
फैक्स– 022–22812389
rdwest@sb.nic.in
rakesh.chandra@mca.gov.in

कंपनी रजिस्ट्रार

आंध्र प्रदेश

श्री हेनरी रिचर्ड
दूसरी मंजिल, केन्द्रीय सदन,
सुल्तान बाजार, कोटि, हैदराबाद– 500195
फोन– 040–24656114
फैक्स– 040–24652807
richard.henry@mca.gov.in

असम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश

श्री के. स्वाधीन बरूआ
मोरेल्लो बिल्डिंग, भूमि तल,
कचहरी रोड, शिलांग– 793001
फोन– 0364.2223665, 2504093
फैक्स– 0364.2211091
swadhin.barua@mca.gov.in

बिहार और झारखंड

श्री के.एस. प्रधान
मौर्या लोक काम्प्लैक्स, ए–ब्लॉक,
चौथी मंजिल, डाक बंगला रोड,
पटना–800001
फोन– 0612–2222172
फैक्स– 0612–2222172
krushna.pradhan@mca.gov.in

दिल्ली तथा हरियाणा

श्री मनमोहन जुनेजा
चौथी मंजिल, आईएफसीआई टावर,
61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली.110019
फोन– 011–26235704
फैक्स– 011–26235702
manmohan.juneja@mca.gov.in

गोवा, दमन एवं दीव

श्री एस.के. गुप्ता
कंपनी विधि भवन, ईडीसी काम्प्लैक्स,
प्लाट नं. 21, पोआटो, पणजी,
गोवा– 403001
फोन– 0832–2438617, 2438618
फैक्स– 0832–2438617
sanjay1.gupta@mca.gov.in

गुजरात और दादरा व नगर हवेली

श्री आर.वी. दानी
आरओसी भवन, रूरल पार्क सोसायटी के सामने,
अंकुर बस स्टैंड के पीछे, नारनपुरा,
अहमदाबाद– 380013
फोन– 079–27438531
फैक्स– 079–27438371
Rangarao..Dani@mca.gov.in

जम्मू व कश्मीर

श्री सुधीर कपूर
हाल सं. 405 से 408, बाहु प्लाजा, चौथी मंजिल,
साउथ ब्लॉक, रेल हैड काम्प्लैक्स, जम्मू–180012
फोन– 0191–2472504, 2470306
फैक्स– 0191–2470306
sudhir.kapoor@mca.gov.in

कर्नाटक

श्री वी.सी. दवे
'ई' विंग, दूसरी मंजिल, केन्द्रीय सदन,
कोरा मंगला, बंगलौर–560034
फोन– 080–25633105
फैक्स– 080–25538531
vc.davey@mca.gov.in

केरल और लक्षद्वीप

श्री एस.एम. अमिरूल मिलात
कंपनी विधि, भवन, बीएमसी रोड,
त्रिककाड़ा पी.ओ., कोच्चि– 682021
फोन– 0484–2421626
फैक्स– 0484–2422327
a.millath@mca.gov.in

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़

डॉ0 एस.के. अग्रवाल
ए ब्लाक, संजय काम्प्लैक्स,
तीसरी मंजिल, जयेन्द्र गंज,
ग्वालियर– 474009
फोन– 0751.2321907, 2430012
फैक्स– 0751–2331853
sk.agarwal@mca.gov.in

महाराष्ट्र–I (मुम्बई)

श्री डी.के. गुप्ता
''एवरेस्ट'' बिल्डिंग, 100, मैरीन ड्राइव,
मुम्बई– 400002
फोन– 022–22812627, 22812645
फैक्स– 022–22811977
devendar.gupta@mca.gov.in

महाराष्ट्र–II (पुणे)

श्री वी.पी. काटकर
पीएमटी कॉमर्शियल बिल्डिंग, तीसरी मंजिल,
डेक्कन, जिमखाना, पुणे– 411004
फोन– 020–25530042, 25521376
फैक्स– 020–25521376
vishnu.katkar@mca.gov.in

उड़ीसा

श्री बी. मोहंती
दूसरी मंजिल, चलचित्र भवन,
बक्सी बाजार, कटक– 753001
फोन– 0671–2306958, 2306952
फैक्स– 0671–2305361
b.mohanty@mca.gov.in

पुदुचेरी

श्री वी. स्वामीदासन
नं. 35, पहली मंजिल, इलेंगा नगर III क्रॉस,
पुदुचेरी– 605011
फोन– 0413–2240129
फैक्स– 0413–2240129
v.swamidason@mca.gov.in

पंजाब, चंडीगढ़ तथा हिमाचल प्रदेश

डॉ0 राज सिंह
286, डिफेंस कालोनी, जालंधर सिटी– 144001
फोन– 0181–2223843
फैक्स– 0181.2223843
dr.raj@mca.gov.in

राजस्थान

श्री एस.पी. कुमार
132, विजय नगर, पार्ट–II,
करतारपुर रेलवे स्टेशन के पास,
जयपुर– 302006
फोन– 0141–2500565
फैक्स– 0141–2500564
satya.kumar@mca.gov.in

तमिलनाडु–I (चेन्नई तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह)

श्री एन.एस. पोन्नूनम्बी
दूसरी मंजिल, शास्त्री भवन,
26, हैडोज रोड, चेन्नई– 600006
फोन– 044–28272676, 28276652
फैक्स– 044–28234298
ns.ponnunambi@mca.gov.in

तमिलनाडु–II (कोयम्बटूर)

श्री पी. राजागोपालन
कोयम्बटूर स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग,
दूसरी मंजिल,
683, त्रिची रोड,
सिंहानलूर, कोयम्बटूर– 641005
फोन– 0422–2319640
फैक्स– 0422.2324012
p.rajagopalan@mca.gov.in

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड

श्री एम.पी. शाह
10/499–बी, एल्लेनगंज,
खलासी लाईन, कानपुर– 208002
फोन– 0512–2550688, 2540383
फैक्स– 0512–2540423
maheshbhai.shah@mca.gov.in

पश्चिम बंगाल

श्री डी. बंधोपाध्याय
निजाम पैलैस, दूसरी एमएसओ बिल्डिंग, दूसरी मंजिल,
234/4, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड,
कोलकाता– 700020
फोन– 033–22873156, 22873404
फैक्स– 033–22903795
debasish.bandopadhyay@mca.gov.in

शासकीय समापक

आन्ध्र प्रदेश

श्री डी. विजय भास्कर
आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से सम्बद्ध
3–5–398, पहली मंजिल, केन्द्रीय सदन,
सुल्तान बाजार, कोटी, हैदराबाद – 500095
फोन :– 040 – 24736883, 24746360
फैक्स :– 040 – 24610514

असम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम तथा अरूणाचल प्रदेश

श्री स्वाधीन बरूआ
गुवाहाटी उच्च न्यायालय से सम्बद्ध कम्पनी रजिस्ट्रार का कार्यालय
मोरेलो बिल्डिंग, ग्राउण्ड फ्लोर, कचहरी रोड़,
शिलोंग – 790331
फोन :– 0364 – 2223665, 2222519
फैक्स :– 0364 – 2211091

बिहार तथा झारखण्ड

श्री जी.सी. यादव
बिहार उच्च न्यायालय से सम्बद्ध
मौर्या लोक कॉम्पलैक्स, ब्लॉक 'ए',
चौथी मंजिल, डाक बंगला रोड़,
पटना – 800001
फोन :– 0612 – 2221002

दिल्ली तथा हरियाणा

श्री ए.के. चतुर्वेदी
दिल्ली उच्च न्यायालय से सम्बद्ध
ए 2, डब्ल्यू 2, कर्जन रोड़ बैरेक्स,
नई दिल्ली – 110001
फोन :– 011– 23389996, 2786127
फैक्स :– 011– 23388405

गोआ तथा दमन और दीव

श्री संजय कुमार गुप्ता
गोवा उच्च न्यायालय से सम्बद्ध
कम्पनी लॉ भवन, ई.डी.सी. कॉम्पलैक्स,
प्लाट न0 21, पट्टो, पन्नाजी,
गोआ– 403001
फोन :– 0832– 2438617/18
फैक्स :– 0832– 2428617

गुजरात तथा दादरा और नगर हवेली

श्री एस.बी. गौतम
गुजरात उच्च न्यायालय से सम्बद्ध
जीवाभाई चैम्बर, पोस्ट ऑफिस के पीछे,
आशा राम रोड़, नवरंगपुरा, अहमदाबाद–380009
फोन :– 079 – 26581903, 26581912
फैक्स :– 079 – 26587837

जम्मू और कश्मीर

श्री सुधीर कपुर
जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय से सम्बद्ध
405, बाहू प्लाजा, चौथी मंजिल,
साउथ ब्लॉक, राई हैड कॉम्पलैक्स,
जम्मू – 180012
फोन :– 0191 – 2470306, 2472504
फैक्स :– 0191 – 2470306

कर्नाटक

श्री अरविन्द शुक्ला
कर्नाटक उच्च न्यायालय से सम्बद्ध
कार्पोरेट भवन, 26–27, 12वीं मंजिल, रहेजा टॉवर, एम.जी. रोड़, बैंगलोर – 560001
फोन :– 080–25598671/72/73
फैक्स :– 080 – 25598674

केरल तथा लक्ष्यद्वीप

श्री एन. कृष्णामूर्ति
केरल उच्च न्यायालय से सम्बद्ध
कम्पनीज लॉ भवन, तीसरी मंजिल,
बी.एम.सी. रोड, ठीककड़ा,
पी.ओ. कोचिन – 682021
फोन :– 0484 – 2422889
फैक्स :– 0484 – 2423172

मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़

श्री पी.के. बट्टा
मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय से सम्बद्ध
पहली मंजिल, पुराना सी.आई.ए. बिल्डिंग,
सामने सामान्य डाकघर, रेजिडेन्सी एरिया,
इन्दौर – 452001
फोन :– 0731 – 2710051
फैक्स :– 0731 – 2710568

महाराष्ट्र

श्री पी. रामा राव
बम्बई उच्च न्यायालय से सम्बद्ध
बैंक ऑफ इण्डिया बिल्डिंग, पांचवी मंजिल,
महात्मा गांधी रोड,
मुम्बई – 400023
फोन :– 022 – 22675008, 22670024
फैक्स :– 022 – 22692307

श्री यू.एस. पटोले
नागपुर स्थित मुम्बई उच्च न्यायालय से सम्बद्ध
न्यू सचिवालय बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, पूर्व विंग,
सिविल लाईन, नागपुर – 440001
फोन :– 0712 – 2527512
फैक्स :– 0712 – 2522934

उड़ीसा

श्री यू.के साहू
उड़ीसा उच्च न्यायालय से सम्बद्ध
चलचित्र भवन, दूसरी मंजिल,
बक्सी बाजार, कटक – 753001
फोन :– 0671 – 2304959
फैक्स :– 0671 – 2303982

पंजाब, चण्डीगढ़ तथा हिमाचल प्रदेश

श्री डी.पी. ओझा
पंजाब हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश
उच्च न्यायालय से सम्बद्ध
एस.सी.ओ. न. 9, दूसरी मंजिल,
सैक्टर– 26, चण्डीगढ़ – 160019
फोन :– 0172– 2790074, 2790378
फैक्स :– 0172 – 2790378

राजस्थान

श्री वी.के. खूबचन्दानी
राजस्थान उच्च न्यायालय से सम्बद्ध
बी.– 75/ए, राजेन्द्रा मार्ग, बापू नगर,
जयपुर – 302015
फोन :– 0141– 2709289
फैक्स :– 0141 – 2707109

तमिलनाडू

श्री पी.जी. राव
मद्रास उच्च न्यायालय से सम्बद्ध
कार्पोरेट भवन, दूसरी मंजिल, न0 29, राजा जी सलाई,
चैन्नई – 600001
फोन :– 044 – 25271150, 25271474
फैक्स :– 044 –25271152

उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड

श्री बी.के.एल. श्रीवास्तव
उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय से सम्बद्ध
33, तासकन्त मार्ग, सिविल लाईन,
इलाहाबाद – 211002
फोन :– 0532 – 2624943
फैक्स :– 0532 – 2624943

पश्चिम बंगाल

श्री जी.मुखोपाध्याय
पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय से सम्बद्ध
9, ओल्ड पोस्ट ऑफिस गली, पांचवी मंजिल,
कोलकाता – 700001
फोन :– 033 – 22486501, 22486067
फैक्स :– 033 – 22482483

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट

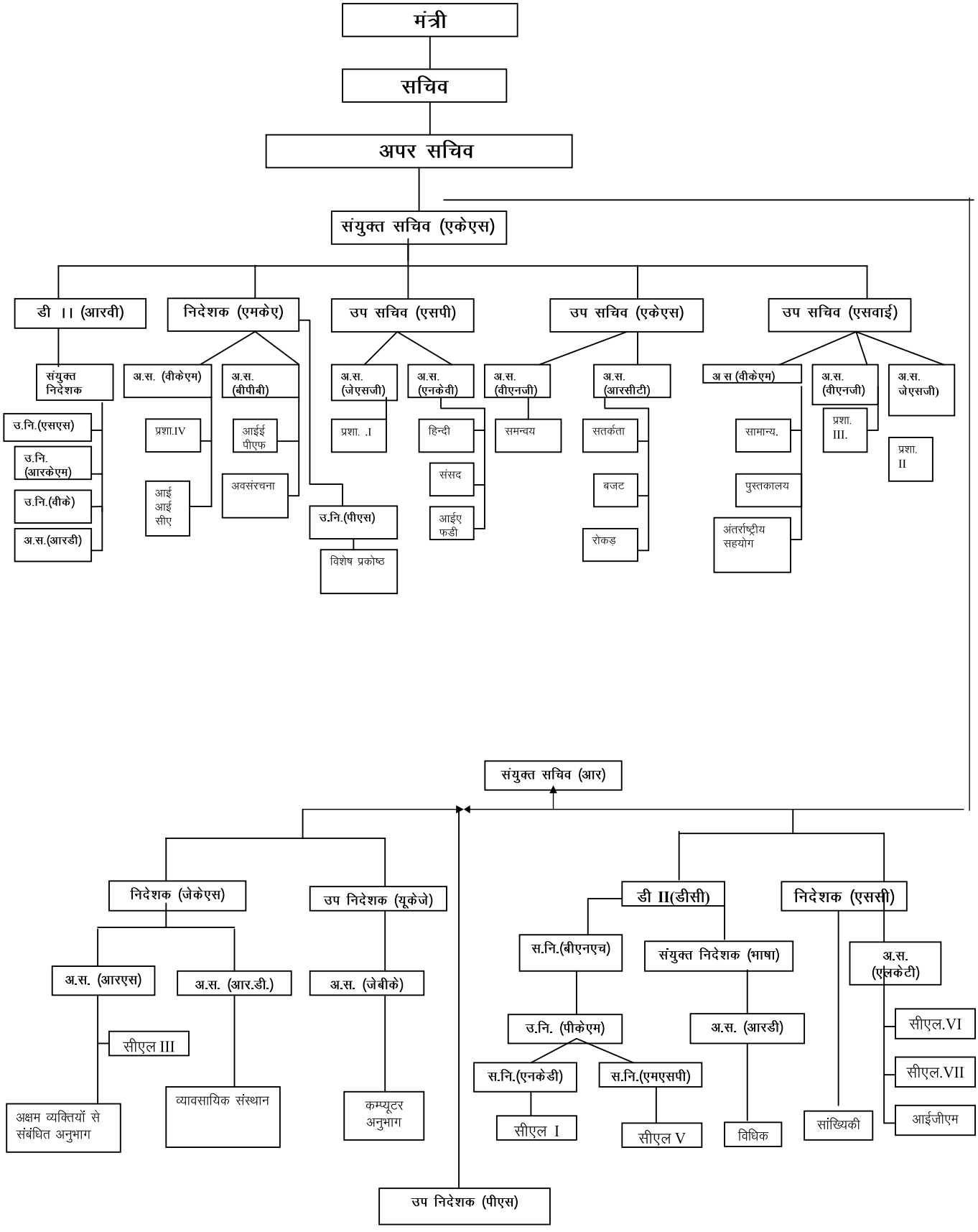

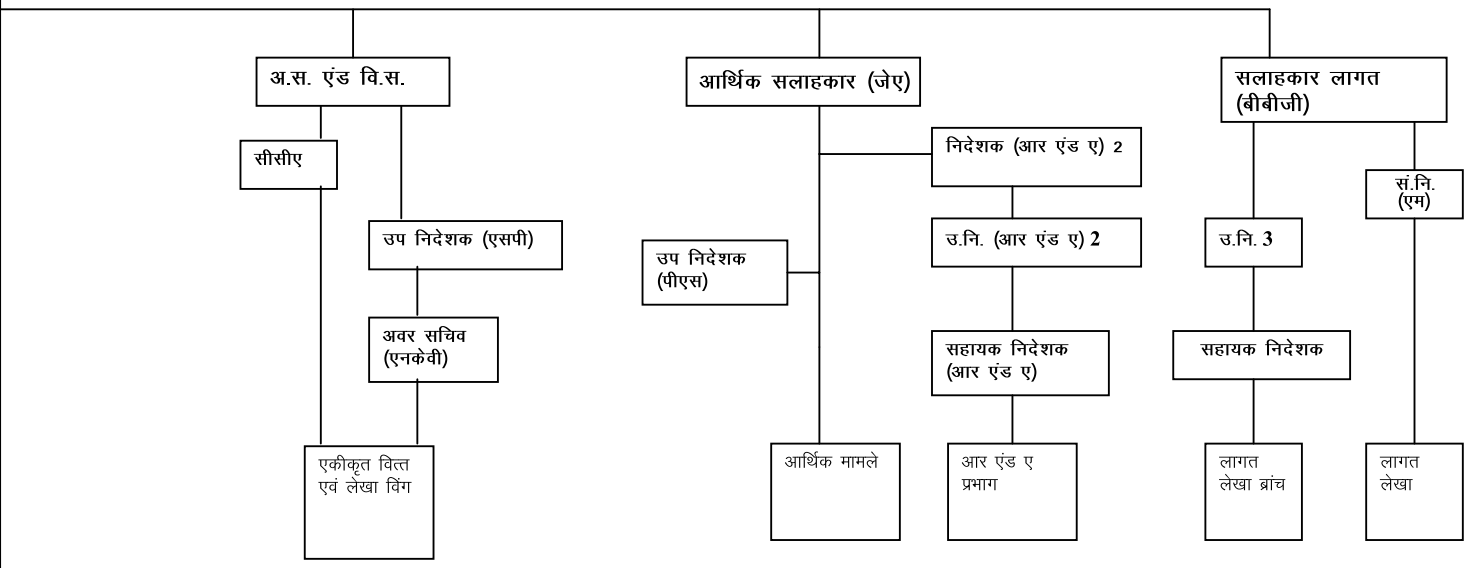
अ.स. एंड वि.स.
सीसीए
उप निदेशक (एसपी)
अवर सचिव (एनकेवी)
एकीकृत वित्त एवं लेखा विंग
आर्थिक सलाहकार (जेए)
निदेशक (आर एंड ए) 2
उप निदेशक (पीएस)
उ.नि. (आर एंड ए) 2
सहायक निदेशक (आर एंड ए)
आर्थिक मामले
आर एंड ए प्रभाग
सलाहकार लागत (बीबीजी)
संनि. (एम)
उ.नि. 3
सहायक निदेशक
लागत लेखा ब्रांच
लागत लेखा

◄

सलमान खुर्शीद
मंत्री
अनुराग गोयल
सचिव
पी.डी. सुधाकर
अपर सचिव

संयुक्त सचिव(एकेएस) ए.के. श्रीवास्तव		संयुक्त सचिव(आर) रेणुका कुमार		आर्थिक सलाहकार(जेए) डॉ0 जोसेफ अब्राहम		सलाहकार (लागत) बी.बी. गोयल	
डी।।(आरवी)	आर.वासुदेवन	डीआईआइ (डीसी)	दीवान चन्द	निदे.(एसएनटी)	एस.एन. तोब्रिया	सं.नि.(एम)	जी.जी. मित्रा
निदे.(एमकेए)	मनोज कुमार अरोड़ा	निदे.(एससी)	सुनीता चिटकारा	निदे.(आरएस)	राधे श्याम	उप नि.(वी)	जी. वेंकटेश
उ.स.(एसपी)	सविता प्रभाकर	निदे.(जेकेएस)	जय कांत सिंह	उप नि.(आरएंडए)	(रिक्त–2)	उप नि.(टीडी)	तरूण दास
उ.स.(एकेएस)	ए.के. शर्मा	उ.स.(यूकेजे)	यू.के. जिंदल	उप नि.(पीएस)	पी. शीला	स.नि.	(रिक्त)
उ.स.(एसवाई)	सज्जन सिंह यादव	सं.नि.(बीएनएच)	बी.एन. हरीश	स.नि.(डीसीजी)	डी.सी. गर्ग		
सं.नि.(केएलके)	के.एल. कम्बोज	सं.नि.(भा.)	आर.सी. मीणा	स.नि.(आरएंडए)	(रिक्त)		
उ.नि.(आरकेएम)	आर.के. मीणा	उ.नि.(पीकेएम)	पी.के. मल्होत्रा				
उ.नि.(वीएस)	विनोद शर्मा	अ.स.(आरएस)	राजिन्दर सिंह				
उ.नि.(एसएस)	संजय शौरी	अ.स.(आरडी)	रीता डोगरा				
उ.नि.(पीएस)	पी. शीला	अ.स.(जेबीके)	जे.बी. कौशिक				
अ.स.(वीकेएम)	वी.के. मेहता	अ.स.(एलकेटी)	एल.के. त्रिवेदी				
अ.स.(एनकेवी)	एन.के. विग	स.नि.(एनकेडी)	एन.के. दूआ				
अ.स.(वीएनजी)	वी.एन. गाबा	स.नि.(एमएसपी)	एम.एस. पचौरी				
अ.स.(जेएसजी)	जे.एस. गुप्ता	अनु.अ.(सीएल-III)	महा सिंह				
अ.स.(आरसीटी)	आर.सी. टल्ली	अनु.अ.(सीएल-VII)	उज्जवल कुमार				
अ.स.(बीपीबी)	बी.पी. बिमल	अनु.अ.(सीएल-VI)	भूपेन्द्र सिंह				
स.नि.(आईईपीएफ)	सीमा रथ	अनु.अ.(पीआई)	संदीप सिंह				
अनु.अ.(अवसं.)	संजीव गुप्ता	अनु.अ.(कम्प्यू.)	विनोद कुमार				
अनु.अ.(प्रशा-I)	विजय सोनी	अनु.अ.(विधिक)	यू.के. सिन्हा				
अनु.अ.(प्रशा-II)	ललित ग्रोवर	अनु.अ.(आईजीएम)	सुरेश सरन				
अनु.अ.(प्रशा-III)	राम बचन						
अनु.अ.(प्रशा-I)	पी.के. प्रभात						
अनु.अ.(सामान्य)	कमलेश मक्कड़						
अनु.अ.(रोकड़)	आर.एल. अरोड़ा						
अनु.अ.(बजट)	एस.एल. मेघवाल						
अ.नु.अ.(सतर्कता)	संजीव कु. नारायण						
अनु.अ.(समन्वय)	वीना बतरा						
अ.नु.अ.(संसद)	के.के. रेड्डी						
अनु.अ.(सीएल-II)	एस.के. कौशिक						
अनु.अ.(आईएफडी)	कांति प्रसाद						
अनु.अ.(अंतर्रा.सह.)	आर.के. धर						
स.नि.(हिन्दी)	एल.बी. गुप्ता						
कनिष्ठ विश्लेषक	एस. श्रीधरन						

मुख्य सतर्कता अधिकारी :
श्री ए.के. श्रीवास्तव (संयुक्त सचिव)

वेब मास्टर : श्री सज्जन सिंह यादव

अनु.अ.(प्रॉटोकॉल) : श्री विनोद कुमार

वेल्फेयर अधिकारी : श्री एन.के. विग

एकीकृत वित्त एवं लेखा स्कंध

अ.स. एवं वि.स.	:	सौरभ चन्द्रा
मु.ले.नि	:	ए.एन. बॉख्शी
उप सचिव	:	सविता प्रभाकर
अवर सचिव	:	एन.के. विग
अनुभाग अधिकारी	:	कांति प्रसाद